

मध्यप्रदेश वन विभाग

सूचना पुस्तिका (SET OF MANUALS)

(भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी
“सूचना का अधिकार अधिनियम 2005” की धारा 4(1) (b) के अंतर्गत)

वर्ष—2014

v/; k; 1 i Lrkouk

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) के प्रावधानों की पूर्ति के लिये मध्यप्रदेश वन विभाग द्वारा इस सूचना पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है। इस पुस्तिका के प्रकाशन में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का विशेष ध्यान रखते हुए, इस प्रयोजन से निर्धारित स्वरूप में इस पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है। पुस्तिका के तैयार करने में मूल अवधारणा यह रही है कि भारत का कोई भी नागरिक जो मध्य प्रदेश वन विभाग की गतिविधियों की जानकारी की अपेक्षा रखता हो, उसे समस्त मूल सूचनाएं प्राप्त करने में यह सूचना पुस्तिका एक प्रभावी माध्यम बन सके, तथा विशेष जानकारी की आवश्यकता महसूस होने पर कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत ऐसी सूचना प्राप्त करने के लिये सुगमता से संबंधित लोक सूचना अधिकारी के समक्ष अनुरोध प्रस्तुत कर सके।

इस सूचना पुस्तिका के समस्त अध्याय सामान्यतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन की दृष्टि से सूचना पुस्तिका तैयार करने के लिये भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्वरूप के अनुसार रखे गये हैं। विभाग की विचारधाराओं एवं विशिष्टताओं के अनुरूप विषयों के चयन में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किये गये हैं, ताकि यह पुस्तिका संदर्भ की दृष्टि से सुगम साबित हो सके।

vfrfjDr l puk i klr djus dh fof/k

सूचना पुस्तिका के संबंध में और विवरण प्राप्त करने हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय सिमन्वय कक्ष से सम्पर्क किया जा सकता है। इस पुस्तिका में सम्मिलित जानकारी के अतिरिक्त किसी अन्य सूचना की आवश्यकता होने पर विभाग मुख्यालय स्तर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में नामांकित लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक सिमन्वय कक्ष से सम्पर्क किया जा सकता है। क्षेत्रीय स्तर की विभिन्न जानकारीयों हेतु प्रत्येक जिला/ उप संभाग स्तर पर नामांकित लोक सूचना अधिकारियों तथा सहायक लोक सूचना अधिकारियों से भी नियमानुसार सूचनाएं प्राप्त की जा सकेंगी।

इस प्रकार की अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने हेतु प्रिया मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित मध्यप्रदेश सूचना का अधिकार फीस तथा अपील क्रमनियम, 2005 के अनुसार होगी।

v/; k; 2 1/2; py & ch&i1/2

l xBu dh fof' kf"V; k1 dR; , oa drD;

(Particulars of organization, functions and duties)

History

मध्यप्रदेश में वन विभाग का प्रशासन अगस्त 1860 में वास्तविक रूप से प्रारंभ हुआ तथा कर्नल जी.एफ. पियर्सन की प्रथम वन संरक्षक के रूप में नियुक्ति की गई। वर्ष 1862 में पड़त भूमि नियम बनाया गया, जिसके अंतर्गत सागौन, साल, शीशम व बीजा की कटाई पर प्रतिबंध लगाया गया। स्थापना के दौरान वन विभाग को सड़कों का अभाव, प्राथमिक स्तर की विरल अधोसंरचना, भूमि अधिकारों की अनिश्चय स्थिति तथा संचार तंत्र के अभाव के कारण वनों के संरक्षण में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। वर्ष 1863 में ब्रैन्डिस ने कर्नल पियर्सन के साथ राज्य के वनों का निरीक्षण किया तथा वन नीति के निम्न बिन्दुओं का निर्धारण किया –

1. वन्य रिजर्व का सीमांकन,
2. वनों की अग्नि से सुरक्षा, एवं
3. वन राजस्व में वृद्धि के स्रोतों का पता लगाना

उक्त नीति के अंतर्गत होशंगाबाद मंडल के बोरी के वनों को वर्ष 1865 में देश का प्रथम रिजर्व घोषित किया गया। वन विभाग के अधीन लिये गये क्षेत्र को वैधानिक स्वरूप प्रदान करने के लिये भारतीय वन अधिनियम 1865 बनाया गया, जिसमें 1875 व 1878 में संशोधन किए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत शासन के अधीन वनों को आरक्षित वन घोषित किया गया। इस समय शासन की घोषित नीति के अनुसार श्रेणी एक के रिजर्व को बढ़ाना, संरक्षित करना तथा उनमें सुधार लाना था। श्रेणी एक के रिजर्व के अतिरिक्त अन्य वनों को श्रेणी दो के रिजर्व के रूप में रखा गया, जिसका इस प्रकार प्रबंधन करना था कि जला, चारा व अन्य वनोपज की स्थानीय मांग की पूर्ति हो सके।

वर्ष 1865 में पातन के पूर्व वृक्षों की चिन्हांकन की व्यवस्था की गई तथा 1868 में प्रांत में सागौन वृक्षारोपण प्रारंभ किया गया। भारत सरकार द्वारा 1894 में प्रथम वन नीति की घोषणा की गई। इस नीति के अंतर्गत कार्य आयोजना तैयार कर वनों का सुव्यस्थित प्रबंधन करना था। उस समय तैयार की गई कार्य आयोजनाएं अत्यंत साधारण थीं, तथा उनमें पर्याप्त आंकड़ों का अभाव था। फिर भी इन कार्य आयोजनाओं ने भविष्य में विस्तृत कार्य आयोजना बनाने की आधारशीला रखी थी।

उत्तरोत्तर वर्षों में वन प्रबंधन के सिद्धांतों का विकास हुआ तथा भारत की स्वतंत्रता के पश्चात अक्टूबर 1947 में देश में पहली बार मध्यप्रदेश में एक वन नीति समिति का गठन किया गया। मध्यप्रदेश वन नीति समिति के प्रतिवेदन का प्रारूप मई 1952 में प्रकाशित राष्ट्रीय वन नीति के निर्माण में अत्यंत उपयोगी साबित हुआ। वर्ष 1965 में तेन्दूपत्ता व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसके अंतर्गत तेन्दूपत्ता व अन्य लघुवनोपजों के संग्रहण कार्य में आदिवासी एवं अन्य पिछड़े वर्गों की आय तथा जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने का मार्ग खुला। इसी तारतम्य में वर्ष 1971 में प्रमुख इमारती लकड़ी का, वर्ष 1973 में बांस व्यापार का, एवं वर्ष 1975 में साल बीज का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे वनों की सुरक्षा सुगम हुई एवं वन राजस्व में भी वृद्धि हुई।

प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध मध्यप्रदेश की वन सम्पदा जैव विविधता से परिपूर्ण है। प्रदेश की विशिष्ट भौगोलिक एवं सामाजिक-आर्थिक परिवेश के दृष्टिगत प्रदेश की अपनी वन

नीति वर्ष 2005 में जारी की गई। इस नीति में इमारती एवं जला[लकड़ी तथा बांस के अधिकाधिक उत्पादन के साथ ही जैव विविधता संरक्षण व लघु वनोपज का विनाश-विहीन विदोहन तथा प्राप्त वनोपज का प्रसंकरण कर उसकी गुणवत्ता बढ़ाने तथा विपणन व्यवस्था का विकास करने के प्रावधान किये गये हैं। औषधीय प्रजातियों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती हुई मांग के दृष्टिगत इनका संरक्षण एवं संवर्द्धन नई वन नीति के तहत सुनिश्चित किया जायेगा। इस नीति में वन्य प्राणी संरक्षण के साथ ही प्राकृतिक धरोहर स्थलों का संरक्षण तथा ईको-टूरिज्म के विकास को भी समुचित महत्व दिया गया है। वन प्रबंध के साथ स्थानीय समुदायों की सहभागिता के दृष्टिगत संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा लेते हुये प्रदेश की नई वन नीति में वनों के आदर्श प्रबंधन की आधारशिला रखी गई है, जिससे कि बढ़ती हुई जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में वनोपज की जरूरतें पूरी करने के साथ ही वनवासियों के जीविकोपार्जन के उपायों में वृद्धि तथा गांवों में कुटीर उद्योग के विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सके।

संक्षेप में, मध्यप्रदेश में वन विभाग का दायित्व राज्य वन नीति 2005 के अनुसार निम्न शब्दों में निरूपित किया गया है :-

“प्रदेश के पारिस्थितिकीय, आर्थिक, सामाजिक एवं तकनीकी संसाधनों का उपयोग करते हुये वनों के संरक्षण, संवर्द्धन एवं संवहनीय उपयोग के लिये युक्तियुक्त वैधानिक एवं संस्थागत ढांचे से वनों का प्रबंधन इस प्रकार किया जायेगा कि पर्यावरणीय सुरक्षा, पारिस्थितिकीय संतुलन एवं भू-जल संरक्षण के साथ-साथ वनाश्रित समुदायों की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं वनों की उत्पादकता में वृद्धि की जा सके ताकि वन संसाधनों के विकास के साथ-साथ इन समुदायों को रोजगार उपलब्ध कराया जाकर उनका आर्थिक एवं सामाजिक विकास हो सके।”

foHkxh; l j̄puk

वन विभाग की गतिविधियां मुख्यालय स्तर पर विभिन्न शाखाओं के माध्यम से नियंत्रित की जाती है। विभाग प्रमुख के रूप में प्रधान मुख्य वन संरक्षक इन शाखाओं के कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं तथा दिशानिर्देश देते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय के अतंगत अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक तथा उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी विभिन्न शाखाओं के कार्यों का संपादन करते हैं। इनके अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक विन्य प्राणीक्रद्वारा प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों पर प्रशासकीय नियंत्रण रखा जाता है तथा वैज्ञानिक आधार पर वन्य प्राणी संरक्षण सुनिश्चित किया जाता है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक किर्कार्य आयोजना एवं वन भू-अभिलेख क्रद्वारा प्रदेश के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु कार्य आयोजना पुनरीक्षण के कार्य का नियंत्रण किया जाता है।

ou foHkx ds e[; ky; Lrj ij dk; j̄r 'kk[kk, ' -

- | | |
|------------------------------------|---|
| ▪ कार्य आयोजना | ▪ सूचना प्रौद्योगिकी |
| ▪ वन -भू अभिलेख | ▪ समन्वय |
| ▪ वन्यप्राणी | ▪ सतर्कता एवं शिकायत |
| ▪ प्रशासन - एक | ▪ प्रोजेक्ट्स |
| ▪ प्रशासन - दो | ▪ भू-प्रबंध |
| ▪ विकास | ▪ मानव संसाधन विकास |
| ▪ संरक्षण | ▪ संयुक्त वन प्रबन्धन एवं वन विकास अभिकरण |
| ▪ उत्पादन | ▪ सामुदायिक वन प्रबंधन परियोजना |
| ▪ वि I एवं बजट | ▪ नीति विश्लेषण इकाई |
| ▪ अनुसंधान, विस्तार एवं लोक वानिकी | ▪ आजीविका |

{ks=h; dk; kly;

वन क्षेत्रों का वैज्ञानिक प्रबंधन और वन संसाधन का संरक्षण व संवर्द्धन क्षेत्रीय स्तर पर गठित प्रशासनिक इकाईयों के माध्यम से किया जाता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है –

{ks=h; bdkbz; ka dk i dkj	l d; k	bdkbz; k
क्षेत्रीय वन वृ I	16	बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छिन्दवाड़ा, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, रीवा, सागर, छतरपुर, शहडोल, सिवनी, शिवपुरी एवं उज्जैन।
कार्य आयोजना इकाई	16	बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छिन्दवाड़ा, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर जबलपुर, खंडवा, रीवा, सागर, छतरपुर, शहडोल, सिवनी, शिवपुरी एवं उज्जैन।
अनुसंधान एवं विस्तार वृ I	11	भोपाल, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, सागर, इंदौर, खंडवा, झाबुआ, रतलाम, सिवनी एवं बैतूल।
कार्य आयोजना रिांचलिकक्र	3	भोपाल, जबलपुर एवं इन्दौर।
राष्ट्रीय उद्यान	10	कान्हा मिडलाक्र बांधवगढ़ रिमरियाक्र पेंच रििवनीक्र पन्ना, सतपुड़ा रिचमढीक्र संजय रिीधीक्र वन विहार भीपालक्र माधव रििवपुरीक्र फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान रिडिंडोरीक्र एवं डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान बाग धारक्र
क्षेत्रीय वनमंडल	63	उत्तर बालाघाट, दक्षिण बालाघाट, उत्तर बैतूल, दक्षिण बैतूल, पश्चिम बैतूल, भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, ओबेदुल्लागंज, छतरपुर, उत्तर पन्ना, दक्षिण पन्ना, टीकमगढ़, पूर्व छिंदवाड़ा, पश्चिम छिंदवाड़ा, दक्षिण छिंदवाड़ा, ग्वालियर, दतिया, भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, होशंगाबाद, हरदा, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, जबलपुर, कटनी, पश्चिम मण्डला, पूर्व मण्डला, डिण्डौरी, खण्डवा, बुरहानपुर, खरगौन, बड़वाह, बड़वानी, संधवा, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, उत्तर सागर, दक्षिण सागर, दमोह, दक्षिण सिवनी, उत्तर सिवनी, नरसिंहपुर, उत्तर शहडोल, दक्षिण शहडोल, उमरिया, अनुपपूर, शिवपुरी, गुना, अशोक नगर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, देवास, एवं शाजापुर।
उत्पादन वनमंडल	13	mri knu ou emy – उत्तर बालाघाट, दक्षिण बालाघाट, बैतूल, रायसेन, छिंदवाड़ा, हरदा, मण्डला, डिण्डौरी, खंडवा, दक्षिण सिवनी, उत्तर सिवनी, देवास एवं वि य वन मंडल, नई दिल्ली।
वन विद्यालय/ वन प्रशिक्षण संस्थान	9	वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय, बालाघाट; वन विद्यालय शिवपुरी, अमरकंटक एवं बैतूल; गोविंदगढ़, झाबुआ, राजीव गांधी सहभागी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, लखनादौन रििवनीक्र इंदिरा गांधी वन प्रशिक्षण शाला, पचमढी, जैव विविधता प्रशिक्षण केन्द्र, ताला रिमरियाक्र

foHkkxh; veyk

वन विभाग की नवीन संरचना दिनांक 03.04.2008 को स्वीकृत की गयी। स्वीकृति अनुसार पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

in	l d; k
1. वनरक्षक	13,997
2. वनपाल	4,184
3. उप वन क्षेत्रपाल	1,257
4. वन क्षेत्रपाल	1,192
5. सहायक वन संरक्षक	358
6. लिपिकीय	2,829
7. चतुर्थ श्रेणी	1,165
8. विविध अन्य	731
9. विविध राजपत्रित	24
dy	25 737

Hkkjrh; ou l ok

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रलय किर्मािक और प्रशिक्षण विभागकी अधिसूचना मांक 16016/ 03/ 2008 ए.आई.एस-दो रिंक दिनांक 26 अगस्त 2008 द्वारा मध्यप्रदेश संवर्ग के भारतीय वन सेवा अधिकारियों का संवर्ग निम्नानुसार पुनरीक्षण किया गया है -

in	l d; k
प्रधान मुख्य वन संरक्षक	3
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	10
मुख्य वन संरक्षक	68
वन संरक्षक	34
उप वन संरक्षक	65
dy ofj"B in	180
केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व	36
राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व	45
प्रशिक्षण रिजर्व	6
छुट्टी रिजर्व तथा कनिष्ठ पद रिजर्व	29
dy ikf/kdr l d; k	296
पदोन्नति से भरे जाने वाले पद	89
सीधी भरती से भरे जाने वाले पद	207
; kx	296

v/; k; 2 ves; qy & ch&ii½

vf/kdkfj; ka vkj deþkfj; ka dh 'kfDr; ka , oa drD;

(Powers and duties of officers and employees)

वन विभाग के अधिकारियों द्वारा कर्तव्य निर्वहन में वन वित्तीय नियम, वित्तीय कोड तथा अन्य संगत नियमों एवं अनुदेशों का पालन करते हुये कर्तव्य निर्वहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न वन अधिनियमों तथा नियमों के अंतर्गत पृथक-पृथक स्तर के लिये अधिकार एवं शक्तियां निर्धारित हैं, जिनका पालन किया जाता है।

वन विभाग के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों के लिये समय-सीमा निर्धारित की गई है, जिसका कर्तव्य निर्वहन के समय क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा पालन करना अपेक्षित होता है। इस प्रकार की कुछ सामान्य परिसीमाएं निम्न तालिका में दर्शाई गई है :-

rfydk 3-1 & मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत वन विभाग की सेवाएं

1	2	3	4	5	6	7
10.1	वन्यप्राणियों से जनहानि हेतु राहत राशि का भुगतान।	परिक्षेत्रधिकारी	3 कार्य दिवस	वनमंडल अधिकारी / संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक / सहायक संचालक	15 कार्य दिवस	वन संरक्षक / संरक्षित क्षेत्र के संचालक
10.2	वन्यप्राणियों से जन घायल हेतु राहत राशि का भुगतान।	परिक्षेत्रधिकारी	7 कार्य दिवस	वनमंडल अधिकारी / संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक / सहायक संचालक	15 कार्य दिवस	वन संरक्षक / संरक्षित क्षेत्र के संचालक
10.3	वन्यप्राणियों से पशुहानि हेतु राहत राशि का भुगतान	परिक्षेत्रधिकारी	30 कार्य दिवस	वनमंडल अधिकारी / संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक / सहायक संचालक	30 कार्य दिवस	वन संरक्षक / संरक्षित क्षेत्र के संचालक
10.4	मालिक मकबूजा प्रकरण में भुगतान। 1. डिपो में काष्ठ प्राप्त होने के उपरांत भुगतान के प्रकरण	वनमंडलाधिकारी	45 कार्य दिवस	वन संरक्षक	30 कार्य दिवस	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक उत्पादनक्र
	2. पृथक लाट के विकल्प की दशा में वि य मूल्य की पूर्ण वसूली के प्रकरण	वनमंडलाधिकारी	30 कार्य दिवस	वन संरक्षक	30 कार्य दिवस	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक उत्पादनक्र

10.5	काष्ठ के परिवहन का अनुज्ञा पत्र प्रदान करना।	1. शासकीय काष्ठागार हेतु – काष्ठागार अधिकारी / परिक्षेत्रधिकारी	3 कार्य दिवस	उप वनमण्डलाधिकारी	15 कार्य दिवस	वनमंडलाधिकारी
		2. काष्ठ के पंजीकृत व्यापारी / विनिर्माता हेतु – परिक्षेत्रधिकारी	10 कार्य दिवस	उप वनमण्डलाधिकारी	15 कार्य दिवस	वनमंडलाधिकारी
		3. भूमि स्वामी से प्राप्त काष्ठ हेतु – उप वनमण्डलाधिकारी	30 कार्य दिवस	वनमंडलाधिकारी	15 कार्य दिवस	वन संरक्षक

तालिका 3.2 : विभिन्न गतिविधियों के लिये निर्धारित समय-सीमा

क्र.सं.	विवरण	अधिकारी	समय	अधिकारी	समय
सामान्य कार्य					
1	मजदूरी का भुगतान	वनक्षेत्रपाल	कोषालय से देयक पारित होने के एक सप्ताह में	वन मण्डलाधिकारी	15 दिवस
3	परिवहन ठेकों की स्वीकृति	वन मण्डलाधिकारी	औपचारिकतायें पूर्ण करने के 15 दिन के भीतर	वन संरक्षक	15 दिवस
4	परिवहन बिलो का भुगतान	वन मण्डलाधिकारी	एक माह में	वन संरक्षक	15 दिवस
5	विीत वनोपज का स्वीकृति आदेश	वन मण्डलाधिकारी	राशि जमा करने 15 दिन	वन संरक्षक	15 दिवस
6	असफल बोलीदार की सत्यंकार की राशि वापसी	सत्यंकार अधिकारी	नीलामी के 7 दिन में	वन मण्डलाधिकारी	15 दिवस
7	कार्योपरान्त जमानत राशि की वापसी	वन मण्डलाधिकारी	अनुबंध अवधि के एक माह में	वन संरक्षक	15 दिवस
8	खुली दरों पर परिवहन, आवेदन का निराकरण	वन मण्डलाधिकारी	15 दिवस	वन संरक्षक	15 दिवस
9	वाहन मरम्मत का भुगतान	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	15 दिवस	वन संरक्षक	15 दिवस
11	वाणिज्यिक अनुसूची दर, वनोपज तथा निस्तार दरों का निर्धारण।	वन संरक्षक	मार्च के दर के आधार पर मई के अन्त तक दर निर्धारित की जायेगी	मुख्य वन संरक्षक, उत्पादन सतपुड़ा भवन भोपाल	15 दिवस
12	य की गई भण्डार, सामग्री का भौतिक सत्यापन	य करने वाले अधिकारी	15 दिवस	वन संरक्षक	15 दिवस
13	य की गई भण्डार सामग्री का भुगतान	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	भौतिक सत्यापन के 7 दिवस में	वन संरक्षक	15 दिवस
14	विभिन्न वनोपज के परिवहन जारी अनुज्ञा पत्र जारी करना।	सक्षम अधिकारी	एक दिवस	वन संरक्षक	15 दिवस
15	राजस्व वापसी	भुगतान कर्ता अधिकारी	15 दिन में आदेश तथा 15 दिन में भुगतान	वन संरक्षक	15 दिवस
16	लघु वनोपज हेतु संग्रहण राशि का भुगतान	वनक्षेत्रपाल	एक सप्ताह में संग्रहित मात्र हेतु आगामी सप्ताह के अन्त तक	वन मण्डलाधिकारी	15 दिवस
17	तेन्दुपत्ता श्रमिकों की समूह बीमा योजना राशि का भुगतान, बीमा कम्पनी स्तर से प्रकरण स्वीकृत होने पर	वन मण्डलाधिकारी	एक माह	वन संरक्षक	15 दिवस

de;pkfj; k; dh l okfuofRr@ eR; q gkus ij ns LoRok; dk fujkdj.k					
18	अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति	कार्यालय प्रमुख	एक माह	जिला प्रमुख / विभागाध्यक्ष	15 दिवस
19	उपादान एवं पेंशन	कार्यालय प्रमुख	एक माह	जिला प्रमुख / विभागाध्यक्ष	15 दिवस
20	परिवार कल्याण निधि का भुगतान	कार्यालय प्रमुख	तीन माह	जिला प्रमुख / विभागाध्यक्ष	15 दिवस
21	सामान्य भविष्य निधि का भुगतान	कार्यालय प्रमुख	तीन माह	जिला प्रमुख / विभागाध्यक्ष	15 दिवस
22	परिवार अनुग्रह राशि अक्सग्रेसिया	कार्यालय प्रमुख	तीन माह	जिला प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष	07 दिवस
23	अन्य भुगतान	कार्यालय प्रमुख	एक माह	जिला प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष	15 दिवस

अध्याय 2 मिन्नुअल – बी-iii क्र

निर्णय लेने की प्रिया

(Procedure followed in decision making process)

वन विभाग के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों के लिये प्रिया निर्धारित है। सामान्य जन से संबंधित विभिन्न प्रचलित प्रावधानों का संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है:-

तःयह त्कुज्का }kj k tugkfu vFkok i'kgkfu %

जंगली जानवरों द्वारा जनहानि अथवा पशुहानि की घटना होने पर निम्न व्यवस्था परिचलित है:-

किंक्र पशु हानि के प्रकरणों में घटना के 48 घंटे के अंदर नजदीकी परिक्षेत्र कार्यालय में आवेदन प्रेषित किया जाना अनिवार्य है। क्षतिपूर्ति का भुगतान राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधान के अनुसार किया जाता है।

खिंक्र जन हानि के प्रकरणों में निकटतम पुलिस थाने में सूचना दर्ज करना अनिवार्य होता है। राशि रूपये 1000 रूँपये एक हजार मात्रकतत्काल अग्रिम प्रदाय की व्यवस्था हैं, तथा ऐसे प्रकरणों में क्षतिपूर्ति की राशि रूपये 1,50,000 रूँपये एक लाख पचास हजार मात्रक स्वीकृत की जाती है।

गिंक्र जन घायल चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र के साथ आवेदन परिक्षेत्र कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने पर राशि रूपये 500 रूँपये पांच सौ मात्रकअग्रिम प्रदाय की जा सकती है, एवं इलाज पर व्यय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर एक माह की अवधि में क्षतिपूर्ति भुगतान अधिकतम राशि रूपये 30,000 रूँपये तीस हजार मात्रक तक के भुगतान का प्रावधान है।

धिंक्र स्थाई रूप से अपंग होने पर राशि रूपये 1,00,000 रूँपये एक लाख मात्रकएवं इलाज पर हुआ व्यय स्वीकृत करने का प्रावधान है।

रंनिं ऊक I ःkgd chek %

तेन्दूप II संग्राहक बीमा मृतक के वैध वारिस के द्वारा समिति या परिक्षेत्र में आवेदन प्रस्तुत करने पर निम्न व्यवस्था अनुसार किया जाता है :-

- परिक्षेत्र से प्रबंध संचालक कार्यालय में आवेदन का प्रस्तुतीकरण।
- प्रबंध संचालक कार्यालय से जीवन बीमा निगम को प्रकरण प्रस्तुतीकरण।
- जीवन बीमा निगम द्वारा बीमा राशि का डोट प्रबंध संचालक को भेजना
- प्रबंध संचालक के द्वारा वैध वारिस को डोट का प्रदाय।

0; ki kjh@fofuekirk dk i ath; u%

व्यापारी/विनिर्माता के पंजीयन हेतु निम्नानुसार व्यवस्था निरूपित है :-

- निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुतीकरण।
- आवेदक के कार्य का परीक्षण वन मंडलाधिकारी या अधीनस्थ द्वारा।
- पंजीयन लायसेंसक्रका प्रदाय।

वकील के क्लाइंट्स; उ &

- आरा मशीनों के पंजीकरण के संबंध में वैधानिक प्रावधान मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान विनियमन अधिनियम, 1984 की धारा 4,6 तथा मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान विनियमन अधिनियम, 1984 की धारा 3,4 में निहित हैं ।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के प्रकाश में वर्तमान में किन्हीं भी नयी आरा मशीनों का पंजीकरण किये जाने पर रोक है ।

वर्तमान में वर्ष 1996 की स्थिति में चल रही आरा मशीनों के ही स्वामित्व परिवर्तन की अवस्था में अन्तरण की अनुमति दी जाती है । यह अनुमति निम्न शर्तों के अधीन रहती है :-

- 1- आरा मशीन के स्थानान्तरण एवं नामांतरण की अनुमति उस अनुज्ञप्ति अधिकारी विनमण्डलाधिकारी द्वारा जारी की जावेगी जिसके क्षेत्र में आरा मशीन स्थित हो ।
- 2- यदि आरा मशीन का स्थानान्तरण किसी अन्य वन मण्डल के लिये आवेदित हो तो अनुमति जारी करने से पूर्व उस वन मण्डलाधिकारी की सहमति अनिवार्य होगी जिनके क्षेत्र में आरा मशीन स्थापित किया जाना प्रस्तावित हो ।
- 3- यह अनुमति निम्न शर्तों के अधीन दी जावेगी :-

किंकरविभिन्न प्रकार की मशीनों बिंड साँ, पीलिंग मशीन, स्लाइसर मशीन आदिक्री संख्या में वृद्धि/परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

खिक्रप्रतिबंधित क्षेत्र में आरा मशीन स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

गिक्रआरा मशीन की क्षमता में वृद्धि की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

घिक्रअनुज्ञप्ति के दो फाड़ (Splitting) की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

डिक्रनामांतरण के प्रकरणों में भावी मालिक को आरा मशीन चालू करने से पूर्व वन विभाग से

अनुज्ञप्ति प्राप्त करना होगी ।

खिक्रऐसे व्यक्तियों के पक्ष में स्थानान्तरण नहीं किया जावेगा जिनके विरुद्ध पूर्व में वन अपराध

पंजीबद्ध किये गये हों, या अन्य किसी कारण से उन्हें अयोग्य माना गया हो ।

खिक्रऐसी आरा मशीनों के स्थानान्तरण/ नामान्तरण/ नवीनीकरण के आवेदन पर विचार नहीं

किया जावेगा जो मा. सर्वोच्च न्यायालय के 12-12-96 के आदेश के परिपालन में

न्यायालय में प्रस्तुत सूची में शामिल नहीं हैं ।

वकील के क्लाइंट्स; उ &

वन अपराध घटित होने की अवस्था में अपराधी के विरुद्ध वन विभाग के द्वारा अपराध का संज्ञान लेने के लिये जो प्रतिवेदन सर्व प्रथम तैयार किया जाता है उसे पी ओ आर Preliminary Offence Report प्रारंभिक अपराध प्रतिवेदन कहते हैं । यह प्रतिवेदन अपराध प्रकरण का संज्ञान लेने वाले अधिकारी जो कि प्रायः वन रक्षक, वनपाल व वन क्षेत्रपाल स्तर के होते हैं, के द्वारा तैयार किया जाता है । इसमें वन अपराधी का नाम, किये गये अपराध का संक्षेप में विवरण, अपराधी से जप्तशुदा वनोपज, वाहन, औजार इत्यादि का विवरण दिया जाता है । इसके साथ मौका पंचनामा,

जपतीनामा और अपराधी के द्वारा प्रकरण में चाहे जाने की अवस्था में वन विभाग कोदिये गये राजीनामा की प्रतियों भी संलग्न की जाती हैं।

वन अपराध का संज्ञान लेने के उपरान्त संज्ञान लेने वाले अधिकारी से वरिष्ठ स्तर के अधिकारी द्वारा प्रकरण की सूक्ष्म जांच की जाती है और अपराध सिद्ध पाये जाने पर न्यायालय में दिया जाता है या फिर अपराधी की इच्छा पर वन विभाग के द्वारा ही रायल्टी, कम्पन्सेशन तथा वाहन इत्यादि का मूल्य लेकर प्रकरण कम्पाउंड किया जाता है। कम्पाउंड करने की प्रक्रिया पूरी तरह अपराधी की इच्छा पर निर्भर रहती है और इसके लिये अपराधी के द्वारा वर्णित तीनों राशियों का भुगतान किया जाना अनिवार्य रहता है। न्यायालयीन प्रकरण में मानव न्यायालय द्वारा पारित आदेश ही विधिवत प्रक्रिया अनुसार मान्य होता है।

- अपराध को न्यायालय अथवा विभाग द्वारा कम्पाउंड किये जाने पर ही प्रकरण समाप्त हुआ मान्य किया जाता है।
- पी ओ आर प्रकरण में राजीनामा मान्य किये जाने के लिये अविनिर्दिष्ट वनोपज के लिये उप वनमण्डलाधिकारी स्तर के अथवा विधि प्रक्रिया की परीक्षा उत्तीर्ण वन परिक्षेत्रधिकारी एवं विनिर्दिष्ट वनोपज के लिये संबंधित वन मण्डलाधिकारी अधिकृत रहते हैं।
- जांच के समय अभिलेख प्रायः क्षेत्र के परिक्षेत्र सहायक के पास अथवा वन क्षेत्रधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध रहते हैं। जांच उपरान्त प्रकरण के अनुसंधान एवं आगे की कार्यवाही हेतु यह समस्त अभिलेख उप वनमण्डलाधिकारी अथवा वन मण्डलाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध रहते हैं।

i f j o g u v u k k i = %&

वनोपज के परिवहन के लिए सामान्यतः परिवहन अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता रहती है। इसके संबंध में विस्तृत प्रावधान मध्य प्रदेश भारतीय अधिनियम 1927, मध्य प्रदेश विनिर्दिष्ट वनोपज व्यापार विनियमन अधिनियम 1969, मध्य प्रदेश तेन्दूपत्ता अधिनियम 1964 और उनके अधीन बनाये गये विनियमन में किया गया है।

म.प्र. अभिवहन वनोपज नियम 2000 की धारा 4 में संशोधन 16 मई 2005, 21 दिसम्बर 2006, 11 अप्रैल 2007 के अनुसार :

विक्रशासकीय वनोपज के पास वन विभाग के अधिकारियों द्वारा दिये जावेंगे।

विक्रनिम्न प्रजातियों के लिये पास की आवश्यकता नहीं होगी :-

विक्रनीलगिरी विक्रखमेर विक्रकेजूरिना विक्रसुबबूल विक्रपॉपलर विक्रइजराइली बबूल विक्रबबूल विक्रविलायती बबूल। आयातित/ शंकुधारी काष्ठ जो म.प्र. में नहीं पायी जाती है - चीड़, केल, देवदार, एवं पाइन।

विक्र कुल्लू गोंद तथा लाख को छोड़कर हर्षा तथा अन्य समस्त प्रकार की गोंद, अविनिर्दिष्ट लघु वनोपज परिवहन पास से मुक्त रहेंगे।

विक्र कटंग बांस से भिन्न बांस के पास खण्डवा, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, छिन्दवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, जबलपुर, कटनी, मण्डला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, सीधी जिले में वनाधिकारी द्वारा जारी किये जावेंगे, शेष जिलों में ग्राम पंचायत पास जारी करेगी।

विक्र ग्राम पंचायत जिले के अन्दर परिवहन पास जारी करेगी। जिले के बाहर वनाधिकारी द्वारा पास जारी किये जावेंगे।

विक्रलोक वानिकी के प्राप्त वनोपज के पास भी उपरोक्तानुसार जारी हों।

रिफ्रपास अभिलेख सहित आवेदन देने के 30 दिन में जारी किया जावेगा।

वर्ष 2018-19 के लिए 5 करोड़ रुपये की वित्तपोषण की तैयारी शुरू की जा रही है।
 तैयारी के लिए 5 करोड़ रुपये की वित्तपोषण की तैयारी शुरू की जा रही है।

क्र.सं.	विवरण	प्रति एक हेक्टर के लिए		
		रुपये	रुपये	रुपये
1	इमारती काष्ठ / साल बीज	100	50	10
2	जला [लकड़ी	50	25	05
3	अन्य लघु वनोपज	25	10	2

परिवहन शुल्क 10% है।

परिवहन अनुज्ञा पत्र प्रदाय की व्यवस्था निम्नानुसार है :-

- आवेदन का प्रस्तुतीकरण।
- वनोपज का सत्यापन वन मंडलाधिकारी या अधीनस्थ के द्वारा।
- परिवहन अनुज्ञा पत्र का प्रदाय।

v/; k; 2 %eS; qy & ch&iv½

dR; ka ds fuo@gu ds fy, LFkfi r ekud@ fu; e

(Norms set by it for the discharge of its functions)

विभाग की प्राथमिकताएं वनों का वैज्ञानिक दृष्टि से प्रबंधन करना है ताकि जैव विविधता को बनाये रखते हुए वनों का संरक्षण व संवर्धन किया जा सके, नमी व भूमि का संरक्षण हो सके, स्थानीय जनता को उनकी आवश्यकता के वन उत्पाद यथासंभव प्राप्त हो सकें तथा वन आधारित उद्योगों को संवहनीय रूप से कच्चे माल की पूर्ति की जा सके एवं पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त किया जा सके। उपरोक्त दायित्वों की पूर्ति हेतु विभाग की निम्न प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है :-

1. वनों की सुरक्षा।
2. वनों का विकास तथा बिगड़े वनों का सुधार करते हुए उत्पादकता बढ़ाना।
3. जैव विविधता संरक्षण।
4. वनेत्तर भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना।
5. बिगड़ें वनों के सुधार हेतु पूंजी निवेश को बढ़ावा देना।
6. वैज्ञानिक विधि से वनों का समयबद्ध विदोहन कर वनोपज को समय से बाजार में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।
7. समय पर निस्तार प्रदाय की व्यवस्था करना।
8. भूमि स्वामी क्षेत्र पर उपलब्ध वनोपज के विदोहन एवं निवर्तन हेतु लाभकारी प्रणाली स्थापित करना।
9. वनोपज के निवर्तन से राजस्व अर्जन करना।
10. उपरोक्त समस्त दायित्वों को पूर्ण करने हेतु वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन में जन भागीदारी सुनिश्चित करना।
11. सूचना प्रौद्योगिकी को लागू करना।

वन अधिकारी संगत अधिनियमों, नियमों, अनुदेशों तथा मेनुअल के अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। इन अधिनियमों, नियमों आदि के संबंध में इस सूचना पुस्तिका में अन्यत्र वर्णन किया गया है। विभाग के अंतर्गत दूर-दराज के क्षेत्रों में विभागीय कार्य स्थानीय तौर पर उपलब्ध मजदूरों द्वारा सम्पन्न कराये जाते हैं। मजदूरी के भुगतान में राज्य शासन श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दरों के अनुसार पालन किया जाता है तथा स्थानीय आवश्यकतानुसार संबंधित क्षेत्रीय वन संरक्षक विभिन्न विभागीय कार्यों के लिये दरों का निर्धारण करते हैं। इन दरों की सूची संबंधित क्षेत्रीय वन संरक्षक एवं उनके अधीनस्थ कार्यरत वन मण्डलाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

v/; k; 2 1/e\$; qy & ch&v½
dR; ka ds fuokgu grq fu; e] fofu; e] vum's k]
funf' kdk vkj vfHkys[k

**(Rules, regulations, instructions, manual and records,
for discharging functions)**

○ त्यों का निर्वाहन निम्नलिखित नियमों, अधिनियमों एवं अनुदेशों और अभिलेखों के आधार पर किया जाता है :-

vf/kfu; e

1. भारतीय वन अधिनियम 1927
2. भारतीय वन मि.प्र. संशोधनक्रअधिनियम 1965
3. भारतीय वन मि.प्र. संशोधनक्रअधिनियम 1983
4. भारतीय वन मि.प्र. संशोधनक्रअधिनियम 1989
5. म.प्र. वन उपज र्वियापार विनियमनक्रअधिनियम 1969
6. म.प्र. वन उपज र्वियापार विनियमनक्रसंशोधन अधिनियम 1972
7. म.प्र. वन उपज र्वियापार विनियमनक्रसंशोधन अधिनियम 1983
8. म.प्र. वन उपज र्वियापार विनियमनक्रसंशोधन अधिनियम 1986
9. म.प्र. वन उपज र्वियापार विनियमनक्रसंशोधन अधिनियम 1990, 2006
10. म.प्र. वन भूमि शाश्वत पट्टा प्रति संहरण अधिनियम 1973
11. म.प्र. कराधान अधिनियम 1982
12. म.प्र. कराधान र्सिंशोधनक्रअधिनियम 1984
13. म.प्र. काष्ठ चिरान र्विनियमनक्रअधिनियम 1984
14. म.प्र. काष्ठ चिरान र्विनियमनक्रसंशोधन अधिनियम 2003
15. म.प्र. वनउपज करारों का पुनरीक्षण र्सिंशोधनक्रअधिनियम 1996
16. वन संरक्षण अधिनियम 1980
17. वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972
18. म.प्र. वृक्षों का परिरक्षण र्निगरीय क्षेत्रक्रअधिनियम 2001
19. म.प्र. लोक वानिकी अधिनियम 2001
20. म.प्र. प्रदेश तेन्दू पत्ता अधिनियम 1964
21. म.प्र. प्रदेश तेन्दू पत्ता अधिनियम 1989
22. म.प्र. प्रदेश वनोपज र्वियापार विनियमनक्रअधिनियम 1969
23. म.प्र. प्रदेश वनोपज र्वियापार विनियमनक्रअधिनियम 1983
24. म.प्र. प्रदेश वनोपज र्वियापार विनियमनक्रअधिनियम 1986
25. म.प्र. प्रदेश वनोपज र्वियापार विनियमनक्रअधिनियम 1990
26. म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम, 2010

fu; e

1. म.प्र. अभिवहन विनोपजक्रनियम 1961
2. म.प्र. अभिवहन विनोपजक्रनियम 1961 में म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना मांक/ फ-30-40-95 एक्स-312क्रदिनांक 19.10.95 द्वारा किया गया संशोधन
3. म.प्र. वनोपज विद्यापार विनियमनक्रनियम 1969
4. म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना मांक 18-1-96-दस-3 दिनांक 22 मार्च 1997 द्वारा म.प्र. वनोपज विद्यापार विनियमनक्रनियम 1969 में संशोधन
5. म.प्र. वन उपज विद्यापार विनियमनक्रपरामर्शदात्री मित्रणाक्रसमिति तथा मूल्य प्रकाशन नियम 1969
6. म.प्र. वनोपज विद्यापार विनियमनक्रकाष्ठ नियम 1973
7. म.प्र. काष्ठ चिरान विनियमनक्रनियम 1984
8. म.प्र. काष्ठ चिरान विनियमनक्रसंशोधन नियम 2000
9. म.प्र. वन विकास उपकर नियम 1982
10. म.प्र. संरक्षित वन नियम 1960, म.प्र. संरक्षित वन नियम 2005
11. म.प्र. चराई नियम 1986
12. म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना मांक 3944-दस-3-88 दिनांक 03 सितम्बर 1988 द्वारा म.प्र. चराई नियम 1986
13. म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना मांक 3663-दस-3-89 दिनांक 11 अगस्त 1989 द्वारा म.प्र. चराई नियम 1986 में संशोधन
14. म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना मांक 18-3-90-दस-तीन दिनांक 09 जनवरी 1991 द्वारा म.प्र. चराई नियम 1986 में संशोधन
15. मांक एफ 7-4-2001-दस-3, दिनांक 21 मई 2002 मांक एफ 7-4-2001-दस-3, दिनांक 21 अगस्त 2009 संशोधन
16. द्वारा म.प्र. अभिवहन विनोपजक्रनियम 2000 में संशोधन
17. म.प्र. वन ग्राम नियम 1977
18. म.प्र. वन ग्राम नियम 1977 में म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना मांक एफ-5/127/76/3/ दस दिनांक 04.01.1980 द्वारा संशोधन
19. म.प्र. वन ग्राम नियम 1977 में म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना मांक 3081/3026/90/10-3 दिनांक 04.01.1980 द्वारा संशोधन।
20. म.प्र. वन ग्राम नियम 1977 में म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना मांक 2008-दस-3-99 दिनांक 31.07.99 द्वारा संशोधन
21. म.प्र. वन्य प्राणी संव्यवहार तथा चमड़ा साफ करने की कला विर्मशोधक्रनियम 1973
22. म.प्र. वन्य प्राणी सिंरक्षणक्रनियम 1974
23. म.प्र. फारेस्ट फार्म आफ अपीलक्रनियम 1988
24. म.प्र. वन भूमि शाश्वत पट्टा प्रति संहरण नियम 1974
25. म.प्र. इमारती लकड़ी बिना स्वामी की बिहती हुई, अटकी हुई, डूबी हुई, किनारे लगी, बिना दावा कीक्रनियम 1986
26. म.प्र. में अंगीकृत वन संविदा नियम 1927 जो म.प्र. शासन की अधिसूचना मांक 2388-दस-59 दिनांक 27.03.59 द्वारा बनाये गये।
27. वन वित्तीय नियम एिफ.एफ.आर.क्र
28. कोषालय संहिता
29. भण्डार य नियम
30. म.प्र. वन सुरक्षा पुरुस्कार नियम 2004
31. तेन्दू पत्ता विद्यापार विनियमनक्रनियमावली 1966
32. तेन्दू पत्ता विद्यापार विनियमनक्रनियमावली 2000
33. म.प्र. वनोपज विद्यापार विनियमनक्रनियम 1969
34. म.प्र. वन उपज जैव विविधता का संरक्षण और पोषणीय कटाईक्रनियम 2005

35. म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना मांक एफ 15/9/10-3/ 2001, दिनांक 28 मई, 2001 द्वारा म.प्र. अभिवहन विनोपजक्रनियम 2000 में संशोधन
36. मांक एफ 30-7-99-दस-3, दिनांक 6 सितम्बर 2001 द्वारा म.प्र. अभिवहन विनोपजक्रनियम 2000 में संशोधन
37. मांक एफ 28-1-2003-दस-3, दिनांक 24 जून 2003 द्वारा म.प्र. अभिवहन विनोपजक्रनियम 2000 में संशोधन
38. 19 अक्टूबर, 2001 द्वारा संशोधन
39. दिनांक 16 मई 2005 द्वारा म.प्र. अभिवहन विनोपजक्रनियम 2000 में संशोधन
40. मांक एफ 30-8-2002-दस-3, दिनांक 21 दिसम्बर 2006 द्वारा विनोपजक्रनियम 2000 में संशोधन 11 अप्रैल, 2007 द्वारा संशोधन
41. मांक एफ 30-7-99-दस-3, दिनांक 25 अप्रैल 2008 द्वारा म.प्र. अभिवहन विनोपजक्रनियम 2000 में संशोधन
42. कृपया एफ-30-7-99-दस-3 दिनांक 10 अगस्त 2009
43. म.प्र. काष्ठ चिरान विनियमनक्रअधिनियम 2004 में दिनांक 19 नवम्बर 1984 द्वारा संशोधन
44. मांक 18-3-85-दस-3, दिनांक 4 अक्टूबर 1985 द्वारा काष्ठ चिरान अधिनियम में संशोधन
45. मांक 2289-दस-3-87, दिनांक 22 जून 1987 द्वारा काष्ठ चिरान विनियमनक्रनियम 1984 में संशोधन
46. मांक एफ-18-2-86-दस-3, दिनांक 23 जून 1987 द्वारा काष्ठ चिरान विनियमनक्रअधिनियम 1984 में संशोधन
47. मांक एफ-30-56-93-दस-3, दिनांक 23 फरवरी 1994 द्वारा काष्ठ चिरान विनियमनक्रअधिनियम 1984 में संशोधन
48. मांक एफ-30-24-91-दस-3, दिनांक 29 मार्च 1993 द्वारा काष्ठ चिरान विनियमनक्रनियम 1984 में संशोधन
49. मांक 30-8-2000-दस-3, दिनांक 22 सितम्बर 2005 द्वारा काष्ठ चिरान विनियमनक्रअधिनियम 1984 में संशोधन
50. दिनांक 05 फरवरी 2009 द्वारा काष्ठ चिरान विनियमनक्रनियम 1984 में संशोधन
51. दिनांक 30 जून 2009 द्वारा काष्ठ चिरान विनियमनक्रनियम 1984 में संशोधन
52. मांक एफ-30-4-2002, दिनांक 22 जुलाई 2009 द्वारा काष्ठ चिरान विनियमनक्रअधिनियम 1984 में संशोधन
53. मांक 2073-130-इक्कीस-अ.प्रा.क्र दिनांक 27 मार्च 2010 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 को और संप्राधित कर भारतीय वनवि. प्र. संप्रोधनक्रअधिनियम 2009 जारी किया ।
54. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

v/; k; 2 %eN; qy & ch&vi½

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों
का प्रवर्गों के अनुसार विवरण

(A statement of the categories of documents that are held
by it or under its control)

मध्यप्रदेश वन विभाग द्वारा समय-समय पर वन सांख्यिकी तथा वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन का प्रकाशन किया जाता है। ये अभिलेख विभाग के वेबसाईट पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

jKT; ou uhfr 2005

वर्ष 2005 में नई राज्य वन नीति जारी की गई है, जिसके मुख्य अंश निम्नानुसार हैं:-

यह वन नीति राष्ट्रीय वन नीति 1988 के प्रावधानों के अनुरूप बनाई गई है। इस नीति में वनों, वन्य प्राणियों, पर्यावरण, जैव विविधता एवं जल सत्रंतों के संरक्षण के साथ-साथ वन वासियों की आजीविका को महत्व दिया गया है। बढ़ती जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में वन उपज की आवश्यकता वन क्षेत्रों के बाहर उत्पादन बढ़ा कर किये जाने पर जोर दिया गया है। किसानों द्वारा अपनी निजी भूमि पर उगाए गए वृक्षों के विदोहन की प्रि या सरल की जायेगी तथा ईको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जायेगा। संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से स्थानीय समुदायों को सिय भागीदारी दी जायेगी।

e/; i n's'k ykd okfudh vf/kfu; e 2001

राज्य में मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम 12 अप्रैल 2001 से लागू किया गया है, जिसमें राज्य के निजी और राजस्व वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु लोकवानिकी योजना प्रारंभ की गयी है। प्रदेश में अधिक से अधिक कृषकों को लोकवानिकी का लाभ पहुँचाने के लिए और योजना के ि यान्वयन में प्रगति लाने के लिए सदन में म.प्र. लोकवानिकी सिंशोधनक्र विधेयक, 2005 पारित किया गया है। इस संशोधन के तहत चार्टर्ड फारेस्टर्स के उपबंधों का लोप किया गया है। अब कृषक, ग्रामसभा एवं पंचायत द्वारा स्वयं अथवा किसी व्यक्ति द्वारा लोकवानिकी प्रबंध योजना तैयार करवा सकता है।

वर्ष 1950 से 2013 तक मध्यप्रदेश के वनमंडलों के प्रचलित कार्य आयोजनाओं एवं वर्किंग स्कीम की विभाग के पास उपलब्ध प्रतियों की जानकारी

v- Ø-	oueMy dk uke	ofdX Ldhe			dk; l vk; kst uk		
		vof/k	ys[kd	mi yC/k i fr; ka dk fooj .k	vof/k	ys[kd	mi yC/k i fr; ka dk fooj .k
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	उत्तर बालाघाट	1957-58 से 1966-67	श्री आर.पी. श्रीवास्तव	समस्त	1949-50 से 1964-65	श्री एम.एस. बूट	समस्त प्रतियाँ
		1967-68 से 1976-77	श्री एच.एल. अरोरा	समस्त	1966-67 से 1981-82	श्री एस.पी. मिश्रा	समस्त प्रतियाँ
		1968-69 से 1977-78	श्री एस.डी. द्विवेदी	समस्त	1985-86 से 2000-01	श्री आर.एन. मिश्रा	समस्त प्रतियाँ

		—	—	—	2003-04 से 2012-13	श्री सी.एच मुरलीकृष्ण	समस्त प्रतियॉ
2.	दक्षिण बालाघाट	1957-58 से 1966-67	श्री आर.पी. श्रीवास्तव	समस्त	1949-50 से 1964-65	श्री एस. एस. बूट	समस्त प्रतियॉ
		1968-69 से 1977-78	श्री एस.डी. द्विवेदी	समस्त	1972-73 से 1986-87	श्री जे.के. चतुर्वेदी	समस्त प्रतियॉ
		—	—	—	1966-67 से 1981-82	श्री एस. पी. मिश्रा	समस्त प्रतियॉ
		—	—	—	1994-95 से 2003-04	श्री टी. आर. शर्मा	समस्त प्रतियॉ
		—	—	—	2008-09 से 2017-18	डॉ धर्मद्र वर्मा	समस्त प्रतियॉ
3.	दक्षिण बैतूल	1961 से 1992-93	श्री एस.एम. सक्सेना	भाग 3	2006-07 से 2015-16	श्री ए. के. पाटिल	समस्त प्रतियॉ
		1969 से 1992-93	श्री आर.पी. वर्मा	भाग 2	1993-94 से 2002-03	श्री आर. पी. सिंह	भाग 3
		—	—	—	1973-74 से 1988-89	श्री आर. एस. मिश्रा	भाग 2
		—	—	—	1970-93	श्री वाई के.साहू	भाग 2
4.	पश्चिम बैतूल	1969-70 से 1978-79	श्री आर. पी वर्मा	भाग ८	1992-93 से 2001-02	श्री रवि श्रीवास्तव	समस्त प्रतियॉ
		—	—	—	1995-96 से 2004-05	श्री वाय. सत्यम	समस्त प्रतियॉ
		—	—	—	2006-07 से 2015-16	श्री ए. एस. डबास	समस्त प्रतियॉ
		—	—	—	2002-03 से 2011-12	श्री बी.के.मिश्रा	समस्त प्रतियॉ
5.	उत्तर एवं पश्चिम बैतूल का गवसेन परिक्षेत्र	—	—	—	2002-03 से 2016-17	श्री बी. के. मिश्रा	समस्त प्रतियॉ
		—	—	—	1970-71 से 1984-85	श्री वाय.के. साहू	समस्त प्रतियॉ
		—	—	—	1992-93 से 2001-02	श्री रवि श्रीवास्तव	समस्त प्रतियॉ
		—	—	—	2012-13 से 2021-22	श्री आर.डी. महला	समस्त प्रतियॉ

	बैतूल	1969-70 से 1978-79	श्री आर.पी. वर्मा	समस्त	1952-53 से 1966-67	श्री एन.के. शर्मा	भाग 2
6.	भोपाल	1962-63 से 1971-72	श्री एस.आर. रावत	समस्त	1999-2000 से 2008-09	डॉ. रामप्रकाश	समस्त प्रतियॉ
		1973-74 से 1998-99	श्री आर.एन. दुबे	समस्त	1964-65 से 1978-79	श्री एस.बी. गुप्ता ईआर.एफक्र	समस्त प्रतियॉ
	पूर्व भोपाल	1968-69 से 1977-78	श्री सेनापति जोशी	भाग 2	2009-10 से 2018-19	श्री पी.के. सिंह	समस्त प्रतियॉ
7.	विदिशा	1960-61 से 1969-70	श्री.वी.बी. सहारिया	समस्त	1997-98 से 2006-07	श्री मनोज सपरा	समस्त प्रतियॉ
		—	—	—	2008-09 से 2017-18	श्री एस. डी. पटेरिया	समस्त प्रतियॉ
		—	—	—	1977-78 से 1991-92	श्री एम. एस. तोमर	समस्त प्रतियॉ
8.	रायसेन	—	—	—	2003-04 से 2017-18	श्री बी.पी. गुप्ता	समस्त प्रतियॉ
		—	—	—	1983-84 से 1997-98	श्री आर. के. वर्मा	समस्त प्रतियॉ
		—	—	—	2013-14 से 2022-23	श्री भागवत सिंह	समस्त प्रतियॉ
9	सीहोर	1962-63 से 1981-82	श्री एस.आर. रावत	समस्त	2006-07 से 2015-16	श्रीमती हेमवती वर्मन	समस्त प्रतियॉ
					1964-65 से 1978-79	श्री एस.बी.गुप्ता	समस्त प्रतियॉ
					1984-85 से 1993-94	श्री एस.एन. सिंह	समस्त प्रतियॉ
10.	औबेदुल्लागंज	1969-78	श्री सेनापति जोशी	समस्त	2006-07 से 2015-16	श्रीमती हेमवती वर्मन	समस्त प्रतियॉ
		2001-10	श्री जे.जी. ठाकुर प्रि०यो०क्र	समस्त	1983-84 से 1997-98	श्री आर. के. वर्मा	समस्त प्रतियॉ
		2008-09 से 2017-08	श्री निरंकार सिंह श्री आर.के. दीक्षित प्रि०यो०क्र	समस्त	1984-85 से 1998-99	श्री एस.पी. शर्मा	समस्त प्रतियॉ
11.	राजगढ़	1974 से 2005	श्री आर.एन. दुबे	समस्त	2010-19	श्री व्ही.एस. होतगी ईनुमोदन अप्राप्तक्र	समस्त प्रतियॉ

12	छतरपुर छितरपुर,बिजावर एवं लौडी परिक्षेत्र क्र	1966-67 से 1975-76	श्री आर. पी वर्मा	भाग ८	—	—	—
		—	—	—	2056-57 से 2005-06	श्री बी.एन. द्विवेदी	समस्त प्रतियौ
		—	—	—	2008-09 से 2017-18	श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव	समस्त प्रतियौ
		—	—	—	1975-76 से 1989-90	श्री वी. के. तिवारी	भाग 1
13.	टीकमगढ़	—	—	—	1977-98 से 1991-92	श्री एस. के भाटिया	भाग 1
		—	—	—	2003-04 से 2017-18	श्री अजय शंकर	समस्त प्रतियौ
14.	दक्षिण पन्नापरि. मोहन्द्रा,शाहनगर	1967-68 से 1976-77	श्री एस.आर. राव	समस्त	1978-79 से 1992-93	श्री एन. एस. भील	समस्त प्रतियौ
					2002-03 से 2016 -17	श्री एस.एन. नाचने	समस्त प्रतियौ
15	उत्तर पन्ना	—	—	—	2005-06 से 2019-20	श्री महेन्द्र यादुवेन्दु	समस्त प्रतियौ
					1978-79 से 1992-93	श्री एन. एस. भील	समस्त प्रतियौ
16.	पश्चिम छिन्दवाड़ा	1972-73	श्री एस. एन. पाण्डे	भाग 1	1939-55	श्री एच.एस.सोधी	समस्त प्रतियौ
		1973-74	श्री एस. बी. बापट	भाग 2	1956-57 से 1970-71	श्री आर.एस.सिंघल	समस्त प्रतियौ
					1977-78 से 1991-92	श्री पी.एस.दवे	समस्त प्रतियौ
					2006-07 से 2015-16	श्री आर.के.गुप्ता	समस्त प्रतियौ
					1995-96 से 2004-05	श्री अनूप भल्ला	समस्त प्रतियौ
17.	पूर्व छिंदवाड़ा	—	—	—	1939-55	श्री एच.एस. सोधी	समस्त प्रतियौ
					1956-57 से 1970-71	श्री आर.एम. सिंघल	समस्त प्रतियौ
					1977-78 से 1991-92	श्री पी. एस. दवे	समस्त प्रतियौ
					1997-98 से 2007-08	श्री सतीश त्यागी	समस्त प्रतियौ

					2008-09 से 2017-18	श्री सतीश सिलावट	समस्त प्रतियॉ
18.	दक्षिण छिंदवाड़ा	-	-	-	1939-55	श्री एच.एस. सोधी	भाग 2
		-	-	-	1956-57 से 1976-77	श्री आर.एम. सिंघल	समस्त प्रतियॉ
		-	-	-	1977-78 से 1991-92	श्री पी.एस. दवे	समस्त प्रतियॉ
		-	-	-	2000-01 से 2009-10	श्री ओ.पी. खरे	समस्त प्रतियॉ
					2011-12 से 2020-21	श्री शमशेर सिंह	समस्त प्रतियॉ
19.	ग्वालियर	-	-	-	1975-76 से 1989-90	श्री एस. आर. रावत	भाग 1
					2005-06 से 2014-15	श्री ए.बी. गुप्ता	समस्त प्रतियॉ
					1944-45 से 1954-55	श्री ओ.पी. भार्गव	समस्त प्रतियॉ
20.	दतिया				1975-76 से 1989-90	श्री एस.आर. रावत	समस्त प्रतियॉ
					2005-06 से 2014-15	श्री ए.बी. गुप्ता	समस्त प्रतियॉ
21.	भिण्ड				1975-76 से 1989-90	श्री एस.आर. रावत	समस्त प्रतियॉ
					2005-06 से 2014-15	श्री ए.बी. गुप्ता	समस्त प्रतियॉ
22.	मुरैना	1973-74 से 1988-89	श्री एस.बी. खेमरिया	समस्त	1971-72 से 1985-86	श्री के.के.आर नायडू	समस्त प्रतियॉ
					2003-04 से 2012-13	श्री एस.के. सिंह	समस्त प्रतियॉ
					2013-14 से 2022-23	श्री विश्राम सारग शर्मा	समस्त प्रतियॉ
23.	श्योपुर कला	1973-74 से 1988-89	श्री एस.के. खेमरिया	समस्त	1971-72 से 1985-86	श्री के.के. आर नायडू	समस्त प्रतियॉ
					1998-99 से 2007-08	श्री प्रदीप पंत	समस्त प्रतियॉ

					2003-04 से 2012-13	श्री एस.के. सिंह	समस्त प्रतियॉ
					2010-11 से 2022-23	श्री पी.के. सिंह	समस्त प्रतियॉ
24	होशंगाबाद	1962-63	श्री तिवारी	समस्त	2003-04 से 2013-14	श्री गिरधर राव	समस्त प्रतियॉ
		1973	श्री चौधरी	समस्त	1948-63	श्री एच.डी. कुलकर्णी	भाग 1
					1965-80	श्री एल.आर. जंगले	समस्त प्रतियॉ
					1987-88 से 2001-02	श्री ए.ए. असांरी	समस्त प्रतियॉ
					2013-14 से 2022-23	श्री एच.यू. खॉन	समस्त प्रतियॉ
25.	हरदा	1956-57 से 1965-66	श्री व्ही.वी. साहू-	समस्त	1984-85 से 1995-96	श्री आर.के. शुक्ला	समस्त प्रतियॉ
		-	-	-	2000-01 से 2009-10	श्री ए.के. जैन	समस्त प्रतियॉ
		-	-	-	1967-68 से 1981-82	श्री एस.एन. खरे	समस्त प्रतियॉ
		-	-	-	2000-01 से 2009-10	श्री अभय कुमार जैन	समस्त प्रतियॉ
		-	-	-	1984-85 से 1993-94	श्री आर. के. शुक्ला	समस्त प्रतियॉ
					1986-95	श्री पी.बी. गंगोपाध्याय ईभ्यारण्यक्र	समस्त प्रतियॉ
					2011-11 से 2020-21	श्री आर.आर. ओखंडियार	समस्त प्रतियॉ
26.	इंदौर				1959-60 से 1973-74	श्री पी.जी. देशमुख	समस्त प्रतियॉ
					1978-79 से 1992-93	श्री व्ही.पी. शुक्ला	समस्त प्रतियॉ
					2005-06 से 2014-15	श्री ए.के. श्रीवास्तव	समस्त प्रतियॉ
27	झाबुआ	1963-64 से 1972-73	श्री एस.एस. परिहार	समस्त	1965-66 से 1980-81	श्री के.के. वेकटरमन	समस्त जीर्ण अवस्था में

					1998-99 से 2007-08	श्री आर.के. गुप्ता	समस्त प्रतियोगी
					2008-09 से 2017-18	श्री राजेश कुमार	समस्त प्रतियोगी
28.	धार	1969-70 से 1978-79	श्री सी.एल. सोनी	समस्त	1989-90 से 2003-04	श्री ए.ए. बौआज	समस्त प्रतियोगी
					1965-66 से 1980-81	श्री व्ही.जी. वेकंटरमन	समस्त जीर्ण अवस्था में
					2005-06 से 2014-15	श्री एस.एस.राजपूत	समस्त प्रतियोगी
29	जबलपूर	—	—	—	1985-86 से 1994-95	श्री बी.एन. प्रसाद	समस्त प्रतियोगी
		—	—	—	1968-69 से 1982-83	श्री आर.जी. मेहता	समस्त प्रतियोगी
		—	—	—	1952-68	श्री एफ. ए. लहरी	समस्त प्रतियोगी
		—	—	—	2005-15	श्री आर. बी. सिन्हा	समस्त प्रतियोगी
30	कटनी	—	—	—	1985-86 से 1994-95	श्री बी. एन. प्रसाद	समस्त प्रतियोगी
					2005-15	श्री आर. बी. सिन्हा	समस्त प्रतियोगी
31	पूर्व मंडला	1968-69 से 1978-79	श्री जे.पी. गुप्ता	समस्त	1999-2000 से 2008- 09	श्री एम.के. सिन्हा	समस्त प्रतियोगी
					1948-49 से 1963-64	श्री जे.सी. मेहता	समस्त प्रतियोगी
					1970-71 से 1990-91	श्री एम.एस. सोलंकी	समस्त प्रतियोगी
					1964-79	श्री बी.नाथ	समस्त प्रतियोगी
					1993-94 से 2002-03	श्री .के.एस. रेडडी	समस्त प्रतियोगी
					2006-07 से 2015-16	श्री अजीत के श्रीवास्तव	समस्त प्रतियोगी
32.	प०मण्डला	1965-66 से 1974-75	श्री एम.जे. ओक	समस्त	1952-68	श्री एफ.ए. लहरी	समस्त प्रतियोगी
		1969-70 से 1978-79	श्री जे.पी. गुप्ता	समस्त	1970-93	श्री एम.एस. सोलंकी	समस्त प्रतियोगी
					1993-03	श्री के.एस. रेडडी	समस्त प्रतियोगी
					2006-16	श्री ए.के. श्रीवास्ताव	समस्त प्रतियोगी

33	डिंडोरी	-	-	-	1993-03	श्री के. एस. रेड्डी पार्ट-1क्र	समस्त प्रतियो
		-	-	-	2003-04 से 2017-18	श्री शरद तिवारी	समस्त प्रतियो
					1964-79	श्री बी.नाथ	समस्त प्रतियो
					1982-83 से 1996-97	श्री एच.व्ही. वाजपेयी	समस्त प्रतियो
					2013-14 से 2022-23	श्री मनोज अग्रवाल	समस्त प्रतियो

v/; k; 2 %eS; qy & ch&vii½

uhfr fu/kkġ .k o dk; kġo; u ds l ġk ea turk ; k
tu&i frfuf/k l s i jke' kġ ds fy; s cuk; h x; h 0; oLFkk dk
fooj .k

(Particulars of any arrangement that exists for consultation with or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof)

विभाग में नीति निर्धारण तथा कार्यान्वयन में विभिन्न स्तरों पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है तथा विभिन्न स्तरों पर जनप्रतिनिधियों से भी परामर्श का विकल्प लिया जाता है, जिससे की नीति निर्धारण जनता की अपेक्षा के अनुरूप रखा जा सके।

विभाग के अंतर्गत वन सीमा से पांच किलोमीटर के दायरे तक सीमित ग्रामों में रियायती दर पर बांस, बल्ली इत्यादि की आपूर्ति की व्यवस्था निस्तार के अंतर्गत की गई है।

इसके अतिरिक्त ग्राम वन समितियों तथा वन सुरक्षा समितियों के माध्यम से संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत कार्य में का ि यान्वयन जनता की भागीदारी के माध्यम से सम्पन्न किया जाता है।

ykdkofudh iġk ; kstuk ds varxġ rgl hy Lrjh; eW; kġdu l fefr

विभाग में लोकवार्तिकी प्रबंध योजना के अंतर्गत परिक्षेत्र स्तरीय मूल्यांकन समिति का गठन किया जाता है। इस व्यवस्था में प्रत्येक विकासखंड या उसके किसी ब्लॉक के प्रबंधन योजना के ि यान्वयन को क्षेत्रीय परिक्षेत्र अधिकारी की अध्यक्षता में सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा मानीटर किया जाता है। जिसमें एक गैर सरकारी व्यक्ति या संगठन, राजस्व विभाग और यथा स्थिति किसी ग्राम पंचायत या ग्राम सभा से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि समाविष्ट किया जाता है। समिति सक्षम प्राधिकारी को अपनी टीका-टिप्पणी तथा सिफारिशों की रिपोर्ट देती है।

v/; k; 2 %eS; qy & ch&viii½

ckM] i fj "knk] I fefr; ka , oa vU; fudk; ka dk fooj .k

(A statement of boards, council, committees and other
bodies constituted as its part)

प्रदेश में वानिकी से संबंधित निम्नलिखित संगठन एवं बोर्ड कार्यरत है :-

1. मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम
2. मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकाससहकारी संघ
3. राज्य वन अनुसंधान संस्थान मुख्यालय: जबलपुर
4. म.प्र. राज्य ईको पर्यटन विकास बोर्ड
5. म.प्र. राज्य बांस मिशन बोर्ड

v/; k; 2 %eS; qy & ch&ix½
vf/kdkfj ; ka vkSj deÞkfj ; ka dh funF' kdk
(Directory of officers and employees)

	i nuke	अधिकारी का नाम	दुरमाष
1.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	श्री अनिल ओबेरॉय	2674200
2.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)	श्री नरेन्द्र कुमार	2674206
3.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक/कार्य आयोजना	श्री अजित सोनकिया	2674230
4.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सिंरक्षणक्र	श्री रवि श्रीवास्तव	2674212
5.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक उत्पादन	डॉ. आर. पी. सिंह	2674354
6.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त / बजट)	श्री धर्मेन्द्र शुक्ला	2674228
7.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना)	श्री ए.एस. अहलावत	2674232
8.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, स्थापना प्रबंधन विन्यप्राणी	श्री सुहास कुमार	2674226
9.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रशासन-दो	श्री ज्वादा हसन	2674238
10.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकासक्र	श्री रतन पुरवार	2674216
11.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन भू-अभिलेख)	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	2573906
12.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)	श्री सी.पी. राय	2674234
13.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रशासन-एक	श्री प्रवीण कुमार चौधरी	2674214
14.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक संयुक्त वन प्रबंधन	डॉ. ए. के सिंह	2674224
15.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मानवसंसाधन)	श्रीमति डॉ. गोपा पाण्डे	2674232
16.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सिमन्वयक्र	डॉ. एल. के. चौधरी	2674240
17.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान विस्तार एवं लोकव्यापकी	श्री वाय सत्यम	2674222
18.	मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)	श्री सत्येन्द्र बहादुर	2674308
19.	मुख्य वन संरक्षक (संयुक्त वन प्रबंधन)	श्री डॉ. अजय शंकर	2763390
20.	मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)	श्री बी.के.मिश्रा	2575889
21.	मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता शिकायत)	श्री अरुण कुमार	2575888
22.	वन संरक्षक (वन्यप्राणी)	श्री गुरुप्रसाद वर्मा	2674218
23.	मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)	श्री एन.एस. डुंगरियाल	2573906
24.	मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन- I)	श्री आर.के. गुप्ता	2674340
25.	मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)	श्री बी.बी. सिंह	2762168
26.	मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन)	श्री आनंद कुमार	2572028
27.	मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन- I)	श्री सुनील अग्रवाल	2674268
28.	मुख्य वन संरक्षक (विकास)	श्री भागवत सिंह	2575888
29.	मुख्य वन संरक्षक (वित्त बजट)	श्री एच.यू. खान	2674286
30.	मुख्य वन संरक्षक (सामुदायिक वन प्रबंधन)	श्री धीरेन्द्र भार्गव	2552401

31.	मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी)	श्री धीरेन्द्र भार्गव	2674327
32.	मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)	श्री एस. के. तिवारी	2524133
33.	उप वन संरक्षक सिमन्चयक्र	श्री केशव सिंह	2674288
34.	उपवन संरक्षक भू-अभिलेखक्र	श्री सी. एम. पाण्डे	2524345
35.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी, उपवन संरक्षक रोकड़ सिमन्चयक्र	श्री आर. के. राय	2524155
36.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी, उपवन संरक्षक रोकड़ विकासक्र	श्री एम. आर. बघेल	2524180
37.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी, उपवन संरक्षक रोकड़ उत्पादनक्र	श्री यू. एन. सिंह	2524127
38.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी, उपवन संरक्षक रोकड़ अनुसंधान विस्तार एवं लोक वानिकीक्र	श्री डी. आर. वर्मा	2524384
39.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी, उपवन संरक्षक रोकड़ सिमुदायिक वन प्रबंध परियोजनाक्र	श्री ए. के. चतुर्वेदी	2524366, 2674343
40.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी उपवन संरक्षक रोकड़ विन्य प्राणीक्र	श्री जी. एस. बघेल	2674318
41.	सहायक वन संरक्षक प्रिशासन-एकक्र	श्री ए. जी. पारूलकर	2524115
42.	सहायक वन संरक्षक प्रिशासन-दोक्र	श्री व्ही. के. सक्सेना	2524137
43.	सहायक वन संरक्षक सिंरक्षणक्र	श्री डी.पी. गुप्ता	2524205
44.	सहायक वन संरक्षक भू-प्रबंधक्र	श्री अखिलेश अग्रवाल	2524275
45.	सहायक वन संरक्षक मिनव संसाधनक्र	श्री डी. आर. वर्मा	2524384
46.	सहायक वन संरक्षक सूचना प्रौद्योगिकीक्र	श्री संदीप फेलोज	2524307
47.	सहायक वन संरक्षक सिंतर्कता शिकायतक्र	श्री राजेश तिवारी	2674264
48.	सहायक वन संरक्षक किंर्य आयोजनाक्र	श्री जे. पी. पटेरिया	2674207
49.	e[; ou l j {kd} ckyk?kkV	Jh i {d} fl g	07632-241201
50.	संलग्न अधिकारी वृत्त कार्यालय, बालाघाट	श्री आर. एन. साहु	07632-241201
51.	ou e. My vf/kdkjh] mRrj] ckyk?kkV	Jh , e- , y- ykfM; k	07632-247044
52.	उपवनमण्डलाधिकारी, बैहर	श्री जी एस धुर्वे	07636-256350
53.	उपवन मण्डलाधिकारी, उकवा	श्री एस. एस. पसरीचा	07632-247044
54.	ou e. My vf/kdkjh] nf{k.k ckyk?kkV } kekl; ½	Jh , - ds xg okuh	07632-248414
55.	उपवनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बालाघाट सिमान्यक्र	श्री एम. एस. श्रीवास्तव	07632-248414
56.	उपवनमण्डलाधिकारी, लांजी	श्री डी. एल. भगत	07632-255102
57.	वन मण्डल अधिकारी, उत्तर उत्पादनक्र	श्री एच. पी. झारिया	07632-241518
58.	उपवन मण्डल अधिकारी, उत्तर उत्पादनक्रबालाघाट	श्री टी. पी. पाण्डे	07632-241518
59.	उपवन मण्डल अधिकारी, उत्पादनक्र बैहर	श्री ए. के. वासनिक	07632-241518
60.	वन मण्डल अधिकारी, दक्षिण उत्पादनक्र बालाघाट	श्री एच. सी. गुप्ता	07632-241516
61.	उपवन मण्डल अधिकारी, दक्षिण उत्पादनक्र बालाघाट	श्री एम. पी. शुक्ला	07632-241516
62.	उपवन मण्डल अधिकारी, दक्षिण बालाघाट उत्पादनक्र लांजी	श्री आर. पी. सिंह	07632-241516
63.	i {kp; } ou {k=i ky egkfo ky;} ckyk?kkV	Jh , y- , l - jkor	07632-247988
64.	अनुदेशक, वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय, बालाघाट	-	07632-247988

65.	सहायक अनुदेशक, वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय, बालाघाट	श्री जे. के. शर्मा	07632-247988
66.	सहायक अनुदेशक, वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय, बालाघाट	श्री आर. डी. उरिया	07632-247988
67.	ef; ou l j {kd} crny	Jh deys'k prpnh	07141-234396
68.	संलग्न अधिकारी वृत्त कार्यालय, बैतूल	श्री बी. पी. बाथम	07141-234396
69.	ou e. Mykf/kdkjh] mRrj cfrny ¼ kekl; ½	Jh ,-, l - frokjh	07141-234204
70.	उपवन मण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल सिमान्यक्र	श्री बी. आर. गावडे	07141-234204
71.	उपवन मण्डलाधिकारी, शाहपुर सिमान्यक्र	श्री आर. के. चौर	-
72.	उपवन मण्डलाधिकारी, सारनी सिमान्यक्र	श्री एम. एस. सोलंकी	-
73.	ou e. Mykf/kdkjh] nf{k.k cfrny ¼ kekl; ½	l at; JhokLro	07141-234266
74.	उपवनमण्डलाधिकारी आमला, सिमान्यक्र	श्री आर. के.भट्ट	07147-234266
75.	उपवनमण्डलाधिकारी मुलताई सिमान्यक्र	श्री आर. के. सक्सेना	--
76.	उपवन मण्डलाधिकारी भेंसदेही सिमान्यक्र	श्री ए.के. मिश्रा	--
77.	ou e. Mykf/kdkjh i f' pe cfrny ¼ kekl; ½	Jh , -ds, l pkyku	07141-234708
78.	उपवन मण्डलाधिकारी चिचोली सिमान्यक्र	श्री आर. एस श्रीवास्तव	07145-234708
79.	उपवन मण्डलाधिकारी तावड़ी सिमान्यक्र	श्री आई. एस गडरिया	07142-234708
80.	वन मण्डलाधिकारी बैतूल उत्पादनक्र	श्री आर. बी.एस. कुशवाह	07141-234408
81.	उपवन मण्डलाधिकारी उत्पादनक्र बैतूल	श्री के. एस. पट्टा	07141-234408
82.	उपवन मण्डलाधिकारी भौरा उत्पादनक्र	--	-
83.	उपवन मण्डलाधिकारी तावड़ी उत्पादनक्र	श्रीमति श्रद्धा पेन्डे	-
84.	उपवन मण्डलाधिकारी ताप्ती उत्पादनक्र	श्री एम. एल. कुलेश	-
85.	l pkyd] ou fo ky; cfrny	Jh nos'k dkygh	07141-234386
86.	सहायक वन संरक्षक वन विद्यालय बैतूल	श्री राजवीर सिंह	07141-234386
87.	ef; ou l j {kd vuq }kku , d foLrkj cfrny	Jh fxj/kj jko	07141-230475
88.	सहायक वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार बैतूल	श्री चंद्रशेखर सिंह	07141-230475
89.	सहायक वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार बैतूल	श्री सी. बी. गुप्ता	07141-230475
90.	ef; ou l j {kd Hkks ky	Jh egtlnz ; knodlnq	0755-2674296
91.	संलग्न अधिकारी वृत्तकार्यालय भोपाल	श्री ए. के. जैन	0755-2674296
92.	ou e. My vf/kdkjh Hkks ky] oRr Hkks ky	Jh , y- d".kefrl	0755-2674322
93.	उपवन मण्डल अधिकारी भोपाल, वृत्त भोपाल	श्री केशव सिंह	0755-2674322
94.	उपवन मण्डल अधिकारी समन्वय भोपाल	श्री पी. के. घई	0755-2674322
95.	ou e. My vf/kdkjh l hgkj	Jh ih- , y- /kheku	07562-222767
96.	उपवन मण्डल अधिकारी सीहोर	श्री जी.डी. बरबडे	07562-22267
97.	उपवन मण्डल अधिकारी बुधनी	श्री बी. पी. सिंह	07564-280803
98.	उपवन मण्डल अधिकारी सीहोर उत्पादनक्र	श्री आर. एस तोमर	07562-222767
99.	उपवन मण्डल अधिकारी बुधनी उत्पादनक्र	श्री एस.एन प्रजापति	07564-280803

100.	ou e.My vf/kdkjh] fofn'kk	Jh ,e- ds vxoky	07592-232967
101.	उपवन मण्डल अधिकारी सिमान्यक्र विदिशा	श्री जे.सी रावरा	07592-232967
102.	उपवनमण्डलाधिकारी सिरोंज सिमान्यक्र	श्री एन.के . शर्मा	07591-252880
103.	उपवन मण्डल अधिकारी गंज बसोदा सिमान्यक्र	श्री एस.एस. भदोरिया	07594
104.	ou e.My vf/kdkjh ¼ kekU; ¼ jk; l u	Jh jfolnz l DI uk	07482-222027
105.	उपवन मण्डल अधिकारी , रायसेन	श्री के.एन. सक्सेना	07482-222027
106.	उपवन मण्डल अधिकारी, सिलवानी	श्री आर. के. बैश	07484-240539
107.	वन मण्डल अधिकारी उडित्पादनक्र रायसेन	श्री ए.के. बरोनिया	07482-222110
108.	उपवन मण्डल अधिकारी उडित्पादनक्र रायसेन	श्री एस.के. खरे	07482-222110
109.	उपवन मण्डल अधिकारी उडित्पादनक्र रायसेन	श्री के.एल. सुरजन	07482-222110
110.	ou e.My vf/kdkjh vkcnf/ykxat	Jh dsih- 'kekU	07480-224062
111.	उपवन मण्डल अधिकारी , ओबेदुल्लागंज	श्री वी. के. जैन	07480-224062
112.	उपवनमण्डलाधिकारी, सुल्तानपुर, ओबेदुल्लागंज	श्री हेमन्त रायकवार	07480-243362
113.	अधीक्षक रातापानी अभ्यारण्य	श्री सी. एस. दुबे	07480-224478
114.	अधीक्षक वाडी सिंघोरीक्रअभ्यारण्य	श्री के. के. खरे	07486-263465
115.	ou e.My vf/kdkjh jktx<+	Jh dsih- ckaj	07372-255007
116.	उपवन मण्डल अधिकारी, राजगढ	श्री विनोद सक्सेना	-
117.	ef; ou l j {kd vuq #kku , o foLrkj Hkksi ky	Jh , - ds tlu-	0755-2674316
118.	सहायक वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार भोपाल	श्री ओ. पी खरे	0755-2674316
119.	सहायक वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार भोपाल	श्री एस. पी. जैन	0755-2674316
120.	l pkyd ou fogkj jk"Vh; m ku Hkksi ky	Jh ch- ih- , l ifjgkj	0755-2674278
121.	सहायक वन संरक्षक वन विहार	डॉ. एस. आर. वाघमारे	0755-2674278
122.	vij i/kku ef; ou l j {kd dk; l vk; kst uk ¼/ks=h; ½ Hkksi ky	Jh -ts ds ekglrh	0755-2421450
123.	ou l j {kd dk; l vk; kst uk Hkksi ky	Jh ,e- ds ikBd	0755-2674300
124.	ef; ou l j {kd } Nrjij	Jh , l -ds eMy	07682-242107
125.	संलग्न अधिकारी वृत्त कार्यालय छतरपुर	श्री एम. के. गोले	07682-242107
126.	ou e.My vf/kdkjh Nrjij	Jh jk?koslnz JhokLro	07682-245316
127.	उपवन मण्डल अधिकारी, छतरपुर	श्री वासु कनोजिया	-
128.	उपवन मण्डल अधिकारी, बिजावर	श्री एम.के. परिहार	-
129.	उपवन मण्डल अधिकारी , वक्सवाहा	श्री आर. के. अवधिया	-
130.	ou e.My vf/kdkjh mRrj i lUuk	Jh , l ds xqrk	07732-252029
131.	उपवन मण्डल अधिकारी उत्तर पन्ना	श्री जे. एस. बराच	-
132.	उपवन मण्डल अधिकारी विश्रामगंज	श्री आर. के. निरंजन	-
133.	वन मण्डल अधिकारी दक्षिण पन्ना	श्री आर. सी. विश्वकर्मा	07732-252016
134.	उपवन मण्डल अधिकारी, कलदा	श्री यू. पी.एस. गहरवार	-
135.	उपवन मण्डल अधिकारी, पवई	श्री आर. सी त्रिपाठी	-
136.	ou e.My vf/kdkjh] Vhdex<+	Jh ,e- l h- fl #ky	07683-245315
137.	उपवन मण्डल अधिकारी, टीकमगढ	श्री टी. एस. उइके	-
138.	उपवन मण्डल अधिकारी, निवारी, टीकमगढ	श्री डी. एस. चौहान	-
139.	{ks= l pkyd} jk"Vh; m ku} i lUuk	Jh vkj fuokl efkhz	07732-252135
140.	mi l pkyd} jk"Vh; m ku} i lUuk	Jh vuq e l gk;	07732-252135

141.	सहायक संचालक, राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना	श्री एम. पी. ताम्रकार	07732-252135
142.	सहायक संचालक, राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना मिडलाक्र	श्री कु. अंजना एस. तिकी	07732-252135
143.	अधीक्षक केन घडियाल अभ्यारण्य खजुराहो	श्री वाय. के. पारधे	-
144.	eu ; ou l j {kd} fNnokMk	Jh vrgy JhokLro	07162-245470
145.	संलग्न अधिकारी, वृत्त कार्यालय, छिंदवाड़ा	श्री एस. के. एस तिवारी	07162-245470
146.	ou e. My vf/kdkjh] i 0z ¼ keku; ½ fNnokMk	Jh v'kkd dpej	07162-243457
147.	उपवन मण्डल अधिकारी, सिमान्यक्र छिंदवाड़ा	श्री रितेश सिरोठिया	07162-243457
148.	उपवन मण्डल अधिकारी, अमरवारा सिमान्यक्रछिंदवाड़ा	श्री बी. के. कनकरिया	07167-222545
149.	ou e. My vf/kdkjh] i f' pe ¼ keku; ½ fNnokMk	Jh , u- ds l ukfB; k	07162-243458
150.	उपवन मण्डल अधिकारी, परासिया	श्री आबिद खान	07162-243458
151.	उपवन मण्डल अधिकारी, तामिया	श्री जे के पारवेकर	07149-272221
152.	ou e. My vf/kdkjh] nf{k. k ¼ keku; ¼ fNnokMk	Jh i z kkr dpej fl g	07162-243459
153.	उपवन मण्डल अधिकारी, सिलेवानी	श्री जे. एस. मरावी	07162-243459
154.	उपवन मण्डल अधिकारी, सौंसर	श्री वी. सी. मेशराम	07165-220102
155.	वन मण्डल अधिकारी, पश्चिम उत्पादनक्रछिंदवाड़ा	श्रीमति राखी नंदा	07162-243460
156.	उपवन मण्डल अधिकारी, पश्चिम उत्पादनक्रछिंदवाड़ा	श्री वी. सी. मेशराम	07162-243460
157.	उपवन मण्डल अधिकारी, उत्पादनक्र अमरवाड़ा	श्री डी. के. मिश्रा	07167-223508
158.	उपवन मण्डल अधिकारी, उत्पादनक्र तामिया	श्री के. एल. कांवरे	-
159.	उपवन मण्डल अधिकारी, उत्पादनक्र सौंसर	श्री एम. के. खरे	-
160.	eu ; ou l j {kd dk; l vk; kstuk} fNnokMk	Jh fprjatu R; kxh	07162-243462
161.	eu ; ou l j {kd} Xokfy; j	Jh , l i h j ; ky	0751-2340050
162.	संलग्न अधिकारी, वृत्त कार्यालय ग्वालियर	श्री राजीव कौशल	0751-2340050
163.	ou e. My vf/kdkjh Xokfy; j	Jh vrgy [kjk	0751-2341166
164.	उपवन मण्डल अधिकारी ग्वालियर	श्री आर.के. सक्सेना	0751-2341166
165.	उपवन मण्डल अधिकारी घाटीगांव	श्री जी.एल.जोनवर	-
166.	अधीक्षक, सोनचिडिया अभ्यारण्य, ग्वालियर	श्री आर. सी. शर्मा	0751-2341166
167.	ou e. My vf/kdkjh nfr; k	Jh l h-, l - fuukek	07522-237467
168.	उपवन मण्डल अधिकारी दतिया	श्री एल.पी. शर्मा	-
169.	ou e. My vf/kdkjh] flkM	Jh folI w/ jghe	07534-233948
170.	उपवन मण्डल अधिकारी भिंड	श्री ओ.पी. श्रीवास्तव	7534-233948
171.	ou e. My vf/kdkjh] ej suk	Jh folI w/ jghe	07532-234742
172.	उपवन मण्डल अधिकारी मुरैना	श्री आर.एस. नरवरिया	7532-234742
173.	उपवन मण्डल अधिकारी सबलगढ़	श्री योगेश झारिया	7536-253660
174.	अधीक्षक, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मुरैना	-	07532-240995
175.	अधीक्षक, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, श्यापुर	श्री ए. एस भदोरिया	-
176.	अधीक्षक, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, भिण्ड	श्री अजय पटोरिया	-

177.	ou e.My vf/kdkjh ' ; kī g	Jh vkj- , l - vykok	07530-220002
178.	उपवन मण्डल अधिकारी श्योपुर	श्री राकेश शर्मा डामर	7530-220002
179.	उपवन मण्डल अधिकारी, विजयपुर	श्री जे. पी. शर्मा	7528-266256
180.	उपवन मण्डल अधिकारी करहाल	श्री आलोक वर्मा	7530-262274
181.	ou l j {kd yk; u i kst.ØV Xokfy; j	Jh foJke l kxj 'kekI	0751-2235290
182.	ou e.My vf/kdkjh dnuks ' ; kī g %oll; i k. kh½ ' ; kī g dyk	Jh vkj- dsfeJk	07530-220004
183.	उपवन मण्डल अधिकारी, कूनो , पोहरी	श्री जे. पी. शर्मा	7490-244340
184.	उपवन मण्डल अधिकारी, कूनो विजयपुर	श्री एल. बी. गोयल	-
185.	ef; ; ou l j {kd vuq ųkku , Ø foLrkj Xokfy; j	Jh vks ih- pkųkjh	0751-2427962
186.	सहायक वन संरक्षक, अिनु. वि.क्र ग्वालियर	श्री ए. के. दुबे	0751-2427962
187.	सहायक वन संरक्षक, अिनु. वि.क्र ग्वालियर	श्री ए. के. तिवारी	0751-2427962
188.	ou l j {kd dk; l vk; kst uk Xokfy; j	Jh , e- dkyhngj bI	0751-2232292
189.	ef; ; ou l j {kd} gkų kųckkn	Jh th- d" .kefrI	07574-252521
190.	संलग्न अधिकारी वृत्त कार्यालय , होशंगाबाद	श्री योहन कटारा	07574-252521
191.	ou e.My vf/kdkjh gkų kųckkn	Jh ds, l - Hknkfj ; k	07574-254178
192.	उपवन मण्डल अधिकारी होशंगाबाद	श्री एस. एस. मेहता	-
193.	उपवन मण्डल अधिकारी सोहागपुर	श्री एच.एच. मांझी	-
194.	उपवन मण्डल अधिकारी, सिवनीमालवा	श्री ओ. एस. मर्शकोले	-
195.	सहायक अनुदेशक वन विद्यालय पचमढी	श्री जे. एस. दिलवरिया	-
196.	{k= l pkyd l ri M k jk"Vh; m ku i pe<h ef; ; ky; gkų kųckkn	Jh vkj- ih- fl g	07574-254394
197.	mi l pkyd jk"Vh; m ku gkų kųckkn	Jh , - ds feJk	07574-254394
198.	सहायक क्षेत्र संचालक पचमढी	श्री के. एस. सेंगर	07578-285012
199.	अधीक्षक पचमढी अभ्यारण्य	श्री वी. एस. यादव	07578-252626
200.	अधीक्षक बोरी अभ्यारण्य, इंदौरसीकर	श्री आर एस चौहान	07572-230016
201.	उपवन मण्डल अधिकारी, बफर जोन, पिपरिया	श्री एन .के. वर्मा	-
202.	ou e.My vf/kdkjh ų kekl; ½ gjnk	Jh ih- , l - pų kor	07577-222003
203.	उपवन मण्डल अधिकारी , उत्तर हरदा	श्री आर. एस. ठाकुर	07577-222003
204.	उपवन मण्डल अधिकारी, दक्षिण हरदा	श्री आर. बी. सिद्ध	07577-222003
205.	वन मण्डल अधिकारी उत्पादनक्रहरदा	श्री मधु वी राज	07577-222025
206.	उपवन मण्डल अधिकारी , उत्तर उत्पादनक्रहरदा	श्री जी पी सोनी	07577-222025
207.	उपवन मण्डल अधिकारी, दक्षिण उत्पादनक्रहरदा	श्री एम.एस. चौहान	07577-222025
208.	ef; ; ou l j {kd} bnkų	Jh vkj- vkj- vks[kųM; kj	0731-2491831
209.	संलग्न अधिकारी वृत्त कार्यालय, इंदौर	श्री ए. के. जैन	0731-2491831
210.	ou e.My vf/kdkjh bnkų	Jh , - ds tkų kh	0731-2490239
211.	उपवन मण्डल अधिकारी इंदौर	श्री बी.पी. पटेल	0731-2490239
212.	उपवन मण्डल अधिकारी रालामंडल	श्री अशोक खराटे	0731-2490239
213.	उपवन मण्डल अधिकारी महु	श्री गौरव चौधरी	07324-273619
214.	ou e.My vf/kdkjh /kkj	Jh Mh- ds i kyhoky	07292-222250

215.	उपवन मण्डल अधिकारी धार	श्री आर. पी. सिंह	07292-222250
216.	उपवन मण्डल अधिकारी सरदारपुर	श्री एस. के. महिवाल	07296-235797
217.	ou e.My vf/kdkjh] >kcqk	Jh ukgj fl g	07392-243316
218.	उपवन मण्डल अधिकारी झाबुआ	श्री गौतम ताडवी	07392-243316
219.	l pkyd] ou fo ky; >kcqk	Jh ukgj fl g	07392-244542
220.	अनुदेशक वन विद्यालय, झाबुआ	श्री आर सी गेहलोत	07392-244542
221.	ou e.My vf/kdkjh vyhjkt i g	Jh vkj- , l - fl djokj	07394-233530
222.	उपवन मण्डल अधिकारी भाबरा	श्री रमेश राठोर	07393-271055
223.	उपवन मण्डल अधिकारी अलीराजपुर	श्री एम. एस. डाबर	07394-234530
224.	ed; ou l j {kd vuq #kku , d foLrkj blnkj	Jh l rh'k fl ykoV	0731-2461292
225.	सहायक वन संरक्षक अिनु. वि.क्रइन्दौर	श्री आर. एन. सक्सेना	0731-2461292
226.	सहायक वन संरक्षक अिनु. वि.क्रइन्दौर	श्री आर. एस. रावत	0731-2461292
227.	ed; ou l j {kd vuq #kku , d foLrkj >kcqk	Jh ine fl g	07392-243837
228.	सहायक वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार झाबुआ	श्री बी. एम. शर्मा	-
229.	ou l j {kd %ou; i k.kh% blnkj	Jh , - ds tks kh	-
230.	vi j i /kku ed; ou l j {kd dk; l vk; kst uk %ks=h; % blnkj	Jh 'ks'ke.kh i k.Ms	0731-2490613
231.	ou l j {kd %dk; l vk; kst uk% blnkj	Jh ch- , l vLuhxjh	0731-2491676
232.	ed; ou l j {kd tcyi g	Jh jkt'sk d'ekj	0761-2624341
233.	संलग्न अधिकारी वृत्त कार्यालय, जबलपुर	श्री एम. एन त्रिवेदी	0761-2624341
234.	ou e.My vf/kdkjh tcyi g]	Jh , p-, l - ekgrk	0761-2624195
235.	उपवन मण्डल अधिकारी जबलपुर	श्री संजीव झा	0761-2624195
236.	उपवन मण्डल अधिकारी सिहोरा	श्री ए.के. शर्मा	-
237.	ou e.My vf/kdkjh] dVuh	Jh ds , l - vykok	07622-227417
238.	उपवन मण्डल अधिकारी, पूर्व कटनी	श्री एम. एल. सोनी	7622-227417
239.	उपवन मण्डल अधिकारी, पश्चिम कटनी	श्री जी. एस. गौतम	7622-227417
240.	ou e.My vf/kdkjh] i f' pe % kekl; %e .Myk	Jh , - ds cd y	07642-251014
241.	उपवन मण्डल अधिकारी, महाराजपुर	श्री राघवेन्द्र सिंह	7642
242.	उपवन मण्डल अधिकारी, निवास	श्री पी. एन. मिश्रा	7641
243.	ou e.My vf/kdkjh i w% kekl; % e .Myk	Jh ykyth feJk	252423
244.	उपवन मण्डल अधिकारी जगमण्डल	श्री टी. एस. कुम्हरे	7642-252423
245.	उपवन मण्डल अधिकारी बिछिया	श्री जी. एस. धुर्वे	7642-
246.	ou e.My vf/kdkjh %mRi knu% e .Myk	Jh l at; ekqkj l	07642-252449
247.	उपवन मण्डल अधिकारी उत्पादनक्र महाराजपुर	श्री बी. आर. पाठक	7642
248.	उपवन मण्डल अधिकारी उत्पादनक्र बिछिया	श्री कपिल शर्मा	7642
249.	उपवन मण्डल अधिकारी उत्पादनक्र बरेला	श्री ए. के. हजारी	7642
250.	उपवन मण्डल अधिकारी उत्पादन निवासक्र	श्री एस के मिश्रा	-
251.	ou e.My vf/kdkjh % kekl; % fMMkj h	Jh , y- i h- frokj h	07644-234024
252.	उपवन मण्डल अधिकारी सिमान्यक्र डिंडोरी	श्री ए. के. शर्मा	7644-234400
253.	उपवन मण्डल अधिकारी सिमान्यक्र गड़ासरई	श्री वी. के. अतुलकर	7644-234400

254.	उपवन मण्डल अधिकारी सिमान्यक्र शाहपुरा	श्री एस. सी. खरे	7640-230194
255.	वन मण्डल अधिकारी उत्पादनक्रडिंडोरी	श्री लखनलाल उइके	07644-234312
256.	उपवन मण्डल अधिकारी उत्पादनक्र गडसराई	श्री अशोक कुमार शुक्ला	-
257.	उपवन मण्डल अधिकारी उत्पादनक्र डिंडोरी	श्री अशोक कुमार सोलंकी	-
258.	ou e.My vf/kdkjh ½dkw/ ds k½ tcyij	-	0761-2629115
259.	सहायक वन संरक्षक, किर्त केशक्र जबलपुर	श्री एम .एन त्रिवेदी	0761-2629115
260.	{ks- l pkyd dklgk Vkbxj fj to/ e.Myk	Jh ts , l - pkyku	7642-250760
261.	उप संचालक कान्हा टाईगर रिजर्व कौरक्रमण्डला	श्री ओ पी. तिवारी	7642-250760
262.	उप संचालक कान्हा टाईगर रिजर्व बफर मण्डला	श्री पी. एस. मशरम	7642-250760
263.	सहायक संचालक सिझोरा	श्री राघवेन्द्र बिसन	7642-250760
264.	सहायक संचालक मलाजखंड	श्री ए.के. भोयार	7642-250760
265.	सहायक संचालक हालोन	श्री राजेन्द्र सिंह	7642-250760
266.	सहायक संचालक फेन	श्री पी.के. वर्मा	7642-250760
267.	vij i/ kku e[; ou l j {kd dk; l vk; kstuk ½ks-h; ½ tcyij	Jh , e- l h- 'kek/	0761-2625166
268.	ou l j {kd dk; l vk; kstuk tcyij	Jhefr dekfydk ekg/urk	0761-2624075
269.	ou l j {kd dk; l vk; kstuk ckyk?kkV e[; ky; tcyij	Jh vkj- ds i k Bd	0761-2625166
270.	e[; ou l j {kd vuq /kku , d foLrkj tcyij	Jh , p- vks 'ka/ kokj	0761-2668554
271.	सहायक वन संरक्षक, अनुसंधान एवं विस्तार जबलपुर	श्री के. एल लाडिया	0761-2668554
272.	e[; ou l j {kd} [kMok	Jh i adt JhokLro	0733-2224120
273.	संलग्न अधिकारी वृत्त कार्यालय, खंडवा	श्री एस. एस पाण्डे	0733-2224120
274.	ou e.My vf/kdkjh ½ kekl; ½ [kMok	Jh , - ds Hkxk/ncdj	0733-2223244
275.	उपवन मण्डल अधिकारी सिमान्यक्र खंडवा	श्री आर डी सिंह	0733-2223244
276.	उपवन मण्डल अधिकारी सिमान्यक्र पुनासा	श्री एच. एस. ठाकुर	-
277.	उपवन मण्डल अधिकारी सिमान्यक्रपूर्व कालीभीत	श्री डी. एस. डोडवे	-
278.	उपवन मण्डल अधिकारी सिमान्यक्र पश्चिम कालीभीत	श्री के.एस. मशराम	-
279.	वन मण्डल अधिकारी उत्पादनक्रखंडवा	श्री पी.जी. फुलझेले	0733-2223221
280.	उपवन मण्डल अधिकारी उत्पादनक्र खंडवा	श्री के. के. गोखले	-
281.	उपवन मण्डल अधिकारी उत्पादनक्रपूर्व कालीभीत	श्री के. के. गोखले	-
282.	उपवन मण्डल अधिकारी उत्पादनक्र पुनासा	श्री के. सी. बटकरे	-
283.	उपवन मण्डल अधिकारी उत्पादनक्र पश्चिम कालीभीत	श्री सोमकुंवर	-
284.	ou e.My vf/kdkjh} c j gkui j	Jh , - ds fl g	07325-251280
285.	उपवन मण्डल अधिकारी बुरहानपुर	श्री एम.एल. हरित	07325-251280
286.	उपवन मण्डल अधिकारी नेपानगर	श्री के. एस. सूर्या	-
287.	ou e.My vf/kdkjh} [kj xku	Jh ts vkj- okLdys	07282-233982

288.	उपवन मण्डल अधिकारी विस्तान	श्री सी. एच. चौहान	07282-233982
289.	उपवन मण्डल अधिकारी भीकनगांव	श्री आर. सी. डामोर	07288-201969
290.	ou e.My vf/kdkjh cMokg	Jh foØe fl g i fjgkj	07280-222154
291.	उपवन मण्डल अधिकारी बड़वाह	श्री आर. के. मिश्रा	-
292.	उपवन मण्डल अधिकारी मण्डलेश्वर	सुश्री प्रतिभा अहिरवार	-
293.	ou e.My vf/kdkjh] cMokuh	Jh crtšlnz >k	07290-222038
294.	उपवन मण्डल अधिकारी बड़वानी	श्री एस. एल. भार्गव	-
295.	उपवन मण्डल अधिकारी पाटी	श्री एम.एल. नांदले	-
296.	ou e.My vf/kdkjh] l kkok	Jh , - ds - ik.Ms	07281-228409
297.	उपवन मण्डल अधिकारी सेंधवा	श्री जी. एस. भार्गव	-
298.	उपवन मण्डल अधिकारी बड़वाली	श्री ए. के. हनुवते	-
299.	ef; ou l j {kd vuq ųku , Ø foLrkj [kMok	Jh l at; 'kØpyk	0733-2223265
300.	सहायक वन संरक्षक अनुसंधान एवं विकास खंडवा	श्री पी. के. रावत	0733-2223265
301.	सहायक अनुसंधान एवं विकास खंडवा	श्री एन. एल अहिरवार	0733-2223265
302.	ou l j {kd dk; l vk; kstuk [kMok	Jh , - ds HkØkndj	0733-2222705
303.	ef; ou l j {kd} jhok	Jh i h- ds fl g	07662-242098
304.	ou e.My vf/kdkjh] jhok	Jh fodkl dØkj oekl	07662-254335
305.	उपवन मण्डल अधिकारी रीवा	श्री एस. के. श्रीवास्तव	-
306.	उपवन मण्डल अधिकारी मउगंज	श्री आर . एल. एस. परस्ते	-
307.	अनुदेशक वन विद्यालय गोविन्दगढ़	श्री ए. के. मिश्रा	07662-261653
308.	ou e.My vf/kdkjh] l ruk	Jh futke dØš kh	07672-223355
309.	उपवन मण्डल अधिकारी सतना	श्री एन. एस. परिहार	-
310.	उपवन मण्डल अधिकारी चित्रकूट	श्री रामाश्रय पाण्डे	-
311.	उपवन मण्डल अधिकारी मैहर	श्री आर. के. चौहान	-
312.	ou e.My vf/kdkjh] fl xjksyh	Jh , l - ds fl g	07805-268606
313.	उपवन मण्डल अधिकारी, वैढन	श्री आर. एस. चंदेल	-
314.	उपवन मण्डल अधिकारी देवसर	श्री पी. पी. एस. परिहार	-
315.	उपवन मण्डल अधिकारी गोरवी	श्री आर. एन. वर्मा	-
316.	ou e.My vf/kdkjh] l h/kh	Jh vkj- ch- 'kekł	07822-252235
317.	उपवन मण्डल अधिकारी सीधी	श्री एस. पी. एस गहरवार	-
318.	उपवन मण्डल अधिकारी मझोली	श्री ए. पी. एस. सेंगर	-
319.	उपवन मण्डल अधिकारी रित्पादनक्र सीधी	श्री एस. पी. मिश्रा	-
320.	{k= l pkyd jk"Vh; m ku l at; Vkbxj fj to l h/kh	Jh ds jeu	07822-252409
321.	उप संचालक राष्ट्रीय उद्यान सीधी	श्री पी. के. वर्मा	-
322.	सहायक क्षेत्र संचालक राष्ट्रीय उद्यान सीधी	श्री के. पी. सिंह	-
323.	अधीक्षक बगदरा	श्री नरेन्द्र सिंह	-
324.	अधीक्षक सोन घड़ियाल	श्री के. पी. त्रिपाठी	-
325.	अधीक्षक संजय दुबरी अभ्यारण	बी. एस. गौर	-
326.	ef; ou l j {kd vuq ųku , Ø foLrkj jhok	Jh v'kkcd HkkfV; k	07662-256493
327.	सहायक वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार रीवा	Jh , e- , e- f}onh	07662-256493
328.	ou l j {kd dk; l vk; kstuk jhok	Jh i nhi okl Øok	07662-253571
329.	ef; ou l j {kd} l kxj	Jh vfr ds JhokLro	07582-236262
330.	संलग्न अधिकारी वृत्त कार्यालय सागर	श्री पी. एस. बरकडे	07582-236262
331.	ou e.My vf/kdkjh] mRr-j l kxj	Jh , - ds fl g	07582-236337

332.	उपवन मण्डल अधिकारी, उत्तर सागर	श्री एस. के. प्रजापति	07582-236337
333.	उपवन मण्डल अधिकारी, बंडा	श्री आर. के. श्रीवास्तव	-
334.	ou e.My vf/kdkjh nf{k.k l kxj	Jh , l - i h - , l -frokjh	07582-236215
335.	उपवन मण्डल अधिकारी, दक्षिण सागर	श्री एम. एस. चौहान	07582-236215
336.	उपवन मण्डल अधिकारी देवरी	श्री आर. के. जाधव	-
337.	वन मण्डल अधिकारी दमोह	श्री टी. एस. चतुर्वेदी	07812-222541
338.	उपवन मण्डल अधिकारी दमोह	श्री एम. एस. उइके	-
339.	उपवन मण्डल अधिकारी तेन्दूखेडा	श्री वी. के. दुवे.	-
340.	ou e.Mykf/kdkjh %ou; i k.kh% ou e.My ukjkngh	Jh ts nok i d kn	07582-236867
341.	सहायक वन संरक्षक वन्यप्राणी रहली	श्री एच के सोनी	07585-256239
342.	सहायक वन संरक्षक वन्यप्राणी वरमान	श्री व्ही के मिश्रा	07793-275777
343.	ef; ou l j {kd vuq #kku , o foLrkj l kxj	Jh vktkn fl g nokl	07582-236278
344.	सहायक वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार सागर	श्री जी.एस. चौहान	07582-236278
345.	ef; ou l j {kd} fl ouh	Jh , - ds JhokLro	07692-220594
346.	संलग्न अधिकारी वृत्त कार्यालय सिवनी	श्रीमति भारती ठाकरे	07692-220594
347.	ou e.My vf/kdkjh % kkk; % nf{k.k fl ouh	Jh vkj - , l - dkgjh	07692-220530
348.	उपवन मण्डल अधिकारी सिमान्यक्रसिवनी	श्री जे. पी. शिवहरे	-
349.	उपवन मण्डल अधिकारी सिमान्यक्र रूखड.	श्री जी. के. वारकडे	-
350.	उपवन मण्डल अधिकारी सिमान्यक्र केवलारी	श्री आर .बी. सिंह	-
351.	ou e.My vf/kdkjh % kkk; % mRRkj fl ouh	Jh ok; - i h - fl g	07692-220556
352.	उपवन मण्डल अधिकारी छपारा	श्री आर. एन. त्रिपाठी	-
353.	उपवन मण्डल अधिकारी लखनादौन	श्री डी.के. वासनिक	-
354.	वन मण्डल अधिकारी उत्पादनक्रदक्षिण सिवनी	श्री बी. एस. बघेल	07692-220554
355.	उपवन मण्डल अधिकारी उत्पादनक्र सिवनी	श्री डी. के . गौर	-
356.	उपवन मण्डल अधिकारी उत्पादनक्र रूखड	श्री आर. एन.शर्मा	-
357.	ou e.My vf/kdkjh %mRi knu% mRrj fl ouh	Jh ch - , l - c?ky	07692-220554
358.	उपवन मण्डल अधिकारी उत्पादनक्र धूसा	श्री के. बी सिंह	-
359.	उपवन मण्डल अधिकारी उत्पादनक्र छपारा	-	-
360.	उपवन मण्डल अधिकारी उत्पादनक्र केवलारी	श्री जे. एस. घटोरिया	-
361.	l pkyd] ou fo ky; y [kuknk&	Jh ok; i h - fl g	07690-240601
362.	अनुदेशक वन विद्यालय लखनादौन	श्री रजनीश पाण्डेय	07690-240601
363.	ou e.My vf/kdkjh ujfl gij	Jh , l - , l - jkor	07792-230624
364.	उपवन मण्डल अधिकारी नरसिंहपुर	श्री एम. डी. सिंह राजपुत	-
365.	उपवन मण्डल अधिकारी बरमान	श्री एम. एस. भागेडिया	-
366.	उपवन मण्डल अधिकारी गाडरवारा	श्रीमति डी. पुंछमाई	-
367.	उपवन मण्डल अधिकारी गोटेगांव	श्री एम. एस. भागेडिया	-
368.	{k= l pkyd i p jk"Vh; m ku] fl ouh	Jh vkykd dækj	07692-223794
369.	mi l pkyd i p jk"Vh; m ku] fl ouh	Mk- Jhefr fdju fcl u	07692-223794

370.	सहायक वन संरक्षक पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी	श्री सुमुख जोशी	07692-223794
371.	सहायक वन संरक्षक पेंच अभ्यारण्य] सिवनी	श्री आनन्द गोस्वामी	07692-223794
372.	सहायक वन संरक्षक पेंच राष्ट्रीय उद्यान छिंदवाडा	श्री एन. एस. कोरचे	07692-223794
373.	ef; ou l j {kd vuq rku , o foLrkj fl ouh	Jh , - oh- xprk	07692-221395
374.	l gk; d ou l j {kd %vuq , oaf o-½ fl ouh	Jh , l - , y- l kdr	07692-221395
375.	l gk; d ou l j {kd %vuq , oaf o-½ ckyk?kkV	Jh ok; - ih- pkks	-
376.	l gk; d ou l j {kd %vuq , oaf o-½ ujfl gij	Jh , l - , y- l kdr	-
377.	ef; ou l j {kd} 'kgMksy	Jh fou; ds oeL	07652-245361
378.	संलग्न अधिकारी शहडोल वृत्त कार्यालय शहडोल	श्री व्ही के पाण्डे	07652-245361
379.	ou e.My vf/kdkjh} mRrj 'kgMksy	Jh vt; iky fl g	07652-245167
380.	उपवन मण्डल अधिकारी जयसिंहनगर	श्री आर. एन. चौधरी	-
381.	उपवन मण्डल अधिकारी ब्योहारी	श्री एस. पी. त्रिपाठी	-
382.	ou e.My vf/kdkjh} nf{k.k 'kgMksy	Jh dsds Hkkj }kt	07652-240304
383.	उपवन मण्डल अधिकारी सोहागपुर	श्री व्यास मुनि पाण्डे	-
384.	उपवन मण्डल अधिकारी जैतपुर	श्री योगेश तिवारी	-
385.	l pkyd] ou fo ky; vej d d	Jh ; w ds 'kek	07629-269342
386.	अनुदेशक, वन विद्यालय अमरकंटक	श्री एम. एल पगारे	07629-269342
387.	ou e.My vf/kdkjh} mefj ; k	Jh vkj- ih- l - c?ksy	07653-222217
388.	उपवन मण्डल अधिकारी उमरिया	श्री अनिल चोपड़ा	-
389.	उपवन मण्डल अधिकारी पाली	श्री ए. के. तिवारी	-
390.	ou e.My vf/kdkjh} vu i j	Jh Mh- ds ds k	07659-222038
391.	उपवन मण्डल अधिकारी अनूपपुर	श्री एच. पी. शुक्ला	-
392.	उपवन मण्डल अधिकारी राजेन्द्रग्राम	श्री ओ. जी. गोस्वामी	-
393.	{k= l pkyd ck/kox<+Vkbxj fj to l mefj ; k	Jh l h- , p- ej yhd".ku	07653-222214
394.	mi l pkyd ck/kox<+Vkbxj fj to l mefj ; k	Jh Mh-l h- xprk	&
395.	सहायक वन संरक्षक विंफरकरुमरिया	श्री आर. पी. मिश्रा	-
396.	सहायक संचालक ताला	श्री ए. के. जोशी	-
397.	अधीक्षक पनपथा अभ्यारण	श्री ए. के. शर्मा	-
398.	सहायक वन संरक्षक, बफर जोन मानपुर	श्री मनोज कटारिया	-
399.	ou l j {kd} dk; l vk; kst uk 'kgMksy	Jh , l - ds 'kek	07652-245189
400.	ef; ou l j {kd} f'koi gh	Jh vkj- ds JhokLro	07492-223392
401.	ou e.My vf/kdkjh} f'koi gh	Jh Mh- ds vxoky	07492-221012
402.	उपवन मण्डल अधिकारी शिवपुरी	श्री डी. के. राजोरा	-
403.	उपवन मण्डल अधिकारी करेरा	श्री बी. पी. उपाध्याय	-
404.	l pkyd] ou fo ky; f'koi gh	Jh Vh- , l l fy; k	07492-22360
405.	vuq's kd] ou fo ky; f'koi gh	Jh , - ds voLFkh	07492-22360
406.	ou e.My vf/kdkjh} xpk	Jh vt; d'pkj ; kno	07542-259650
407.	उपवन मण्डल अधिकारी गुना	श्री एम.बी. शिरसाया	-
408.	उपवन मण्डल अधिकारी बीनागंज	श्री संदीप शुक्ला	-
409.	उपवन मण्डल अधिकारी बमोरी	श्री सी. एस. राठोर	-

410.	ou e.My vf/kdkjh v'kkcluxj	Jh vks ih- mprfM; k	07543-221120
411.	उपवन मण्डल अधिकारी अशोक नगर	श्री टी.एस. परते	-
412.	उपवन मण्डल अधिकारी चंदेरी	श्री टी.एस. परते	-
413.	ou l j {kd dk; l vk; kstuk f'koi gh	Jh fnyhi d;ekj	07492-222570
414.	l pkyd ek/ko jk"Vh; m l ku f'koi gh	, l - , l - xkj	07492-223379
415.	सहायक संचालक शिवपुरी	श्री आर. एस. विरोलिया	-
416.	अधीक्षक करेरा अभ्यारण	श्री बी. एस. चौहान	-
417.	ed; ou l j {kd} mTtũ	Jh ih- ih- nps	0734-2512101
418.	ou e.My vf/kdkjh mTtũ	Jhefr ih-ih- ckyd".ku	0734-2512104
419.	उपवन मण्डल अधिकारी उज्जैन	श्री हरीश दिक्षीत	-
420.	ou e.My vf/kdkjh jryke	Jh vkj- ih- jk;	07412-270418
421.	उपवन मण्डल अधिकारी रतलाम	श्री बी. पी. पंवार	-
422.	ou e.My vf/kdkjh enl kj	Jh vkj- , u- oekl	07422-255519
423.	उपवन मण्डल अधिकारी मंदसोर	श्री एच.एस. खिरची	-
424.	अधीक्षक गाँधी सागर अभ्यारण्य	श्री एस. एल यादव	07427-237102
425.	ou e.My vf/kdkjh uhep	Jh eglnz fl l kfn; k	07423-226605
426.	उपवन मण्डल अधिकारी नीमच	श्री आर. सी. चौबे	-
427.	उपवन मण्डल अधिकारी मनासा	श्री जे. एल. कोलार	-
428.	ou e.My vf/kdkjh %l kekl; %nokl	Jh l bh [kku	07272-253020
429.	उपवन मण्डल अधिकारी देवास	श्री आर. के. गुप्ता	-
430.	उपवन मण्डल अधिकारी बागली	श्री पी. सी. दायमा	-
431.	उपवन मण्डल अधिकारी कन्नोद	श्री पी. के. पाराशर	-
432.	ou e.My vf/kdkjh %mRi knu% nokl	Jh eukst vxoky	07272-251364
433.	उपवन मण्डल अधिकारी उर्दितादनक्र देवास	श्री वी. के. त्रिपाठी	-
434.	उपवन मण्डल अधिकारी उर्दितादनक्र बागली	श्री आर के. सक्सेना	-
435.	ou e.My vf/kdkjh] 'kktki j	Jhefr ih-ih- ckyd".kuu	07364-227157
436.	उपवन मण्डल अधिकारी शाजापुर	श्री राकेश लहरी	-
437.	ed; ou l j {kd vuq #kku , o foLrkj jryke	Jh fujdkj fl g	07412-235131
438.	सहायक वन संरक्षक अनु. वि. रतलाम	श्री डी. सी व्यास	07412-235131
439.	ed; ou l j {kd dk; l vk; kstuk mTtũ	श्री मोहन मीणा	0734-2514370

अध्याय 2 मिन्नुअल - बी-Xक्र

i R; d vf/kdkjh vksj depkjh }kjk i klr ekfl d i kfj Jfed vksj ml ds fu/kkZ .k dh i) fr

(The monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in regulations)

विभाग के अंतर्गत प्रदेश में भारतीय वन सेवा तथा राज्य वन सेवा के अधिकारियों की पदस्थिति के अतिरिक्त कार्यपालिक अमले के अंतर्गत वन क्षेत्रपाल, उप वनक्षेत्रपाल, वनपाल एवं वनरक्षक तथा लिपिकीय अमले के अंतर्गत विभिन्न स्तर के लिपिक वर्गीय कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनके वेतनमान निम्नानुसार हैं:-

अधिकारी/कर्मचारी का पद नामन	orueku % i ; %	xM is
Hkkjrh; ou l ok ds varxr		
प्रधान मुख्य वन संरक्षक डिपेक्सक्र	80000	निरंक
प्रधान मुख्य वन संरक्षक	75500-80000	
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	67000-79000	निरंक
मुख्य वन संरक्षक	37400-67000	10000
वन संरक्षक	37400-67000	8900
उप वन संरक्षक सिंलेक्शन ग्रेडक्र	37400-67000	8700
उप वन संरक्षक जिूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेडक्र	15600-39100	7600
उप वन संरक्षक विरिष्ठ वेतनमानक्र	15600-39100	6600
उप वन संरक्षक किनिष्ठ वेतनमानक्र	15600-39100	5400

jkt; ou l ok ds varxr %i pjjhf{kr d jus l s i d %

उप वन संरक्षक प्रिंवर श्रेणी वेतनमानक्र	15600-39100 + 7600 गड़े पे
उप वन संरक्षक विरिष्ठ वेतनमानक्र	15600-39100 + 6600 गड़े पे
सहायक वन संरक्षक किनिष्ठ वेतनमानक्र	15600-39100 + 5400 गड़े पे

vl; depkjh 01-01-2006 l s Lohdr i pjjhf{kr orueku

वन क्षेत्रपाल	9300-34800 + 3600 गड़े पे
उप वन क्षेत्रपाल	5200-20200 + 2400 गड़े पे
वनपाल	5200-20200 + 2100 गड़े पे
वन रक्षक डिप्रशिक्षितक्र	5200-20200 + 1800 गड़े पे
वन रक्षक प्रिशिक्षितक्र	5200-20200 + 1900 गड़े पे
कार्यालय अधीक्षक	9300-34800 + 3600 गड़े पे
लेखा अधीक्षक	9300-34800 + 3200 गड़े पे
मुख्य लिपिक	5200-20200 + 2800 गड़े पे
शीघ्र लेखक	5200-20200 + 2800 गड़े पे
लेखापाल	5200-20200 + 2400 गड़े पे
सहायक गेड-2	5200-20200 + 2400 गड़े पे
सहायक गेड-3	5200-20200 + 1900 गड़े पे
जीप चालक	5200-20200 + 1900 गड़े पे
टेक चालक	5200-20200 + 2400 गड़े पे
भृत्य	4400-7440 + 1300 गड़े पे
चौकीदार	4400-7440 + 1300 गड़े पे
मानचित्रकार	9300-34800 + 3200 गड़े पे
दो तरी / जमादार	4400-7440 + 1400 गड़े पे
खलासी	4400-7440 + 1300 गड़े पे

प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट –सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों एवं धन वितरण की सूचना तथा राजस्व

(The Budget allocated to each agency - Particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursement made)

2010&11] 2011&12] 2012&13 rFkk 2013&14 ds fy; s mi yC/k dj; k x; k
ctV i ko/kku rFkk fd; s x; s 0; ; dh tkudkj h fuEu rkydk ean f'kr gS %
j kT; ; kst uk; a

% k f' k yk [k

0 e %

Ø	; kst uk dk uke	foRrh; o"kZ								रिमाक	
		2010&2011		2011&2012		2012&2013		2013&2014			
		i ko/kku	0; ;	i ko/kku	0; ;	i ko/kku	0; ;	i ko/kku	0; ;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	भूमि एवं जल संरक्षण	100.00	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	योजना समाप्त
2	प्रशासन सुदृढीकरण	518.75	500.60	1181.24	1179.28	2744.21	2727.59	3500.00	1132.15		
3	वानिकी विस्तार	752.25	707.63	815.40	817.96	998.18	997.43	2313.00	1253.57		
4	कार्य आयोजनाओं का नि यान्वयन	19034.00	18524.14	22161.29	22170.44	24967.88	24954.33	26924.88	12495.74		
5	वन विकास उपकर निधि से व्यय	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12500.00	5306.22		
6	वन प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	100.00	91.20	96.49	96.43	0.00	0.00	0.00	0.00	योजना समाप्त	
7	कर्मचारी कल्याण	100.00	99.89	100.00	100.00	250.00	249.89	300.00	123.45		
8	रोपणियों में पौधा तैयारी	1470.00	1458.42	1800.00	1800.00	3415.88	3409.10	4000.00	2032.49		
9	वन अधोसंरचना का सुदृढीकरण	1095.00	1237.72	2600.00	2592.92	5000.00	4998.64	7700.00	2220.95		
10	ग्रामों के पुनर्वास हेतु मुआवजा	100.00	0.00	91.24	86.78	6079.68	6079.68	12000.00	12000.00		
11	संरक्षित क्षेत्रों में स्थित ग्रामों के लिये ईको विकास योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	योजना समाप्त	

12	अध्ययन एवं अनुसंधान	70.00	69.97	80.00	80.00	299.57	299.39	400.00	165.86	
13	वानिकी अनुरक्षण एवं विकास विवेक वित्त आयोगक	0.00	0.00	0.00	0.00	3065.00	3064.93	3065.00	1618.20	
14	ऑकरेश्वर निधि से व्यय	500.00	498.27	500.00	500.00	300.00	294.04	0.00	0.00	
15	ईको टूरिज्म बोर्ड को अनुदान	100.00	100.00	150.00	150.00	150.00	150.00	800.00	800.00	
16	संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्यप्राणी प्रबंधन	0.00	0.00	396.50	392.85	997.50	986.55	1050.00	511.33	
17	बुन्देलखण्ड पैकेज	5791.48	5791.48	4863.00	4863.00	0.10	0.00	0.01	0.00	टोकन प्रावधान
18	वृक्षारोपण योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	जू एवं रेस्क्यू सेन्टर की स्थापना	0.00	0.00	25.18	25.00	600.01	553.72	792.12	708.99	
20	वन्यप्राणी द्वारा फसल हानि का मुआवजा	184.80	21.31	53.42	41.19	50.00	45.46	0.01	0.00	
21	सेटलाइट इमेजरी	0.00	0.00	800.00	799.95	1600.00	1600.00	400.00	0.00	
22	पी.डी.ए.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
; kx%		29916.38	29198.73	35713.76	35695.80	50518.01	50410.75	75745.02	40368.95	

II-d)नरि ; kstuk; s

व्ययक #i; s e

Ø	; kstuk dk uke	o"kl									fjekdl
		2010-2011		2011-2012		2012-2013		2013-2014			
		vkoà/u	0; ;	vkoà/u	0; ;	vkoà/u	0; ;	vkoà/u	0; ;		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास	राज्यांश	978.97	907.31	1120.26	994.17	4144.18	2919.88	2000.00	248.56	
		केन्द्रांश	23143.95	3844.82	16528.16	5430.13	5667.75	6700.19	14215.00	994.24	
2	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के माध्यम से वन्य प्राणी विकास	राज्यांश	40.00	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2010-11 में वास्तविक व्यय व 2011-12 में राशि अप्राप्त
		केन्द्रांश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	राष्ट्रीय उद्यान एवं	राज्यांश	120.00	20.70	49.74	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
		केन्द्रांश	774.90	579.50	826.27	511.72	0.00	0.00	0.00	0.00	

	अभ्यारण्यों का विकास										
4	गहन वन प्रबंधन	राज्यांश	505.00	300.31	384.80	308.19	301.10	295.89	600.00	56.28	
		केन्द्रांश	1515.00	900.93	1154.39	924.57	903.30	887.67	1800.00	168.85	
	; kx %	j kT; kd k	1643.97	1236.01	1554.80	1312.39	4445.28	3215.77	2600.00	304.84	
		cdkdk k	25433.85	5325.25	18508.82	6866.42	6571.05	7587.86	16015.00	1163.09	
	j kT; kd k% ; kx		31560.35	30434.74	37268.56	37008.19	54963.29	53626.52	78345.02	40673.79	

III- dlnz {ks=h; ; kstuk; a %

¼j kf'k yk[k #i ; se#

; kstuk dk uke	o"lz								fjekdZ
	2010-2011		2011-2012		2012-2013		2013-2014		
	vkoà/u	0; ;	vkoà/u	0; ;	vkoà/u	0; ;	vkoà/u	0; ;	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. राष्ट्रीय जल तंत्र संरक्षण कार्य म	59.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	स्वीकृति अप्राप्त
2. लघु वनोपज संघ को अनुदान ; ks	262.00	262.00	400.00	400.00	305.00	305.00	300.00	0.00	
	321.00	262.00	460.00	400.00	305.00	305.00	300.00	0.00	

vk; kstuRj enka ds varxir foHkxh; dk; ka ds vkorhZ 0; ; ds fy, foRrh; iko/kku fd;k tkrk gA o"lz 2010&11] 2011&12] 2012&13 rFkk 2013&14 gsrq vk; kstuRj ctV iko/kku ,oa 0; ; dh xbl jkf'k dh tkudkj fuEu rkfydk ea nf'kr gS &

2-2 vk; kstuRj 0; ;

¼j kf'k yk[k : 0 ea#

en	2010&11		2011&12		2012&13		2013&14 %kg vxLr rd dk 0; ; ½	
	vkoà/u	0; ;	vkoà/u	0; ;	vkoà/u	0; ;	vkoà/u	0; ;
वेतन एवं भत्ते	46732.01	45789.94	54102.75	50292.88	61780.19	54275.22	69263.84	26429.93
मजदूरी	6444.48	6431.67	6941.68	6776.48	7511.83	7853.32	8199.48	2722.46
कार्यालय व्यय	1875.21	1653.07	2077.71	1880.35	2627.88	2127.32	2690.62	865.11
अनुरक्षण कार्य	145.19	259.56	170.06	152.06	197.95	190.15	256.18	78.91
भवनों/सड़कों का रखरखाव	1545.00	1495.24	1640.00	1564.48	2150.00	2148.56	2850.00	909.71
इमारती लकड़ी, बांस, खैर	11757.75	10168.29	14365.02	11686.38	14715.18	12582.70	14853.32	4478.88
अनुग्रह/अनुदान	526.92	486.99	506.51	456.36	471.51	465.00	556.51	405.85
गोपनीय सेवा, क्षतिपूर्ति पुरस्कार	415.70	287.82	410.02	405.66	485.60	460.99	613.90	159.76
लाभांश	3700.00	3593.39	3700.00	2894.60	3960.00	3955.01	4500.00	1082.22
कर एवं रायल्टी	8075.16	7932.77	8400.85	8338.75	9134.51	8908.49	10191.24	4056.32
विज्ञापन, सामग्री पूर्तियां एवं अन्य	567.97	551.99	931.18	841.02	560.96	427.42	600.81	176.42
भारित मद डि िधनक्र	42.75	22.01	53.00	49.32	60.00	53.01	60.00	17.37

वन विकास निधि में अंतरण	1000.00	0.00	1200.00	0.00	11638.56	11638.57	3600.00	0.00
; ksx	82828.14	78672.74	94498.78	85338.34	115294.17	105085.76	118235.90	41382.95

dj] djRrj] dny jktLo , oa okfudh l s vk;

Vj kf' k djkm+ : i ; s e#

मांक	राजस्व एवं व्यय	वर्ष 2011-12	वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14 मिाह अगस्त-13 तक
1	कर राजस्व	115.52	157.31	20.52
2	करेत्तर राजस्व	755.73	832.35	484.41
	योग रि+2क्र-	871-25	989-66	504-93
3	वानिकी से सकल राजस्व	871.25	989.66	504.93
4	राजस्व लेखे पर व्यय वानिकी में आियोजनेत्तरक्र	853.38	1050.86	413.82

o"kl 2012&13 , oa 2013&14 dk enokj jktLo yf;
ctV 'kh"kl 0406 & okfudh vk\$ ol; thou

Vj kf' k yk[kka e#

jktLo ctV 'kh"kl	ctV iko/kku %o"kl 2012&13½	jktLo i kflr; ka	ctV iko/kku %o"kl 2013&14½	jktLo i kflr; ka %ekg vxlr&13 rd½
रि01क्रलकडी और अन्य वन उत्पाद की बिी				
रि0180क्रशासकीय अभिकरण द्वारा वन से हटाई गई इमारती लकडी तथा अन्य वन उपज	1793.86	1130.22	2055.47	726.10
रि0189क्रउपभोक्ता अथवा ेताओं द्वारा वन से हटाई गई इमारती लकडी	1411.66	1104.02	1617.53	459.93
रि02क्रसामाजिक और फार्म वानिकी से प्राप्तियां	217.00	248.96	248.65	64.19
रि201क्रतेन्दू पत्ते के व्यापार से प्राप्तियां	12.88	20.04	14.76	0
रि202क्रछोटी वन उपज का राजकीय व्यापार	0	3.31	0	0.73
रि203क्रइमारती लकडी का राजकीय व्यापार	73803.89	74094.77	84530.26	42782.47
रि204क्रबांस का राजकीय व्यापार	1585.71	3892.42	1816.95	2153.47
205-साल बीज का राजकीय व्यापार	0	0.03	0	0
रि206क्रखैर का राजकीय व्यापार	10.00	33.44	11.47	0.42
रि800क्रअन्य प्राप्तियां	17211.04	11588.32	19720.99	2246.66
योग मुख्य शीर्ष - 0406	96032.00	92115.33	110000.00	48441.38
0045-वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	3968.00	6850.69	3968.00	2051.98
egk; ksx%&	100000.00	98966.02	113968.00	50493.36

v/; k; 2 %eS; wy & ch&xii½
vunku@jkt I gk; rk dk; Øeka ds fØ; kÙo; u dh jhfr
(The manner of execution of subsidy programmes)

मध्यप्रदेश वन विभाग के अंतर्गत अनुदान अथवा राज सहायता के कोई कार्य म
ि यान्वित नहीं किये जा रहे है।

v/; k; 2 %eS; qy & ch&xiii½
fj ; k; rkd vuKki =ka rFkk i f/kdkjka ds i frdrkzvka ds
I xak ea foj .k

(Particulars of recipients of concessions, permits or
authorization granted by it)

विभाग में वनों के नजदीक रहने वाले ग्रामवासियों को रियायती दर पर वनोपज उपलब्ध कराने हेतु राज्य में निस्तार नीति लागू की गई है। पूर्व में निस्तार सुविधा दूर-दूर तक उन क्षेत्रों में भी दी जाती रही थी, जहां वन नहीं थे। नई नीति में निस्तार सुविधा की पात्रता वनों की सीमा से 5 कि.मी. की परिधि के अन्दर स्थित परिवारों को ही दी जा रही है। इसके साथ-साथ स्वयं के उपयोग के लिये अथवा बि ी के लिये सिरबोझ द्वारा गिरी-पड़ी, मरी, सूखी जला लकड़ी लाने की सुविधा भी पूर्व अनुसार दी जा रही है। वर्तमान निस्तार व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य में 1814 निस्तार डिपो संचालित किये जा रहे हैं। निस्तार वर्ष 2012 में 1.44 लाख बल्ली, 59.59 लाख बांस एवं 0.95 लाख चट्टे प्रदाय किये गये हैं। इसका बाजार मूल्य 2462 लाख होता है, जबकि इसका रियायती मूल्य 1179 लाख है।

बांस का उत्पादन सीमित जिलों में होता है एवं उसकी मांग पूरे राज्य में रहती है। बसोड़ों के अलावा अन्य कई जनजाति के व्यक्ति भी परंपरागत रूप से बांस की सामग्री बनाकर अपना जीवन-यापन करते हैं। इस प्रकार की मांग की पूर्ति का प्रयास प्रदेश में संचालित निस्तार एवं उपभोक्ता डिपो के माध्यम से किया जाता है। प्रदेश के 1814 निस्तार डिपो में वनोपज एकत्र कर वितरित की जाती है। बसोड़ों को रायल्टी मुक्त बांस उपलब्ध कराया जाता है।

व/; k; 2 ½; qy & ch&xiv½
byDVkffud : i ea mi yC/k l ipuk; a
(Information available in on electronic form)

विभाग में विगत वर्षों में कम्प्यूटर के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है तथा अधिकाधिक सूचनाएं इलेक्टॉनिक फार्म में उपलब्ध कराई जा रही है। विभाग की वेबसाईट www.mpforest.org पर अधिकांश दस्तावेजो एवं जनोपयोगी आवश्यक सूचनाओं को उपलब्ध कराया गया है।

v/; k; 2 %eS; qy & ch&xv½
I puk i klr djus ds fy, ukxfj dka dks mi yC/k I fo/kkvka dk
fooj .k

(Particulars of the facilities available to citizens for obtaining information)

विभाग की रियायती मूल्य पर स्थानीय ग्रामवासियों को वनोपज उपलब्ध कराने की निस्तार योजना का विवरण निस्तार पत्रिका द्वारा पंचायतों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। विभाग की योजनाओं तथा कार्य मों के संबंध में स्थानीय समाचार पत्रें तथा अन्य संचार माध्यमों की सहायता से सामान्य जनता को अवगत कराने की व्यवस्था है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू होने के साथ ही विभागीय गतिविधियों संबंधी सूचनाएं अधिनियम के प्रावधानों तथा मध्यप्रदेश सूचना का अधिकार फीस तथा अपीलक्रनियम, 2005 के अनुसार उपलब्ध कराने के लिये विभाग में मुख्यालय तथा क्षेत्रीय स्तर पर व्यवस्था की गई है।

ouki t mRiknu &

प्रदेश में वनों के विदोहन एवं निर्वर्तन की समुचित व्यवस्था हेतु विभाग में एक उत्पादन शाखा कार्यरत है। इस शाखा द्वारा मुख्य रूप से निम्न कार्यों को संपादित किया जाता है :-

1. कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार कूपों से इमारती, जला[, बांस एवं खैर की कटाई कर प्राप्त वनोपज को विभिन्न काष्ठागारों में परिवहन एवं निर्वर्तन करना।
2. इमारती, जला[एवं बांस की निस्तारी तथा व्यापारिक आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रदेश में वर्तमान में 12 उत्पादन वन मंडल, 1 वि य वन मंडल एवं 53 क्षेत्रीय वन मंडल उत्पादन का कार्य कर रहे हैं। विभिन्न काष्ठ एवं वनोपजों का उत्पादन जो प्रदेश में होता है। वह मुख्यतः सामान्य रूप से कूपों से एवं विभिन्न डूब क्षेत्रों में कटाई से प्राप्त होती है।

foxr rhu o"kkā ea mijkDr mRiknu {ks= ls i klr dk"B ,oa ckd dk fooj.k
 fuEukuđ kj gS %&

dk"B@ ckd fonkgu dh foxr rhu o"kkā dh tkudkj

o"kl	bekjrh dk"B %k-eh-½	tykA pVVs %ux½	vkSj kfxd ckd %fo-b½	0; ki kfjd ckd %fo-b½	; ksx ckd %fo-b½ vkSj ks@ 0; ki kfjd ckd
2010-11	2,78,083	2,20,816	42,464	21,713	64,177
2011-12	2,43,357	2,04,227	51,906	24,008	75,914
2012-13	2,52,736	1,88,740	76,690	28,588	1,05,278

foxr rhu o"kkā dh jktLo y{; ,oa i klr

%djksM+e½

o"kl	jktLo y{;	iklr jktLo
2010-11	900	837.14
2011-12	900	871.25
2012-13	1000	989.66
2013-14	1100	413.16

djksM+ekg t%ykb½ 2013 rd

foxr rhu o"kkā ea fuLrkj 0; oLFkk ds vaxr inkf; r ouki t dh tkudkjh
 ¼: i ; s yk[k e½

o"kk	inkf; r ek=	foØ; eW;	cktkj eW;	nh xbl fj; k; r
2010	59.69 लाख नग बांस 1.90 लाख नग बल्ली 0.83 लाख जला{ चट्टे	436.79 184.29 213.15	1038.41 381.36 729.91	1315.44
2011	55.17 लाख नग बांस 1.73 लाख नग बल्ली 0.81 लाख जला{ चट्टे	462.88 178.56 308.15	959.46 283.08 848.27	1141.22
2012	59.59 लाख नग बांस 1.44 लाख नग बल्ली 0.95 लाख जला{ चट्टे	606.98 144.96 427.48	1155.10 215.20 1092.47	1283.35

v/; k; 2 %e\$; qy & ch&xvi½

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां
(The names, designations and other particulars of the
Public Informantion Officers)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा आदेश 0 सम/व्यवस्था/ 259 दि0 21.9.2005 तथा
मांक/ समन्वय/ व्यवस्था/ 669, दिनांक 03.10.2011 से विभाग के लिये निम्नानुसार
अधिकारियों का नामांकन किये गये हैं:-

Ø0	dk; kly; dk uke	l gk; d ykd l ipuk vf/kdkjh	ykd l ipuk vf/kdkjh	vi hyh; vf/kdkjh
1.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, भोपाल	सहायक वन संरक्षक सिम्पदा अधिकारीक्र कार्यालय मुख्य वन संरक्षक सिमन्वयक्र	मुख्य वन संरक्षक सिमन्वयक्र, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक सिमन्वयक्र	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सिमन्वयक्र
2.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक विन्ध्य प्राणीक्र मध्य प्रदेश, भोपाल	सहायक वन संरक्षक विन्ध्यप्राणीक्र	मुख्य वन संरक्षक प्रिबंधनक्र	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विन्ध्यप्राणीक्र

{ks=h; Lrj ij fuEukuq kj vf/kdkjh ukekrfd r fd; s x; s g\$ &

Ø0	dk; kly; dk uke	l gk; d ykd l ipuk vf/kdkjh	ykd l ipuk vf/kdkjh	vi hyh; vf/kdkjh
1.	कार्यालय मु.व.सं. कार्य आयोजना, आंचलिक इिन्दौर, जबलपुर, भोपालक्र	-	मानचित्रकार विरिष्ठतमक्र	मुख्य वन संरक्षक / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक किर्य आयोजना, आंचलिकक्र
2.	क्षेत्र संचालक/ संचालक राष्ट्रीय उद्यान	सहायक संचालक विरिष्ठतमक्र/ अभ्यारण्य अधीक्षक	उप संचालक विरिष्ठतमक्र	क्षेत्र संचालक/ संचालक राष्ट्रीय उद्यान
3.	मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक किर्य आयोजना ईकाईक्र	वन क्षेत्रपाल विरिष्ठतमक्र	मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक किर्य आयोजनाक्र	संबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना आंचलिक भोपाल/ इदौर/ जबलपुरक्र
4.	मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान / विस्तार वृत्त	सहायक वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त	मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तारक्रम.प्र. भोपाल
5.	प्राचार्य, वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय, बालाघाट	सहा0 अनुदेशक विरिष्ठतमक्र	अनुदेशक विरिष्ठतमक्र	प्राचार्य
6.	संचालक वन विद्यालय	अनुदेशक विरिष्ठतमक्र	संचालक	संबंधित मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीयक्र
7.	वि य अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, नई दिल्ली	-	सहायक वन संरक्षक	वि य अधिकारी मध्य प्रदेश शासन ,नई दिल्ली

cky?kkV oRr

Ø-	dk; kÿ; dk uke	l gk; d ykd l puk vf/kdkjh	ykd l puk vf/kdkjh	vi hyh; vf/kdkjh
1	मुख्य वन संरक्षक बालाघाट	अधीक्षक वृत्त	स.व.सं. / संलग्नाधिकारी	मुख्य वन संरक्षक बालाघाट
mRrj l kekl; oueMy cky?kkV				
1	कार्यालय वनमंडलाधिकारी उत्तर सामान्य वनमंडल बालाघाट	मुख्य लिपिक वनमंडल कार्यालय बालाघाट	उप वनमंडलाधिकारी उकवा सा. मुख्यालय बालाघाट	वनमंडलाधिकारी उत्तर सामान्य वनमंडल बालाघाट
2	कार्यालय उपवनमंडल अधिकारी उकवा सामान्य	1. परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर लामता सा. 2. परिक्षेत्र अधिकारी दक्षिण लामता 3. परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर उकवा सा. 4. परिक्षेत्र अधिकारी दक्षिण उकवा सा.	उप वनमंडलाधिकारी उकवा सा. मुख्यालय बालाघाट	वनमंडलाधिकारी उत्तर सामान्य वनमंडल बालाघाट
3	कार्यालय उप वनमंडल अधिकारी बैहर सामान्य	1. परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व बैहर सा. 2. परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम बैहर सा. 3. परिक्षेत्र अधिकारी बिरसा / दमोह सा.	उप वनमंडलाधिकारी बैहर सामान्य	वनमंडलाधिकारी उत्तर सामान्य वनमंडल बालाघाट
nf{k.k l kekl; oueMy cky?kkV				
1	कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट	मुख्य लिपिक वनमंडल कार्यालय	उप वनमंडलाधिकारी बालाघाट	वनमंडलाधिकारी दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट
2	कार्यालय उपवनमंडल अधिकारी बालाघाटसामान्य	1. परिक्षेत्र अधिकारी बालाघाट सा. 2. परिक्षेत्र अधिकारी लौगुर सा. 3. परिक्षेत्र अधिकारी वारासिवनी सा. 4. परिक्षेत्र अधिकारी कंटगी सा. 5. परिक्षेत्र अधिकारी लालबर्सा सा. 6. परिक्षेत्र अधिकारी खैरलांजी सा.	उप वनमंडलाधिकारी बालाघाट	वनमंडलाधिकारी दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट
3	कार्यालय उप वनमंडल अधिकारी लांजी सामान्य	1. परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व हट्टा सा. 2. परिक्षेत्र अधिकारी किरनापुर सा. 3. परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व लांजी सा. 4. परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम लांजी	उप वनमंडलाधिकारी लांजी सामान्य	वनमंडलाधिकारी दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट
mRrj mRi knu oueMy cky?kkV				
1	कार्यालय वनमंडलाधिकारी उत्तर उत्पादन वनमंडल बालाघाट	मुख्य लिपिक वनमंडल कार्यालय	उप वनमंडलाधिकारी लामता मुख्याला बालाघाट	वनमंडलाधिकारी उत्तर उत्पादन वनमंडल बालाघाट
2	कार्यालय उपवनमंडल अधिकारी लामता उत्पादन	1. परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर लामता उत्पा. 2. परिक्षेत्र अधिकारी नगरवाडा उत्पा. 3. परिक्षेत्र अधिकारी लामता डिपो.	उप वनमंडलाधिकारी लामता मुख्यालय बालाघाट	वनमंडलाधिकारी उत्तर उत्पादन वनमंडल बालाघाट
3	कार्यालय उप वनमंडल अधिकारी बैहर उत्पादन	1. परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व बैहर उत्पा. 2. परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम बैहर उत्पा. 3. परिक्षेत्र अधिकारी परसवाडा उत्पा. 4. डिपो अधिकारी बैहर काष्ठागार	उप वनमंडलाधिकारी बैहर उत्पादन	वनमंडलाधिकारी उत्तर उत्पादन वनमंडल बालाघाट
4	कार्यालय उपवनमंडलाधिकारी मलाजखण्ड उत्पादन	1. परिक्षेत्र अधिकारी बिरसा सालेटेकरी उत्पादन	उप वनमंडलाधिकारी मलाजखण्ड उत्पादन	वनमंडलाधिकारी उत्तर उत्पादन वनमंडल बालाघाट
nf{k.k mRi knu oueMy cky?kkV				
1	कार्यालय उप वनमंडल अधिकारी किरनापुर उत्पादन	—	उप वनमंडल अधिकारी किरनापुर उत्पादन	वनमंडलाधिकारी दक्षिण उत्पादन वनमंडल

				बालाघाट
2	कार्यालय उप वनमंडल अधिकारी किरनापुर उत्पादन	1. परिक्षेत्र अधिकारी हट्टा उत्पादन 2. परिक्षेत्र अधिकारी किरनापुर उत्पादन	उप वनमंडल अधिकारी किरनापुर उत्पादन	वनमंडलाधिकारी दक्षिण उत्पादन वनमंडल बालाघाट
3	कार्यालय उप वनमंडल अधिकारी पूर्व लांजी उत्पादन	1. परिक्षेत्र अधिकारी कन्सुली उत्पादन 2. परिक्षेत्र अधिकारी सुलसुली उत्पादन 3. परिक्षेत्र अधिकारी बीजागढ उत्पादन 4. डिपों अधिकारी बकरामुण्डी	उप वनमंडल अधिकारी पूर्व लांजी उत्पादन	वनमंडलाधिकारी दक्षिण उत्पादन वनमंडल बालाघाट
4	कार्यालय उप वनमंडल अधिकारी पश्चिम लांजी उत्पादन	1. परिक्षेत्र अधिकारी रिसेवाडा उत्पादन 2. परिक्षेत्र अधिकारी सीतापाल उत्पादन 3. डिपों अधिकारी लांजी	उप वनमंडल अधिकारी पश्चिम लांजी उत्पादन	वनमंडलाधिकारी दक्षिण उत्पादन वनमंडल बालाघाट

i f' pe mRi knu oueMy ckyk?kkV

1	कार्यालय उपववनमंड अधिकारी बालाघाट उत्पादन	1. परिक्षेत्र अधिकारी बालाघाट उत्पादन 2. परिक्षेत्र अधिकारी बंजारी उत्पादन 3. परिक्षेत्र अधिकारी लालबर्गा उत्पादन 4. परिक्षेत्र अधिकारी वारासिवनी उत्पादन 5. परिक्षेत्र अधिकारी कंटगी उत्पादन 6. डिपों अधिकारी गर्रा बांसागार 7. डिपों अधिकारी गर्रा काष्ठागार	कार्यालय उपववनमंड अधिकारी बालाघाट उत्पादन	वनमंडलाधिकारी पश्चिम उत्पादन वनमंडल बालाघाट
2	कार्यालय उपववनमंड अधिकारी उकवा उत्पादन	1. परिक्षेत्र अधिकारी लौगुर उत्पादन 2. परिक्षेत्र अधिकारी जैतपुरी उत्पादन 3. परिक्षेत्र अधिकारी डाबरी उत्पादन 4. परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर उकवा उत्पादन 5. परिक्षेत्र अधिकारी दक्षिण उकवा उत्पादन 6. डिपों अधिकारी उकवा बांसागार	वनमंडलाधिकारी उकवा उत्पादन वनमंडल बालाघाट	वनमंडलाधिकारी पश्चिम उत्पादन वनमंडल बालाघाट

cfny oRr

Øa	dk; kly; dk uke	l gk; d ykd l ipuk vf/kdkjh	ykd l ipuk vf/kdkjh	vi hyh; vf/kdkjh
1	2	3	4	5
1	मुख्य वन संरक्षक बैतूल वृत्त, बैतूल	अधीक्षक वृत्त	स.व.सं. / संलग्नाधिकारी	मुख्य वन संरक्षक बैतूल वृत्त, बैतूल
2	वनमंडलाधिकारी उत्तर सिं.क्रबैतूल	मुख्य लिपिक वनमंडल	स.व.सं. / संलग्नाधिकारी वनमंडल	वनमंडलाधिकारी उत्तर सिं.क्रबैतूल
3	उप वनमंडलाधिकारी सिं.क्रबैतूल	—	उप वनमंडलाधिकारी सिं.क्रबैतूल	वनमंडलाधिकारी उत्तर सिं.क्रबैतूल
4	परिक्षेत्र अधिकारी सिं.क्रबैतूल	—	परिक्षेत्र अधिकारी सिं.क्रबैतूल	उप वनमंडलाधिकारी सिं.क्रबैतूल
5	उप वनमंडलाधिकारी सिं.क्रशाहपुर	—	उप वनमंडलाधिकारी सिं.क्रशाहपुर	वनमंडलाधिकारी उत्तर सिं.क्रबैतूल
6	परिक्षेत्र अधिकारी सिं.क्रशाहपुर	—	परिक्षेत्र अधिकारी सिं.क्रशाहपुर	उप वनमंडलाधिकारी सिं.क्रशाहपुर
7	परिक्षेत्र अधिकारी सिं.क्रभौरा	—	परिक्षेत्र अधिकारी सिं.क्रभौरा	उप वनमंडलाधिकारी सिं.क्रशाहपुर
8	उप वनमंडलाधिकारी सिं.क्रसारणी	—	उप वनमंडलाधिकारी सिं.क्रसारणी	वनमंडलाधिकारी उत्तर सिं.क्रबैतूल
9	परिक्षेत्र अधिकारी सिं.क्रसारणी	—	परिक्षेत्र अधिकारी सिं.क्रसारणी	उप वनमंडलाधिकारी सिं.क्रसारणी
10	परिक्षेत्र अधिकारी सिं.क्ररानीपुर	—	परिक्षेत्र अधिकारी सिं.क्ररानीपुर	उप वनमंडलाधिकारी सिं.क्रसारणी

38	उप वनमंडलाधिकारी उत्पा.क्रभौरा	—	उप वनमंडलाधिकारी उत्पा.क्रभौरा	वनमंडलाधिकारी बैतूल उत्पा.क्र
39	परिक्षेत्र अधिकारी उत्पा.क्रभौरा	—	परिक्षेत्र अधिकारी उत्पा.क्रभौरा	उप वनमंडलाधिकारी उत्पा.क्रभौरा
40	परिक्षेत्र अधिकारी उत्पा.क्रगवासेन	—	परिक्षेत्र अधिकारी उत्पा.क्रगवासेन	उप वनमंडलाधिकारी उत्पा.क्रभौरा
41	काष्ठ भण्डार अधिकारी उत्पा.क्रभौरा	—	काष्ठ भण्डार अधिकारी उत्पा.क्रभौरा	उप वनमंडलाधिकारी उत्पा.क्रभौरा
42	उप वनमंडलाधिकारी उत्पा.क्रचिचोली	—	उप वनमंडलाधिकारी उत्पा.क्रचिचोली	वनमंडलाधिकारी बैतूल उत्पा.क्र
43	परिक्षेत्र अधिकारी उत्पा.क्रचिचोली	—	परिक्षेत्र अधिकारी उत्पा.क्रचिचोली	उप वनमंडलाधिकारी उत्पा.क्रचिचोली
44	परिक्षेत्र अधिकारी, उत्पा.क्रतावड़ी	—	परिक्षेत्र अधिकारी, उत्पा.क्रतावड़ी	उपवनमंडलाधिकारी, उत्पा.क्रचिचोली
45	संचालक, वन विद्यालय बैतूल	मुख्य लिपिक	वरिष्ठ अनुदेशक / स.व.सं. वन विद्यालय बैतूल	संचालक, वन विद्यालय बैतूल

भोपाल वृत्त

अनु. क्र.	कार्यालय का नाम	सहायक लोक सूचना अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5
1	मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त भोपाल	लेखा अधिकारी / अधीक्षक वन वृत्त भोपाल	संलग्नाधिकारी, भोपाल वृत्त भोपाल	प्रथम अपीलीय अधिकारी मुख्य वनसंरक्षक वन वृत्त भोपाल
2	वनमण्डलाधिकारी सा. वनमण्डल भोपाल	मुख्य लिपिक वनमण्डल सा. भोपाल	स.व.सं. संलग्नाधिकारी वनमण्डल भोपाल	वनमण्डलाधिकारी सा. भोपाल
3	उप वनमण्डल समन्वय भोपाल	शिविर लिपिक उप वन मण्डल समन्वय भोपाल	उप वनमण्डलाधिकारी, समन्वय भोपाल	वनमण्डलाधिकारी सा0 भोपाल
4	1 परिक्षेत्रधिकारी उडनदस्ता 2 परिक्षेत्रधिकारी भोपाल ईकाई	परिक्षेत्र लिपिक उडनदस्ता परिक्षेत्र लिपिक भोपाल ईकाई	परिक्षेत्रधिकारी उडनदस्ता परिक्षेत्रधिकारी भोपाल ईकाई	उप व.म.अ. समन्वय भोपाल उप व.म.अ. समन्वय भोपाल
5	उप वनमण्डलाधिकारी सा. वनमण्डल भोपाल	शिविर लिपिक, उप वनमण्डल सा0 भोपाल	उप वनमण्डलाधिकारी सा0 भोपाल	वनमण्डलाधिकारी सा. भोपाल
6	1. परिक्षेत्रधिकारी समर्धा 2. परिक्षेत्रधिकारी बैरसिया	परिक्षेत्र लिपिक समर्धा परिक्षेत्र लिपिक बैरसिया	परिक्षेत्रधिकारी समर्धा परिक्षेत्रधिकारी बैरसिया	उप वनमण्डलाधिकारी सा. भोपाल उप वनमण्डलाधिकारी सा भोपाल
7	वनमण्डलाधिकारी सा. वनमण्डल सीहोर	मुख्य लिपिक वनमण्डल सा. सीहोर	संलग्नाधिकारी वनमण्डल सीहोर	वनमण्डलाधिकारी सा. सीहोर
8	उपवनमंडलाधिकारी सा. सीहोर	शिविर लिपिक उप वनमण्डल सीहोर	उपवनमंडलाधिकारी सा. सीहोर	वनमंडलाधिकारी सा. सीहोर
9	1. परिक्षेत्रधिकारी सा0 सीहोर 2. परिक्षेत्रधिकारी सा0 आष्टा 3. परिक्षेत्रधिकारी सा0 इछावर 4. परिक्षेत्रधिकारी सा0 वीरपुर	परिक्षेत्र लिपिक सीहोर परिक्षेत्र लिपिक आष्टा परिक्षेत्र लिपिक इछावर परिक्षेत्र लिपिक वीरपुर	1. परिक्षेत्रधिकारी सा0 सीहोर 2. परिक्षेत्रधिकारी सा0 आष्टा 3. परिक्षेत्रधिकारी सा0 इछावर 4. परिक्षेत्रधिकारी सा0 वीरपुर	उपवनमण्डलाधिकारी सा. सीहोर उपवनमण्डलाधिकारी सा. सीहोर उप वनमण्डलाधिकारी सा सीहोर उप वनमण्डलाधिकारी सा सीहोर
10	उप वनमण्डलाधिकारी सा0 बुदनी	शिविर लिपिक उप वनमण्डल बुदनी	उप वनमण्डलाधिकारी सा0 बुदनी	उप वनमण्डलाधिकारी सा0 बुदनी
11	1. परिक्षेत्रधिकारी सा0 बुदनी 2. परिक्षेत्रधिकारी सा0 रेहटी 3. परिक्षेत्रधिकारी सा. लाङकुई	परिक्षेत्र लिपिक बुदनी परिक्षेत्र लिपिक रेहटी परिक्षेत्र लिपिक लाङकुई	परिक्षेत्रधिकारी सा0 बुदनी परिक्षेत्रधिकारी सा0 रेहटी परिक्षेत्रधिकारी सा0 लाङकुई	उप वनमण्डलाधिकारी सा0 बुदनी उप वनमण्डलाधिकारी सा0 बुदनी

अनु. क्र.	कार्यालय का नाम	सहायक लोक सूचना अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
				उप वनमण्डलाधिकारी सा० बुदनी
12	वनमण्डलाधिकारी सा. वनमण्डल विदिशा	मुख्य लिपिक वनमण्डल सा. विदिशा	संलग्नाधिकारी, सा० विदिशा	वनमण्डलाधिकारी सा. वनमण्डल विदिशा
13	उपवनमंडलाधिकारी सा. विदिशा	शिविर लिपिक उप वनमण्डल विदिशा	उपवनमंडलधिकारी विदिशा	वनमण्डलाधिकारी सा. विदिशा
14	1. परिक्षेत्रधिकारी विदिशा 2. परिक्षेत्रधिकारी ग्यारसपुर	परिक्षेत्र लिपिक विदिशा परिक्षेत्र लिपिक ग्यारसपुर	1. परिक्षेत्रधिकारी विदिशा 2. परिक्षेत्रधिकारी ग्यारसपुर	उप वनमण्डलाधिकारी सा. विदिशा उप वनमण्डलाधिकारी सा. विदिशा
15	उप वनमण्डलाधिकारी सा गंजबासौदा	शिविर लिपिक उप वनमण्डल गंजबासौदा	उप वनमण्डलाधिकारी सा गंजबासौदा	वन मण्डलाधिकारी सा विदिशा
16	1. परिक्षेत्रधिकारी सा गंजबासौदा 2. परिक्षेत्रधिकारी सा० शमशाबाद	परिक्षेत्र लिपिक गंजबासौदा परिक्षेत्र लिपिक शमशाबाद	परिक्षेत्रधिकारी सा गंजबासौदा परिक्षेत्रधिकारी सा शमशाबाद	उप व०म०अ० सा. गंजबासौदा उप व०म०अ० सा. गंजबासौदा
17	उप मण्डलाधिकारी सा० सिरोंज	शिविर लिपिक उप वनमण्डल सिरोंज	उप वनमण्डलाधिकारी सा० सिरोंज	वनमण्डलाधिकारी सा. विदिशा
18	1. परिक्षेत्रधिकारी सा० सिरोंज 2. परिक्षेत्रधिकारी उत्तर लटेरी सा. 3. परिक्षेत्रधिकारी दक्षिण लटेरी सा	परिक्षेत्र लिपिक सिरोंज परिक्षेत्र लिपिक उत्तर लटेरी सा परिक्षेत्र लिपिक दक्षिण लटेरी सा	परिक्षेत्रधिकारी सा० सिरोंज परिक्षेत्रधिकारी उत्तर लटेरी सा परिक्षेत्रधिकारी दक्षिण लटेरी सा	उप वनमण्डलाधिकारी सा सिरोंज उप वनमण्डलाधिकारी सा सिरोंज उप वनमण्डलाधिकारी सा सिरोंज
19	वनमण्डलाधिकारी सा. वनमण्डल राजगढ़	मुख्य लिपिक वनमण्डल सा. राजगढ़	उ.व.म.अ. सा. राजगढ़	वनमण्डलाधिकारी सा. राजगढ़
20	उप वनमण्डलाधिकारी सा० राजगढ़	शिविर लिपिक उप वनमण्डल राजगढ़	उप वनमण्डलाधिकारी सा० राजगढ़	वनमण्डलाधिकारी सा राजगढ़
21	परिक्षेत्रधिकारी सा० राजगढ़	परिक्षेत्र लिपिक राजगढ़	परिक्षेत्रधिकारी सा० राजगढ़	उप वनमण्डलाधिकारी सा राजगढ़
22	अधीक्षक नरसिंहगढ़ अभयारण्य	शिविर लिपिक नरसिंहगढ़ अभयारण्य	अधीक्षक नरसिंहगढ़ अभयारण्य	वनमण्डलाधिकारी सा राजगढ़
23	गेम रेंज नरसिंहगढ़ अभयारण्य	गेमरेंज लिपिक नरसिंहगढ़ अभयारण्य	गेम रेंजर नरसिंहगढ़ अभयारण्य	अधीक्षक नरसिंहगढ़ अभयारण्य
24	वनमण्डलाधिकारी सा. वनमण्डल औ.गंज	मुख्य लिपिक वनमण्डल सा. औ.गंज	संलग्नाधिकारी वनमण्डल ओबेदुल्लागंज	वनमण्डलाधिकारी सा. औ.गंज
25	उपवनमंडलाधिकारी सा औ.गंज	शिविर लिपिक उप वनमण्डल ओबेदुल्लागंज	उपवनमंडलाधिकारी सा औ.गंज	वनमण्डलाधिकारी सा. औ.गंज
26	1.परिक्षेत्रधिकारी गौहरगंज 2.परिक्षेत्रधिकारी चिकलोद	परिक्षेत्र लिपिक गौहरगंज परिक्षेत्र लिपिक चिकलोद	परिक्षेत्रधिकारी गौहरगंज परिक्षेत्रधिकारी चिकलोद	उपवनमण्डलाधिकारी सा. औ. गंज उपवनमण्डलाधिकारी सा औ. गंज
27	उपवनमण्डलाधिकारी सा० बाड़ी मुख्यालय सुल्तानपुर	शिविर लिपिक उप व.म.बाड़ी मु० सुल्तानपुर	उप वनमण्डलाधिकारी सा बाड़ी मुख्यालय सुल्तानपुर	वनमण्डलाधिकारी सा. ओ.गंज
28	1. परिक्षेत्रधिकारी सुल्तानपुर	परिक्षेत्र लिपिक सुल्तानपुर	परिक्षेत्रधिकारी सुल्तानपुर सा	उप व.म.अ. सा. बाड़ी मु० सुल्तानपुर

अनु. क्र.	कार्यालय का नाम	सहायक लोक सूचना अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
	4 परिक्षेत्रधिकारी उ. रेहटी	परिक्षेत्र लि उ. रेहटी	परिक्षेत्रधिकारी उत्पा रेहटी	उप व.म.अ. उत्पा बुदनी

Nrjig oRr

Ø.	dk; kly; dk uke	l gk; d ykd l ipuk vf/kdkjh	ykd l ipuk vf/kdkjh	vi hyh; vf/kdkjh
1	2	3	4	5
1	मुख्य वन संरक्षक वृत्त छतरपुर	अधीक्षक वृत्त	स.व.सं. संलग्नाधिकारी	मुख्य वन संरक्षक वृत्त छतरपुर
2	वनमण्डलाधिकारी सा. छतरपुर	मुख्यलिपिक वनमण्डल	स.स.सं. संलग्नाधिकारी वनमण्डल	वनमण्डलाधिकारी सा. छतरपुर
3	उपवनमण्डलाधिकारी सा. छतरपुर	—	उपवनमण्डलाधिकारी छतरपुर	वनमण्डलाधिकारी सा. छतरपुर
5	वन परिक्षेत्रधिकारी छतरपुर	—	वन परिक्षेत्रधिकारी छतरपुर	वनमण्डलाधिकारी सा. छतरपुर
6	वन परिक्षेत्रधिकारी लौडी	—	वन परिक्षेत्रधिकारी लौडी	वनमण्डलाधिकारी सा. छतरपुर
7	उपवनमण्डलाधिकारी बिजावर	—	उपवनमण्डलाधिकारी बिजावर	वनमण्डलाधिकारी सा. छतरपुर
8	वन परिक्षेत्रधिकारी बिजावर	—	वन परिक्षेत्रधिकारी बिजावर	वनमण्डलाधिकारी सा. छतरपुर
9	वन परिक्षेत्रधिकारी किशनगढ़	—	वन परिक्षेत्रधिकारी किशनगढ़	वनमण्डलाधिकारी सा. छतरपुर
10	वन परिक्षेत्रधिकारी बिजावर उत्पादन	—	वन परिक्षेत्रधिकारी बिजावर उत्पादन	वनमण्डलाधिकारी सा. छतरपुर
11	उपवनमण्डलाधिकारी बकस्वाहा	—	उपवनमण्डलाधिकारी बकस्वाहा	वनमण्डलाधिकारी सा. छतरपुर
12	वन परिक्षेत्रधिकारी बड़ामलहरा	—	वन परिक्षेत्रधिकारी बड़ामलहरा	वनमण्डलाधिकारी सा. छतरपुर
13	वन परिक्षेत्रधिकारी बकस्वाहा	—	वन परिक्षेत्रधिकारी बकस्वाहा	वनमण्डलाधिकारी सा. छतरपुर
14	वन परिक्षेत्रधिकारी बड़ामलहरा उत्पादन	—	वन परिक्षेत्रधिकारी बड़ामलहरा उत्पादन	वनमण्डलाधिकारी सा. छतरपुर
15	वन परिक्षेत्रधिकारी बकस्वाहा उत्पादन	—	वन परिक्षेत्रधिकारी बकस्वाहा उत्पादन	वनमण्डलाधिकारी सा. छतरपुर
16	वनमण्डलाधिकारी सा. वनमण्डल टीकमगढ़	मुख्यलिपिक वनमण्डल	उपवनमण्डलाधिकारी टीकमगढ़	वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सा. व.म. टीकमगढ़
17	उपवनमण्डलाधिकारी सा. टीकमगढ़	—	उपवनमण्डलाधिकारी टीकमगढ़	वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सा. व.म.टीकमगढ़
18	वन परिक्षेत्रधिकारी टीकमगढ़	—	वन परिक्षेत्रधिकारी टीकमगढ़	वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सा. व.म.टीकमगढ़
19	वन परिक्षेत्रधिकारी जतारा	—	वन परिक्षेत्रधिकारी जतारा	वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सा. व.म.टीकमगढ़
20	उपवनमण्डलाधिकारी निवाडी	—	उपवनमण्डलाधिकारी निवाडी	वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सा. व.म.टीकमगढ़
21	वन परिक्षेत्रधिकारी निवाडी	—	वन परिक्षेत्रधिकारी निवाडी	वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सा. व.म.टीकमगढ़
22	वन परिक्षेत्रधिकारी ओरछा	—	वन परिक्षेत्रधिकारी ओरछा	वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सा. व.म.टीकमगढ़
23	गेजरेंज आफीसर ओरछा	—	गेजरेंज आफीसर ओरछा	वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सा. व.म.टीकमगढ़
24	डिपो अधिकारी ओरछा	—	डिपो अधिकारी ओरछा	वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी सा. व.म.टीकमगढ़
25	वनमण्डलाधिकारी उत्तर पन्ना	मुख्यलिपिक वनमण्डल	उपवनमण्डलाधिकारी उत्तर पन्ना	वनमण्डलाधिकारी उत्तर पन्ना
26	उपवनमण्डलाधिकारी उत्तर पन्ना	—	उपवनमण्डलाधिकारी पन्ना	वनमण्डलाधिकारी उत्तर पन्ना
27	वन परिक्षेत्रधिकारी पन्ना	—	वन परिक्षेत्रधिकारी पन्ना	वनमण्डलाधिकारी उत्तर पन्ना
28	वन परिक्षेत्रधिकारी देवेन्द्र नगर	—	वन परिक्षेत्रधिकारी देवेन्द्र नगर	वनमण्डलाधिकारी उत्तर पन्ना
29	वन विस्तार अधिकारी इकाई पन्ना	—	वन विस्तार अधिकारी इकाई पन्ना	वनमण्डलाधिकारी उत्तर पन्ना
30	उपवनमण्डलाधिकारी विश्रामगंज	—	उपवनमण्डलाधिकारी विश्रामगंज	वनमण्डलाधिकारी उत्तर पन्ना
31	वन परिक्षेत्रधिकारी अजयगढ़	—	वन परिक्षेत्रधिकारी अजयगढ़	वनमण्डलाधिकारी उत्तर पन्ना
32	वन परिक्षेत्रधिकारी विश्रामगंज	—	वन परिक्षेत्रधिकारी विश्रामगंज	वनमण्डलाधिकारी उत्तर पन्ना

Xokfy; j oRr

Ø-	dk; kÿ; dk uke	l gk; d ykd l ipuk vf/kdkjh	ykd l ipuk vf/kdkjh	i fke vi hyh; vf/kdkjh
1.	वृत्त कार्यालय ग्वालियर	अधीक्षक वन वृत्त कार्यालय	संलग्नाधिकारी वृत्त कार्यालय	वन संरक्षक ग्वालियर
2.	वनमण्डल ग्वालियर	मुख्य लिपिक ग्वालियर	वनमण्डलाधिकारी ग्वालियर	वन संरक्षक ग्वालियर
3.	वनमण्डल मुरैना	मुख्य लिपिक मुरैना	वनमण्डलाधिकारी मुरैना	वन संरक्षक ग्वालियर
4.	वनमण्डल भिण्ड	मुख्य लिपिक भिण्ड	वनमण्डलाधिकारी भिण्ड	वन संरक्षक ग्वालियर
5.	वनमण्डल दतिया	मुख्य लिपिक दतिया	वनमण्डलाधिकारी दतिया	वन संरक्षक ग्वालियर
6.	वनमण्डल श्योपुर	मुख्य लिपिक श्योपुर	वनमण्डलाधिकारी श्योपुर	वन संरक्षक ग्वालियर
7.	वनमण्डल कूनो पालपुर	मुख्य लिपिक कूनो श्योपुर	वनमण्डलाधिकारी कूनो श्योपुर	वन संरक्षक ग्वालियर
8.	उपवनमण्डलाधिकारी ग्वालियर	लिपिक उपवनमण्डलाधिकारी ग्वालियर	उपवनमण्डलाधिकारी ग्वालियर	वनमण्डलाधिकारी ग्वालियर
9.	उपवनमण्डलाधिकारी घाटीगाँव	उपवनमण्डलाधिकारी घाटीगाँव	उपवनमण्डलाधिकारी घाटीगाँव	वनमण्डलाधिकारी ग्वालियर
10.	अधीक्षक सोनचिड़िया अभ्यारण्य घाटीगाँव	लेखापाल सोनचिड़िया अभ्यारण्य घाटीगाँव	अधीक्षक सोनचिड़िया अभ्यारण्य घाटीगाँव	वनमण्डलाधिकारी ग्वालियर
11.	उपवनमण्डलाधिकारी मुरैना	लिपिक उपवनमण्डलाधिकारी मुरैना	उपवनमण्डलाधिकारी मुरैना	वनमण्डलाधिकारी मुरैना
12.	उपवनमण्डलाधिकारी सबलगढ़	लिपिक उपवनमण्डलाधिकारी सबलगढ़	उपवनमण्डलाधिकारी सबलगढ़	वनमण्डलाधिकारी मुरैना
13.	अधीक्षक रा.च.अ. देवरी	लेखापाल रा.च.अ. देवरी	अधीक्षक रा.च.अ. देवरी	वनमण्डलाधिकारी मुरैना
14.	उपवनमण्डलाधिकारी भिण्ड	लिपिक उपवनमण्डलाधिकारी भिण्ड	उपवनमण्डलाधिकारी भिण्ड	वनमण्डलाधिकारी भिण्ड
15.	उपवनमण्डलाधिकारी दतिया	लिपिक उपवनमण्डलाधिकारी दतिया	उपवनमण्डलाधिकारी दतिया	वनमण्डलाधिकारी दतिया
16.	उपवनमण्डलाधिकारी श्योपुर	लिपिक उपवनमण्डलाधिकारी श्योपुर	उपवनमण्डलाधिकारी श्योपुर	वनमण्डलाधिकारी श्योपुर
17.	उपवनमण्डलाधिकारी कराहल	लिपिक उपवनमण्डलाधिकारी कराहल	उपवनमण्डलाधिकारी कराहल	वनमण्डलाधिकारी श्योपुर
18.	उपवनमण्डलाधिकारी विजयपुर	लिपिक उपवनमण्डलाधिकारी विजयपुर	उपवनमण्डलाधिकारी विजयपुर	वनमण्डलाधिकारी श्योपुर
19.	उपवनमण्डलाधिकारी कूनो पोहरी	लिपिक उपवनमण्डलाधिकारी कूनो पोहरी	उपवनमण्डलाधिकारी कूनो पोहरी	वनमण्डलाधिकारी कूनो श्योपुर
20.	उपवनमण्डलाधिकारी विजयपुर कूनो पालपुर	लिपिक उपवनमण्डलाधिकारी विजयपुर कूनो पालपुर	उपवनमण्डलाधिकारी विजयपुर कूनो पालपुर	वनमण्डलाधिकारी कूनो श्योपुर
21.	वन परिक्षेत्र अधिकारी ग्वालियर	—	परिक्षेत्र अधिकारी ग्वालियर	उपवनमण्डलाधिकारी ग्वालियर
22.	वन परिक्षेत्र अधिकारी बेहट	—	परिक्षेत्र अधिकारी बेहट	उपवनमण्डलाधिकारी ग्वालियर
23.	वन परिक्षेत्र अधिकारी घाटीगाँव उत्तर	—	परिक्षेत्र अधिकारी घाटीगाँव उत्तर	उपवनमण्डलाधिकारी घाटीगाँव
24.	वन परिक्षेत्र अधिकारी घाटीगाँव दक्षिण	—	परिक्षेत्र अधिकारी घाटीगाँव दक्षिण	उपवनमण्डलाधिकारी घाटीगाँव
25.	गेम रेंज घाटीगाँव	—	परिक्षेत्र अधिकारी गेम रेंज घाटीगाँव	अधीक्षक सोन चिड़िया अभ्यारण्य घाटीगाँव
26.	गेम रेंज तिघरा	—	परिक्षेत्र अधिकारी गेम रेंज तिघरा	अधीक्षक सोन चिड़िया अभ्यारण्य घाटीगाँव
27.	वन परिक्षेत्र अधिकारी मुरैना	—	परिक्षेत्र अधिकारी मुरैना	उपवनमण्डलाधिकारी मुरैना
28.	वन परिक्षेत्र अधिकारी जौरा	—	परिक्षेत्र अधिकारी जौरा	उपवनमण्डलाधिकारी मुरैना
29.	वन परिक्षेत्र अधिकारी सबलगढ़	—	परिक्षेत्र अधिकारी सबलगढ़	उपवनमण्डलाधिकारी सबलगढ़

Ø	dk; kly; dk uke	l gk; d ykd l ipuk vf/kdkjh	ykd l ipuk vf/kdkjh	i fke vi hyh; vf/kdkjh
30.	वन परिक्षेत्र अधिकारी पहाड़गढ़	–	परिक्षेत्र अधिकारी पहाड़गढ़	उपवनमण्डलाधिकारी सबलगढ़
31.	गेम रेंज देवरी	–	परिक्षेत्र अधिकारी गेम रेंज देवरी	अधीक्षक राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य देवरी
32.	गेम रेंज मुरैना	–	परिक्षेत्र अधिकारी गेम रेंज मुरैना	अधीक्षक राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य देवरी
33.	गेम रेंज सबलगढ़	–	परिक्षेत्र अधिकारी गेम रेंज सबलगढ़	अधीक्षक राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य शयोपुर
34.	गेम रेंज शयोपुर	–	परिक्षेत्र अधिकारी गेम रेंज शयोपुर	अधीक्षक राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य शयोपुर
35.	गेम रेंज वीरपुर	–	परिक्षेत्र अधिकारी गेम रेंज वीरपुर	अधीक्षक राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य शयोपुर
36.	गेम रेंज भिण्ड	–	परिक्षेत्र अधिकारी गेम रेंज भिण्ड	अधीक्षक राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य भिण्ड
37.	गेम रेंज अम्बाह	–	परिक्षेत्र अधिकारी गेम रेंज अम्बाह	अधीक्षक राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य भिण्ड
38.	वन परिक्षेत्र अधिकारी शयोपुर	–	परिक्षेत्र अधिकारी शयोपुर	उपवनमण्डलाधिकारी शयोपुर
39.	वन परिक्षेत्र अधिकारी बुढेरा	–	परिक्षेत्र अधिकारी बुढेरा	उपवनमण्डलाधिकारी शयोपुर
40.	वन परिक्षेत्र अधिकारी खाड़ी	–	परिक्षेत्र अधिकारी खाड़ी	उपवनमण्डलाधिकारी शयोपुर
41.	वन परिक्षेत्र अधिकारी कराहल	–	परिक्षेत्र अधिकारी कराहल	उपवनमण्डलाधिकारी कराहल
42.	वन परिक्षेत्र अधिकारी बडौदा	–	परिक्षेत्र अधिकारी बडौदा	उपवनमण्डलाधिकारी कराहल
43.	वन परिक्षेत्र अधिकारी विजयपुर पूर्व	–	परिक्षेत्र अधिकारी विजयपुर पूर्व	उपवनमण्डलाधिकारी विजयपुर
44.	वन परिक्षेत्र अधिकारी विजयपुर पश्चिम	–	परिक्षेत्र अधिकारी विजयपुर पश्चिम	उपवनमण्डलाधिकारी विजयपुर
45.	वन परिक्षेत्र अधिकारी वीरपुर	–	परिक्षेत्र अधिकारी वीरपुर	उपवनमण्डलाधिकारी विजयपुर
46.	वन परिक्षेत्र अधिकारी दतिया	–	परिक्षेत्र अधिकारी दतिया	उपवनमण्डलाधिकारी दतिया
47.	वन परिक्षेत्र अधिकारी सेवड़ा	–	परिक्षेत्र अधिकारी सेवड़ा	उपवनमण्डलाधिकारी दतिया
48.	वन परिक्षेत्र अधिकारी गोराघाट	–	परिक्षेत्र अधिकारी गोराघाट	उपवनमण्डलाधिकारी दतिया
49.	वन परिक्षेत्र अधिकारी भिण्ड	–	परिक्षेत्र अधिकारी भिण्ड	उपवनमण्डलाधिकारी भिण्ड
50.	वन परिक्षेत्र अधिकारी अटेर	–	परिक्षेत्र अधिकारी अटेर	उपवनमण्डलाधिकारी भिण्ड

gk's kxkckn oRr

क्र.	कार्यालय का नाम	सहायक लोक सूचना अधिकारी का नाम	लोक सूचना अधिकारी	अपीलिय अधिकारी
1.	मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक, होशंगाबाद	कार्यालय अधीक्षक, वृत्त कार्यालय, होशंगाबाद	संलग्न अधिकारी (सहायक वनसंरक्षक)	मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक, होशंगाबाद
2.	वनमंडलाधिकारी सामान्य, होशंगाबाद	उपवनमंडलाधिकारी सामान्य होशंगाबाद	वनमंडलाधिकारी सामान्य, होशंगाबाद	मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक, होशंगाबाद
3.	वनमंडलाधिकारी सामान्य, हरदा	उपवनमंडलाधिकारी सामान्य, उत्तर, हरदा	वनमंडलाधिकारी सामान्य, हरदा	मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक, होशंगाबाद
4.	वनमंडलाधिकारी उत्पादन, हरदा	उपवनमंडलाधिकारी	वनमंडलाधिकारी उत्पादन,	मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक,

क्र.	कार्यालय का नाम	सहायक लोक सूचना अधिकारी का नाम	लोक सूचना अधिकारी	अपीलिय अधिकारी
		उत्पादन, दक्षिण,हरदा	हरदा	होशंगाबाद
5.	वनमंडलाधिकारी सामाजिक वानिकी होशंगाबाद	प्रभारी मुख्य लिपिक, वनमंडल कार्यालय, सामाजिक वानिकी वनमंडल	वनमंडलाधिकारी सामाजिक वानिकी होशंगाबाद	मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक, होशंगाबाद
6.	उपवनमंडलाधिकारी सामान्य होशंगाबाद	—	उपवनमंडलाधिकारी सामान्य होशंगाबाद	वनमंडलाधिकारी सामान्य होशंगाबाद
7.	उपवनमंडलाधिकारी सामान्य सोहागपुर	—	उपवनमंडलाधिकारी सामान्य सोहागपुर	
8.	उपवनमंडलाधिकारी सामान्य पिपरिया	—	उपवनमंडलाधिकारी सामान्य पिपरिया	
9.	उपवनमंडलाधिकारी सामान्य सिवनीमालवा	—	उपवनमंडलाधिकारी सामान्य सिवनीमालवा	
10.	परिक्षेत्र अधिकारी सा. सुखतवा	—	परिक्षेत्र अधिकारी सा. सुखतवा	
11.	परि. अधिकारी सा. इटारसी	—	परि. अधिकारी सा. इटारसी	वनमंडलाधिकारी सामान्य, होशंगाबाद
12.	परि.अधिकारी उत्पा. इटारसी	—	परि.अधिकारी उत्पा. इटारसी	
13.	परि.अधिकारी सा. होशंगागाद	—	परि.अधिकारी सा. होशंगागाद	
14.	परि. अधिकारी सा. बागडा	—	परि. अधिकारी सा. बागडा	
15.	परि. अधिकारी सा. सोहागपुर	—	परि. अधिकारी सा. सोहागपुर	
16.	परि. अधिकारी उत्पा. सोहागपुर	—	परि. अधिकारी उत्पा. सोहागपुर	
17.	परि. अधिकारी सा. पिपरिया	—	परि. अधिकारी सा. पिपरिया	
18.	परि. अधिकारी सा. बनखेडी	—	परि. अधिकारी सा. बनखेडी	
19.	परि. अधिकारी सा. सिवनीमालवा	—	परि. अधिकारी सा. सिवनीमालवा	
20.	परि. अधिकारी सा. बानापुरा	—	परि. अधिकारी सा. बानापुरा	
21.	परि. अधिकारी उत्पा. सिवनी	—	परि. अधिकारी उत्पा. सिवनी	
22.	काष्ठभंडार अधिकारी, ताकू	—	काष्ठभंडार अधिकारी, ताकू	
23.	काष्ठभंडार अधिकारी, सोहागपुर	—	काष्ठभंडार अधिकारी, सोहागपुर	
24.	उपवनमंडलाधिकारी सामान्य उत्तर हरदा	—	उपवनमंडलाधिकारी सामान्य उत्तर हरदा	वनमंडलाधिकारी सामान्य हरदा
25.	उपवनमंडलाधिकारी(सा)दक्षिण हरदा	—	उपवनमंडलाधिकारी सामान्य दक्षिण हरदा	
26.	परि. अधिकारी सा. रहटगॉव	—	परि. अधिकारी सा. रहटगॉव	वनमंडलाधिकारी सामान्य हरदा
27.	परि. अधिकारी सा. टेमागॉव	—	परि. अधिकारी सा. टेमागॉव	
28.	परि.अधिकारी. सा. मगरधा	—	परि.अधिकारी. सा. मगरधा	
29.	परि.अधिकारी सा. बोरपानी	—	परि.अधिकारी सा. बोरपानी	
30.	परि.अधिकारी सा. मकडाई	—	परि.अधिकारी सा. मकडाई	

क्र.	कार्यालय का नाम	सहायक लोक सूचना अधिकारी का नाम	लोक सूचना अधिकारी	अपीलिय अधिकारी
31.	परि.अधिकारी सा. हंडिया	—	परि.अधिकारी सा. हंडिया	
32.	डिपो अधिकारी सा. हरदा		डिपो अधिकारी सा. हरदा	
33.	उपवनमंडलाधिकारी उत्पादन उत्तर हरदा	—	उपवनमंडलाधिकारी उत्पादन उत्तर हरदा	वनमंडलाधिकारी उत्पादन हरदा
34.	उपवनमंडलाधिकारी उत्पादन दक्षिण हरदा	—	उपवनमंडलाधिकारी उत्पादन दक्षिण हरदा	
35.	परि. अधिकारी उत्पा. रहटगाँव	—	परि. अधिकारी उत्पा. रहटगाँव	वनमंडलाधिकारी उत्पादन हरदा
36.	परि. अधिकारी उत्पा टेमागाँव	—	परि. अधिकारी उत्पा टेमागाँव	
37.	परि.अधिकारी. उत्पा मगरधा	—	परि.अधिकारी. उत्पा मगरधा	
38.	परि.अधिकारी उत्पा . बोरपानी	—	परि.अधिकारी उत्पा . बोरपानी	
39.	परि.अधिकारी उत्पा मकडाई	—	परि.अधिकारी उत्पा मकडाई	
40.	परि.अधिकारी उत्पा . हंडिया	—	परि.अधिकारी उत्पा . हंडिया	
41.	काष्ठभंडार अधिकारी, टिमरनी		काष्ठभंडार अधिकारी, टिमरनी	
42.	काष्ठभंडार अधिकारी, खिडकिया		काष्ठभंडार अधिकारी, खिडकिया	

bank oRr

Ø-	dk; k/k; dk uke	l gk; d ykd l puk vf/kdkjh	ykd l puk vf/kdkjh	vi hyh; vf/kdkjh
1	2	3	4	5
1	मुख्य वन संरक्षक वृत्त कार्यालय इंदौर	अधीक्षक वृत्त कार्यालय	स.व.स.एवं संलग्नाधिकारी वृत्त कार्यालय	मुख्य वन संरक्षक वृत्त इंदौर
2	वन मंडलाधिकारी सामान्य इंदौर	मुख्य लिपिक व.म.इंदौर	स.व.स.एवं संलग्नाधिकारी वनमंडल इंदौर	वनमंडलाधिकारी सा.क्रइंदौर
3	उप व.म.अ.सामान्यक्रइंदौर	उप व.म.कार्यालय लिपिक इंदौर	उप व.म.अ.सामान्यक्रइंदौर	वनमंडलाधिकारी सा.क्रइंदौर
4	उप व.म.अ.सामान्यक्रमहू	उप व.म.कार्यालय लिपिक महू	उप व.म.अ.सामान्यक्रमहू	वनमंडलाधिकारी सा.क्रइंदौर
5	अधीक्षक अभ्यावरण रालामंडल इंदौर	अभ्यावरण लिपिक रालामंडल इंदौर	अधीक्षक अभ्यावरण रालामंडल इंदौर	वनमंडलाधिकारी सा.क्रइंदौर
6	काष्ठागार अधिकारी रालामंडल इंदौर	काष्ठागार लिपिक रालामंडल इंदौर	काष्ठागार अधिकारी रालामंडल इंदौर	वनमंडलाधिकारी सा.क्रइंदौर
7	1 क्रपरिक्षेत्र अधिकारी इंदौर 2 क्रपरिक्षेत्र अधिकारी चोरल 3 क्रपरिक्षेत्र अधिकारी महू 4 क्रपरिक्षेत्र अधिकारी मानपुर	परि.लिपिक. इंदौर परि.लिपिक. चोरल परि.लिपिक. महू परि.लिपिक. मानपुर	वनपरिक्षेत्र अधिकारी इंदौर वनपरिक्षेत्र अधिकारी चोरल वनपरिक्षेत्र अधिकारी महू वनपरिक्षेत्र अधिकारी मानपुर	उप व.म.अ.सा.क्रइंदौर उप व.म.अ.सा.क्रइंदौर उप व.म.अ.सा.क्रमहू उप व.म.अ.सा.क्रमहू
8	वन मंडलाधिकारी सामान्य धार	मुख्य लिपिक वनमंडल धार	उपवनमंडलाधिकारी धार	वनमंडलाधिकारी सा.क्रधार
9	उप व.म.अ.सामान्यक्रधार	उपवनमंडल कार्यालय लिपिक धार	उप व.म.अ.सामान्यक्रधार	वनमंडलाधिकारी सा.क्रधार
10	उप व.म.अ.सामान्यक्र सरदारपुर	उपवनमंडल कार्यालय लिपिक सरदारपुर	उप व.म.अ.सामान्यक्र सरदारपुर	वनमंडलाधिकारी सा.क्रधार

Ø-	dk; kŷk; dk uke	l gk; d ykd l puk vf/kdkjh	ykd l puk vf/kdkjh	vi hyh; vf/kdkjh
11	11 क्रपरिक्षेत्र अधिकारी धार 12 क्रपरिक्षेत्र अधिकारी माण्डव 13 क्रपरिक्षेत्र अधिकारी धामनोद 14 क्रपरिक्षेत्र अधिकारी सरदारपुर 15 क्रपरिक्षेत्र अधिकारी टाण्डा 16 क्रपरिक्षेत्र अधिकारी बाग 17 क्रपरिक्षेत्र अधिकारी कुक्षी	परि.लिपिक. धार परि.लिपिक.माण्डव परि.लिपिक.धामनोद परि.लिपिक.सरदारपुर परि.लिपिक.टांडा परि.लिपिक. बाग परि.लिपिक.कुक्षी	वनपरिक्षेत्र अधिकारी धार वनपरिक्षेत्र अधिकारी माण्डव वनपरिक्षेत्र अधिकारी धामनोद वनपरिक्षेत्र अधिकारी सरदारपुर वनपरिक्षेत्र अधिकारी टाण्डा वनपरिक्षेत्र अधिकारी बाग वनपरिक्षेत्र अधिकारी कुक्षी	उप व.म.अ. धार उप व.म.अ. धार उप व.म.अ. धार उप व.म.अ. सरदापुर उप व.म.अ. सरदापुर उप व.म.अ. सरदापुर उप व.म.अ. सरदापुर
12	वन मंडलाधिकारी सिं.क्र.झाबुआ	मुख्य लिपिक व.म.झाबुआ	स.व.स. एवं संलग्नाधिकारी वनमंडल झाबुआ	व.म.अ.सिं.क्र.झाबुआ
13	उप व.म.अ.झाबुआ	उप व.म.कार्यालय लिपिक झाबुआ	उप व.म.अ.झाबुआ	व.म.अ.सिं.क्र.झाबुआ
14	11 क्रपरिक्षेत्र अधिकारी झाबुआ 12 क्रपरिक्षेत्र अधिकारी थांदला 13 क्रपरिक्षेत्र अधिकारी पेटलावद	परि.लिपिक. झाबुआ परि.लिपिक.थांदला परि.लिपिक. पेटलावद	वनपरिक्षेत्र अधिकारी झाबुआ वनपरिक्षेत्र अधिकारी थांदला वनपरिक्षेत्र अधिकारी पेटलावद	उप व.म.अ.झाबुआ उप व.म.अ.झाबुआ उप व.म.अ.झाबुआ
15	वन मंडलाधिकारी सिं.क्र. अलिराजपुर	मुख्य लिपिक व.म.	उप व.म.अ. अलिराजपुर	व.म.अ.सिं.क्र.अलिराजपुर
16	उप व.म.अ. अलिराजपुर	उप व.म. कार्यालय लिपिक अलिराजपुर	उप व.म.अ. अलिराजपुर	व.म.अ.सिं.क्र.अलिराजपुर
17	उप व.म.अ. भाभरा	उप व.म.कार्यालय लिपिक भाभरा	उप व.म.अ. भाभरा	व.म.अ.सिं.क्र.अलिराजपुर
18	11 क्रपरिक्षेत्र अधिकारी अलिराजपुर 12 क्रपरिक्षेत्र अधिकारी उमराली 13 क्रपरिक्षेत्र अधिकारी मथवाडा 14 क्रपरिक्षेत्र अधिकारी जोबट 15 क्रपरिक्षेत्र अधिकारी भाभरा 16 क्रपरिक्षेत्र अधिकारी कट्ठीवाडा	परि.लिपिक.अलिराजपुर परि.लिपिक.उमराली परि.लिपिक.मथवाडा परि.लिपिक. जोबट परि.लिपिक.भाभरा परि.लिपिक. कट्ठीवाडा	वनपरिक्षेत्र अधिकारी अलिराजपुर वनपरिक्षेत्र अधिकारी उमराली वनपरिक्षेत्र अधिकारी मथवाडा वनपरिक्षेत्र अधिकारी जोबट वनपरिक्षेत्र अधिकारी भाभरा वनपरिक्षेत्र अधिकारी कट्ठीवाडा	उप व.म.अ.अलिराजपुर उप व.म.अ.अलिराजपुर उप व.म.अ.अलिराजपुर उप व.म.अ.भाभरा उप व.म.अ.भाभरा उप व.म.अ.भाभरा

tcyij oRr

Ø0	dk; kŷ; dk uke	l gk; d ykd l puk vf/kdkjh	ykd l puk vf/kdkjh	vi hyh; vf/kdkjh
1	2	3	4	5
1	मुख्य वन संरक्षक मध्य वृत्त जबलपुर	अधीक्षक वृत्त	स0व0स0 संलग्नाधिकारी	मुख्य वन संरक्षक मध्यवृत्त जबलपुर
2	वन मंडल अधिकारी सामान्य जबलपुर	मुख्य लिपिक वनमंडल	स0व0स0 संलग्नाधिकारी वन मंडल	वन मंडल अधिकारी सा0 जबलपुर
3	उप वन मंडल अधिकारी सामान्य जबलपुर	—	उप वन मंडल अधिकारी सामान्य जबलपुर	वन मंडल अधिकारी सा0 जबलपुर
4	उप वन मंडल अधिकारी सामान्य सिहोरा	—	उप वन मंडल अधिकारी सामान्य सिहोरा	वन मंडल अधिकारी सा0 जबलपुर
5	1. परिक्षेत्र अधिकारी जबलपुर	—	1. परिक्षेत्र अधिकारी	उप वन मंडल अधिकारी

Ø0	dk; kly; dk uke	l gk; d ykd l ipuk vf/kdkjh	ykd l ipuk vf/kdkjh	vi hyh; vf/kdkjh
	2. परिक्षेत्र अधिकारी बरगी 3. परिक्षेत्र अधिकारी पाटन 4. परिक्षेत्र अधिकारी शहपुरा		जबलपुर 2. परिक्षेत्र अधिकारी बरगी 3. परिक्षेत्र अधिकारी पाटन 4. परिक्षेत्र अधिकारी शहपुरा	सामान्य जबलपुर
6	1. परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम 2. परिक्षेत्र अधिकारी सिहोरा 3. परिक्षेत्र अधिकारी पनागर	—	1. परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम 2. परिक्षेत्र अधिकारी सिहोरा 3. परिक्षेत्र अधिकारी पनागर	उप वन मंडल अधिकारी सामान्य सिहोरा
7	वन मंडल अधिकारी कटनी सामान्य	मुख्य लिपिक वनमंडल	स0व0स0 संलग्नाधिकारी	वन मंडल अधिकारी सामान्य कटनी
8	उप. वन मंडल अधिकारी सामान्य पूर्व कटनी	—	उप. वन मंडल अधिकारी सामान्य पूर्व कटनी	वन मंडल अधिकारी सामान्य कटनी
9	उप वन मण्डल अधिकारी पश्चिम कटनी	—	उप वन मण्डल अधिकारी पश्चिम कटनी	वन मंडल अधिकारी सामान्य कटनी
10	1. परिक्षेत्र अधिकारी कटनी 2. परिक्षेत्र अधिकारी विजयराघवगढ़ 3. परिक्षेत्र अधिकारी बडवारा	—	1. परिक्षेत्र अधिकारी कटनी 2. परिक्षेत्र अधिकारी विजयराघवगढ़ 3. परिक्षेत्र अधिकारी बडवारा	उप. वन मंडल अधिकारी सामान्य पूर्व कटनी
11	1. परिक्षेत्र अधिकारी बहोरीबंद 2. परिक्षेत्र अधिकारी रीठी 3. परिक्षेत्र अधिकारी ढीमरखेडा	—	1. परिक्षेत्र अधिकारी बहोरीबंद 2. परिक्षेत्र अधिकारी रीठी 3. परिक्षेत्र अधिकारी ढीमरखेडा	उप वन मण्डल अधिकारी पश्चिम सामान्य कटनी
12	वन मंडल अधिकारी पश्चिम सामान्य मंडला	मुख्य लिपिक वनमंडल	स0व0स0 संलग्नाधिकारी सामान्य पश्चिम मंडला	वन मंडल अधिकारी सा. पश्चिम मंडला
13	उप वन मण्डल अधिकारी सामान्य महाराजपुर	—	उप वन मण्डल अधिकारी सामान्य महाराजपुर	वन मंडल अधिकारी सा. पश्चिम मंडला
14	उप वन मण्डल अधिकारी सामान्य निवास	—	उप वन मण्डल अधिकारी सामान्य निवास	वन मंडल अधिकारी सा. पश्चिम मंडला
15	1. परिक्षेत्र अधिकारी महाराजपुर 2. परिक्षेत्र अधिकारी मंडला 3. परिक्षेत्र अधिकारी बम्हनी 4. परिक्षेत्र अधिकारी टिकरिया	—	1. परिक्षेत्र अधिकारी महाराजपुर 2. परिक्षेत्र अधिकारी मंडला 3. परिक्षेत्र अधिकारी बम्हनी 4. परिक्षेत्र अधिकारी टिकरिया	उप वन मण्डल अधिकारी सामान्य महाराजपुर
16	1. परिक्षेत्र अधिकारी निवास 2. परिक्षेत्र अधिकारी बरेला.. 3. परिक्षेत्र अधिकारी बीजाडांडी 4. परिक्षेत्र अधिकारी कालपी	—	1. परिक्षेत्र अधिकारी निवास 2. परिक्षेत्र अधिकारी बरेला.. 3. परिक्षेत्र अधिकारी बीजाडांडी 4. परिक्षेत्र अधिकारी कालपी	उप वन मण्डल अधिकारी सामान्य निवास

Ø0	dk; kly; dk uke	l gk; d ykd l ipuk vf/kdkjh	ykd l ipuk vf/kdkjh	vi hyh; vf/kdkjh
17	वन मंडल अधिकारी सामान्य पूर्व मंडला	मुख्य लिपिक वनमंडल	स0व0स0 संलग्नाधिकारी मंडला	वन मंडल अधिकारी पूर्व सा0 मंडला
18	उप वन मंडल अधिकारी जगमंडल	—	उप वन मंडल अधिकारी जगमंडल सामान्य	वन मंडल अधिकारी पूर्व सा0 मंडला
19	उप वन मंडल सामान्य अधिकारी बिछिया	—	उप वन मंडल सामान्य अधिकारी सामान्यबिछिया	वन मंडल अधिकारी पूर्व सा0 मंडला
20	1. परिक्षेत्र अधिकारी जगमंडल 2. परिक्षेत्र अधिकारी मोहगांव 3. परिक्षेत्र अधिकारी घुघरी	—	1. परिक्षेत्र अधिकारी जगमंडल 2. परिक्षेत्र अधिकारी मोहगांव 3. परिक्षेत्र अधिकारी घुघरी	उप वन मंडल अधिकारी सामान्य जगमंडल
21	1. परिक्षेत्र अधिकारी बिछिया 2. परिक्षेत्र अधिकारी मोतीनाला 3. परिक्षेत्र अधिकारी मबई	—	1. परिक्षेत्र अधिकारी बिछिया 2. परिक्षेत्र अधिकारी मोतीनाला 3. परिक्षेत्र अधिकारी मबई	उप वन मंडल सामान्य अधिकारी बिछिया
22	वन मंडल अधिकारी सामान्य डिन्डौरी	मुख्य लिपिक वनमंडल	सं.व.स. संलग्नाधिकारी डिन्डौरी	व0म0अ0 सामान्य डिन्डौरी
23	उप वन मंडल सामान्य अधिकारी गाडासरई	—	उप वन मंडल सामान्य अधिकारी गाडासरई	व0म0अ0 सामान्य डिन्डौरी
24	उप वन मंडल सामान्य डिन्डौरी	—	उप वन मंडल सामान्य डिन्डौरी	व0म0अ0 सामान्य डिन्डौरी
25	उप वन मंडल अधिकारी सामान्य शहपुरा	—	उप वन मंडल अधिकारी सामान्य शहपुरा	व0म0अ0 सामान्य डिन्डौरी
26	1. परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व करंजिया 2. परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम करंजिया 3. परिक्षेत्र अधिकारी बजाग 4. दक्षिण समनापुर	—	1. परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व करंजिया 2. परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम करंजिया 3. परिक्षेत्र अधिकारी बजाग 4. दक्षिण समनापुर	उप वन मंडल सामान्य अधिकारी गाडासरई
27	1. परिक्षेत्र अधिकारी डिन्डौरी 2. परिक्षेत्र अधिकारी उत्तरसमनापुर 3. परिक्षेत्र अधिकारी अमरपुर	—	1. परिक्षेत्र अधिकारी डिन्डौरी 2. परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर समनापुर 3. परिक्षेत्र अधिकारी अमरपुर	उप वन मंडल सामान्य डिन्डौरी
28	1. परिक्षेत्र अधिकारी शाहपुर 2. परिक्षेत्र अधिकारी शहपुरा 3. परिक्षेत्र अधिकारी मेंहदवानी	—	1. परिक्षेत्र अधिकारी शाहपुर 2. परिक्षेत्र अधिकारी शहपुरा 3. परिक्षेत्र अधिकारी मेंहदवानी	उप वन मंडल अधिकारी सामान्य शहपुरा
29	वन मंडल अधिकारी उत्पादन मंडला	मुख्य लिपिक वनमंडल	उप वन मंडल अधिकारी उत्पादन महाराजपुर	वन मंडल अधिकारी उत्पादन मंडला
30	उप वनमंडल उत्पादन अधिकारी महाराजपुर	—	उप वन मंडल उत्पादन अधिकारी महाराजपुर	वन मंडल अधिकारी उत्पादन मंडला
31	उप वन मंडल अधिकारी उत्पादन बिछिया	—	उप वन मंडल अधिकारी उत्पादन बिछिया	वन मंडल अधिकारी उत्पादन मंडला
32	उप वन मंडल अधिकारी उत्पा0 बरेला	—	उप वन मंडल अधिकारी उत्पादन बरेला	वन मंडल अधिकारी उत्पादन मंडला
33	1. परिक्षेत्र अधिकारी मंडला 2. परिक्षेत्र अधिकारी महाराजपुर	—	1. परिक्षेत्र अधिकारी मंडला	उप वन मंडल उत्पादन अधिकारी महाराजपुर

Ø0	dk; kly; dk uke	l gk; d ykd l ipuk vf/kdkjh	ykd l ipuk vf/kdkjh	vi hyh; vf/kdkjh
	3. परिक्षेत्र अधिकारी मोहगांव 4. परिक्षेत्रअधिकारी रसैयादोना डिपो		2. परिक्षेत्र अधिकारी महाराजपुर 3. परिक्षेत्र अधिकारी मोहगांव 4. परिक्षेत्र अधिकारी रसैयादोना डिपो	
34	1. परिक्षेत्र अधिकारी अंजनिया 2. परिक्षेत्र अधिकारी मवई 3. परिक्षेत्र अधिकारी मोतीनाला 4. परिक्षेत्र अधिकारी सिझौरा डिपो	—	1. परिक्षेत्र अधिकारी अंजनिया 2. परिक्षेत्र अधिकारी मवई 3. परिक्षेत्र अधिकारी मोतीनाला 4. परिक्षेत्र अधिकारी सिझौरा डिपो	उप वन मंडल अधिकारी उत्पादन बिछिया
35	1. परिक्षेत्र अधिकारी कालपी 2. परिक्षेत्र अधिकारी बरेला 3. परिक्षेत्र अधिकारी कालपी डिपो	—	1. परिक्षेत्र अधिकारी कालपी 2. परिक्षेत्र अधिकारी बरेला 3. परिक्षेत्र अधिकारी कालपी डिपो	उप वन मंडल अधिकारी उत्पादन बरेला
36	वन मंडल अधिकारी उत्पादन डिन्डौरी	मुख्य लिपिक वनमंडल	उप वन मंडल अधिकारी उत्पादन डिन्डौरी	वन मंडल अधिकारी उत्पा0 डिन्डौरी
37	उप वन मंडल अधिकारी उत्पादन डिन्डौरी	—	उप वन मंडल अधिकारी उत्पादन डिन्डौरी	वन मंडल अधिकारी उत्पा0 डिन्डौरी
38	उप वन मंडल अधिकारी उत्पादन गाड़ासई	—	उप वन मंडल अधिकारी उत्पादन गाड़ासई	वन मंडल अधिकारी उत्पा0 डिन्डौरी
39	1. परिक्षेत्र अधिकारी डिन्डौरी 2. प0 अधिकारी समनापुर पश्चिम	---	1. परिक्षेत्र अधिकारी डिन्डौरी 2.परिक्षेत्र अधिकारी समनापुर पश्चिम	उप वन मंडल अधिकारी उत्पादन डिन्डौरी
40	1. परिक्षेत्र अधिकारी करंजिया पूर्व 2. परिक्षेत्र अधिकारी प0 करंजिया 3. परिक्षेत्र अधिकारी बजाग 4. प0 अधिकारी गाढासरई डिपों 5. परिक्षेत्र अधिकारी करंजिया डिपों	—	1. परिक्षेत्र अधिकारी करंजिया पूर्व 2. परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम करंजिया 3. परिक्षेत्र अधिकारी बजाग 4. परिक्षेत्र अधिकारी गाढासरई डिपों 5. परिक्षेत्र अधिकारी करंजिया डिपों	उप वन मंडल अधिकारी उत्पादन गाड़ासई

खण्डवा वृत्त

Ø-	dk; kly; dk uke	l gk; d ykd l ipuk vf/kdkjh	ykd l ipuk vf/kdkjh	vi hyh; vf/kdkjh
1	वनवृत्त खण्डवा	अधीक्षक वन वृत्त	सहायक वन संरक्षक / संलग्नाधिकारी	मुख्य वन संरक्षक खण्डवा वृत्तखण्डवा
2	वनमण्डल सा.खण्डवा	संलग्न अधिकारी / मुख्य लिपिक वनमण्डल	वनसंरक्षक/ वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खण्डवा	मुख्य वन संरक्षक खण्डवा वृत्तखण्डवा
3	उप वनमण्डल सा.खण्डवा	लिपिक उप वनमण्डल	उप वनमण्डलाधिकारी सा.खण्डवा	वनसंरक्षक/ वनमण्डलाधिकारी सामान्य खण्डवा
4	उप वनमण्डल	लिपिक	उप वनमण्डलाधिकारी	वनसंरक्षक/

Ø-	dk; kly; dk uke	l gk; d ykd l ipuk vf/kdkjh	ykd l ipuk vf/kdkjh	vi hyh; vf/kdkjh
	सा. पुनासा	उप वनमण्डल	सा. पुनासा	वनमण्डलाधिकारी सामान्य खण्डवा
5	उप वनमण्डल सा. हरसूद	लिपिक उप वनमण्डल	उप वनमण्डलाधिकारी सा. हरसूद	वनसंरक्षक / वनमण्डलाधिकारी सामान्य खण्डवा
6	उप वनमण्डल सा. पूर्व कालीभीत	लिपिक उप वनमण्डल	उप वनमण्डलाधिकारी सा. पूर्व कालीभीत	वनसंरक्षक / वनमण्डलाधिकारी सामान्य खण्डवा
7	उप वनमण्डल सा. पश्चिम कालीभीत	लिपिक उप वनमण्डल	उप वनमण्डलाधिकारी सा. पश्चिम कालीभीत	वनसंरक्षक / वनमण्डलाधिकारी सामान्य खण्डवा
8	परिक्षेत्र सा.खण्डवा	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्रधिकारी सा. खण्डवा	उपवनमण्डलाधिकारी सामान्य खण्डवा
9	परिक्षेत्र सा. सिंगाजी	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्रधिकारी सा. सिंगाजी	उपवनमण्डलाधिकारी सामान्य खण्डवा
10	परिक्षेत्र सा.पुनासा	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्रधिकारी सा. पुनासा	उपवनमण्डलाधिकारी सामान्य पुनासा
11	परिक्षेत्र सा.मूंदी	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्रधिकारी सा. मूंदी	उपवनमण्डलाधिकारी सामान्य पुनासा
12	परिक्षेत्र सा.बलडी	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्रधिकारी सा. बलडी	उपवनमण्डलाधिकारी सामान्य हरसूद
13	परिक्षेत्र सा.चांदगढ	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्रधिकारी सा. चांदगढ	उपवनमण्डलाधिकारी सामान्य हरसूद
14	परिक्षेत्र सा.अमूला	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्रधिकारी सा. अमूला	उपवनमण्डलाधिकारी पश्चिम कालीभीत
15	परिक्षेत्र सा.पिपलोद	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्रधिकारी सा. पिपलोद	वनमण्डलाधिकारी सा. पश्चिम कालीभीत
16	परिक्षेत्र सा.पश्चिम कालीभीत	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्रधिकारी सा. पश्चिम कालीभीत	उपवनमण्डलाधिकारी सा. पश्चिम कालीभीत
17	परिक्षेत्र सा .पूर्व कालीभीत	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्रधिकारी सा. पूर्व कालीभीत	उपवनमण्डलाधिकारी सा. पश्चिम कालीभीत
18	परिक्षेत्र सा.आवलिया	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्रधिकारी सा. आवलिया	उपवनमण्डलाधिकारी सा. पश्चिम कालीभीत
19	वनमण्डल सा.बुरहानपुर	संलग्नाधिकारी / मुख्य लिपिक	वनमण्डलाधिकारी बुरहानपुर	मुख्य वन संरक्षक खण्डवा वृत्त खण्डवा
20	उप वनमण्डल बुरहानपुर	लिपिक उप वनमण्डल	उपवनमण्डलाधिकारी बुरहानपुर	वनमण्डलाधिकारी बुरहानपुर
21	उप वनमण्डल नेपानगर	लिपिक उप वनमण्डल	उपवनमण्डलाधिकारी नेपानगर	वनमण्डलाधिकारी बुरहानपुर
22	वन परिक्षेत्र बुरहानपुर	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्रधिकारी बुरहानपुर	उपवनमण्डलाधिकारी बुरहानपुर
23	वन परिक्षेत्र खकनार	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्रधिकारी खकनार	उपवनमण्डलाधिकारी बुरहानपुर
24	वन परिक्षेत्र नेपानगर	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्रधिकारी नेपानगर	उपवनमण्डलाधिकारी नेपानगर
25	वन परिक्षेत्र असीर	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्रधिकारी असीर	उपवनमण्डलाधिकारी नेपानगर
26	वनमण्डल सा. खरगोन	संलग्नाधिकारी / मुख्य लिपिक	वनमण्डलाधिकारी खरगोन	मुख्य वन संरक्षक खण्डवा वृत्त खण्डवा
27	उप वनमण्डल बिस्टान	लिपिक	उपवनमण्डलाधिकारी	वनमण्डलाधिकारी खरगोन

Ø-	dk; kly; dk uke	l gk; d ykd l ipuk vf/kdkjh	ykd l ipuk vf/kdkjh	vi hyh; vf/kdkjh
	मु. खरगोन	उप वनमण्डल	बिस्टान	
28	उप वनमण्डल भीकनगाँव	लिपिक उप वनमण्डल	उपवनमण्डलाधिकारी भीकनगाँव	वनमण्डलाधिकारी खरगोन
29	वन परिक्षेत्र खरगोन	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्राधिकारी खरगोन	उपवनमण्डलाधिकारी बिस्टान मु. खरगोन
30	वन परिक्षेत्र बिस्टान	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्राधिकारी बिस्टान	उपवनमण्डलाधिकारी बिस्टान मु. खरगोन
31	वन परिक्षेत्र सिरवेल	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्राधिकारी सिरवेल	उपवनमण्डलाधिकारी बिस्टान मु. खरगोन
32	वन परिक्षेत्र कसरावद	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्राधिकारी कसरावद	उपवनमण्डलाधिकारी बिस्टान मु. खरगोन
33	वन परिक्षेत्र बरुड	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्राधिकारी बरुड	उपवनमण्डलाधिकारी बिस्टान मु. खरगोन
34	वन परिक्षेत्र भीकनगाँव	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्राधिकारी भीकनगाँव	उपवनमण्डलाधिकारी भीकनगाँव
35	वन परिक्षेत्र चिरिया	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्राधिकारी चिरिया	उपवनमण्डलाधिकारी भीकनगाँव
36	वन परिक्षेत्र तितरानिया	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्राधिकारी तितरानिया	उपवनमण्डलाधिकारी भीकनगाँव
37	वनमण्डल सा. बडवाह	संलग्नाधिकारी / मुख्य लिपिक	वनमण्डलाधिकारी बडवाह	मुख्य वन संरक्षक खण्डवा वृत्त खण्डवा
38	उपवनमण्डल बडवाह	लिपिक उपवनमण्डल	उपवनमण्डलाधिकारी बडवाह	वनमण्डलाधिकारी बडवाह
39	वन परिक्षेत्र बडवाह	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्राधिकारी बडवाह	उपवनमण्डलाधिकारी बडवाह
40	वन परिक्षेत्र मण्डलेश्वर	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्राधिकारी मण्डलेश्वर	उपवनमण्डलाधिकारी बडवाह
41	वन परिक्षेत्र पाडल्या	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्राधिकारी पाडल्या	उपवनमण्डलाधिकारी बडवाह
42	वन परिक्षेत्र सनावद	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्राधिकारी सनावद	उपवनमण्डलाधिकारी बडवाह
43	वन परिक्षेत्र बलवाडा	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्राधिकारी बलवाडा	उपवनमण्डलाधिकारी बडवाह
44	वन परिक्षेत्र काटकूट	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्राधिकारी काटकूट	उपवनमण्डलाधिकारी बडवाह
45	वन परिक्षेत्र काकडदा	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्राधिकारी काकडदा	उपवनमण्डलाधिकारी बडवाह
46	वनमण्डल सा. बडवानी	संलग्नाधिकारी / मुख्य लिपिक	वनमण्डलाधिकारी बडवानी	मुख्य वन संरक्षक खण्डवा वृत्त खण्डवा
47	उपवनमण्डल बडवानी	लिपिक उपवनमण्डल	उपवनमण्डलाधिकारी बडवानी	वनमण्डलाधिकारी बडवानी
48	वन परिक्षेत्र बडवानी	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्राधिकारी बडवानी	उपवनमण्डलाधिकारी बडवानी
49	वन परिक्षेत्र पाटी	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्राधिकारी पाटी	उपवनमण्डलाधिकारी बडवानी
50	वन परिक्षेत्र बोकराटा	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्राधिकारी बोकराटा	उपवनमण्डलाधिकारी बडवानी
51	वन परिक्षेत्र राजपुर	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्राधिकारी राजपुर	उपवनमण्डलाधिकारी बडवानी
52	वनमण्डल सा. सेन्धवा	संलग्नाधिकारी / मुख्य लिपिक	वनमण्डलाधिकारी सेन्धवा	मुख्य वन संरक्षक खण्डवा वृत्त खण्डवा

Ø-	dk; kly; dk uke	l gk; d ykd l ipuk vf/kdkjh	ykd l ipuk vf/kdkjh	vi hyh; vf/kdkjh
1	परिक्षेत्र गुडी	परिक्षेत्र लिपिक	वन परिक्षेत्राधिकारी गुडी	उपवनमण्डलाधिकारी सामान्य खण्डवा
2	परिक्षेत्र पूर्व कालीभीत रीशनीक्र	परिक्षेत्र लिपिक	वन परिक्षेत्राधिकारी कालीभीतर्रीशनीक्र	उपवनमण्डलाधिकारी सामान्य खण्डवा
3	परिक्षेत्र आवलिया मीरगढीक्र	परिक्षेत्र लिपिक	वन परिक्षेत्राधिकारी आवलिया मीरगढीक्र	उपवनमण्डलाधिकारी सिंक्र पूर्व कालीभीत निया हरसूदक्र
4	परिक्षेत्र सिंगाजी छिनेराक्र	परिक्षेत्र लिपिक	वन परिक्षेत्राधिकारी सिंगाजी छिनेराक्र	उपवनमण्डलाधिकारी सिंक्र पूर्व कालीभीत निया हरसूदक्र
5	परिक्षेत्र बलडी फिल्लोदक्र	परिक्षेत्र लिपिक	वन परिक्षेत्राधिकारी बलडी फिल्लोदक्र	उपवनमण्डलाधिकारी सिंक्र पूर्व कालीभीत निया हरसूदक्र
6	परिक्षेत्र मूदी	परिक्षेत्र लिपिक	वन परिक्षेत्राधिकारी मूदी	उपवनमण्डलाधिकारी सिंक्र पूर्व कालीभीत निया हरसूदक्र
7	परिक्षेत्र चांदगढ निर्मदानगरक्र	परिक्षेत्र लिपिक	वन परिक्षेत्राधिकारी चांदगढ निर्मदानगरक्र	उपवनमण्डलाधिकारी सामान्य पुनासा
8	परिक्षेत्र पश्चिम कालीभीत खिलवाक्र	परिक्षेत्र लिपिक	वन परिक्षेत्राधिकारी पश्चिम कालीभीत खिलवाक्र	उपवनमण्डलाधिकारी सामान्य पुनासा
9	परिक्षेत्र खालवा	परिक्षेत्र लिपिक	वन परिक्षेत्राधिकारी खालवा	उपवनमण्डलाधिकारी पश्चिम कालीभीत खालवा
10	उप वनमण्डल पाटी बिडवानीक्र	उप वनमण्डल लिपिक	उप वनमण्डलाधिकारी पाटी बिडवानीक्र	वनमण्डलाधिकारी बडवानी
11	परिक्षेत्र पाटी	परिक्षेत्र लिपिक	वन परिक्षेत्राधिकारी पाटी	उपवनमण्डलाधिकारी पाटी बिडवानीक्र
12	परिक्षेत्र बोकराटा	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्राधिकारी बोकराटा	उपवनमण्डलाधिकारी पाटी बिडवानीक्र
13	उप वनमण्डल मण्डलेश्वर	उप वनमण्डल लिपिक	उप वनमण्डलाधिकारी मण्डलेश्वर	वनमण्डलाधिकारी बडवाह
14	परिक्षेत्र मण्डलेश्वर	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्राधिकारी मण्डलेश्वर	उपवनमण्डलाधिकारी मण्डलेश्वर
15	परिक्षेत्र पाडल्या	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्राधिकारी पाडल्या	उपवनमण्डलाधिकारी मण्डलेश्वर
16	परिक्षेत्रा काकडदा	लिपिक परिक्षेत्रा	वन परिक्षेत्राधिकारी काकडदा	उपवनमण्डलाधिकारी मण्डलेश्वर
17	परिक्षेत्र बलवाडा	लिपिक परिक्षेत्र	वन परिक्षेत्राधिकारी बलवाडा	उपवनमण्डलाधिकारी मण्डलेश्वर

रीवा वृत्त

dz	dk; kly; dk uke	l gk; d ykd l ipuk vf/kdkjh	ykd l ipuk vf/kdkjh	vi hyh; vf/kdkjh
1	वन वृत्त कार्यालय रीवा	अधीक्षक वृत्त कार्यालय रीवा	संलग्नाधिकारी रीवा वृत्त रीवा	मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा
2	अनुसंधान विस्तार वृत्त रीवा	सहायक वन संरक्षक अनु0वि0 रीवा	मुख्य वन संरक्षक अनु0वि0 वृत्त रीवा	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनु0वि0 एवं लोक वानिकी भोपाल
3	क्षेत्रसंचालक संजय टाइगर रिजर्व सीधी	—	सहायक संचालक सीधी	उप संचालक सीधी
4	अधीक्षक संजय दुबरी अम्यारण्य सीधी	—	अधीक्षक संजय दुबरी अम्यारण्य सीधी	उप संचालक सीधी
5	अधीक्षक बगदरा अम्यारण्य सीधी	—	अधीक्षक बगदरा अम्यारण्य सीधी	उप संचालक सीधी

द३	dk; kly; dk uke	l gk; d ykd l ipuk vf/kdkjh	ykd l ipuk vf/kdkjh	vi hyh; vf/kdkjh
6	अधीक्षक सोन घडियाल अम्यारण्य सीधी		अधीक्षक सोन घडियाल अम्यारण्य सीधी	उप संचालक सीधी
7	परिक्षेत्र अधिकारी मोहन		परिक्षेत्र अधिकारी मोहन	सहायक संचालक सीधी
8	परिक्षेत्र अधिकारी पोडी		परिक्षेत्र अधिकारी पोडी	सहायक संचालक सीधी
9	परिक्षेत्र अधिकारी दुबरी		परिक्षेत्र अधिकारी दुबरी	अधीक्षक संजय दुबरी अम्यारण्य सीधी
10	परिक्षेत्र अधिकारी बस्तुआ		परिक्षेत्र अधिकारी बस्तुआ	अधीक्षक संजय दुबरी अम्यारण्य सीधी
11	परिक्षेत्र अधिकारी बगदरा,		परिक्षेत्र अधिकारी बगदरा,	अधीक्षक बगदरा अम्यारण्य सीधी
12	परिक्षेत्र अधिकारी सोनघडियाल		परिक्षेत्र अधिकारी सोनघडियाल	अधीक्षक सोन घडियाल अम्यारण्य सीधी
13	कार्य आयोजना रीवा	वनक्षेत्रपाल	वन संरक्षक कार्य आयोजना रीवा	मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा
14	वनमण्डल कार्यालय रीवा	सहायक वन संरक्षक ,उप वन मण्डलाधिकारी रीवा	वनमण्डलाधिकारी रीवा	मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा
15	उप वन मण्डल कार्यालय रीवा	—	उप वन मंडल अधिकारी रीवा	वन मण्डल अधिकारी रीवा
16	उप वन मण्डल कार्यालय मर्ग गंज	—	उप वन मंडल अधिकारी मर्ग गंज	वन मण्डल अधिकारी रीवा
17	परिक्षेत्र कार्यालय रीवा	परिक्षेत्र सहायक रीवा	परिक्षेत्रधिकारी रीवा	उप वन मंडल अधिकारी रीवा
18	परिक्षेत्र कार्यालय सेमरिया	परिक्षेत्र सहायक सेमरिया	परिक्षेत्रधिकारी सेमरिया	उप वन मंडल अधिकारी रीवा
19	परिक्षेत्र कार्यालय सिरमौर	परिक्षेत्र सहायक सिरमौर	परिक्षेत्रधिकारी सिरमौर	उप वन मंडल अधिकारी रीवा
20	परिक्षेत्र कार्यालय अतरैला	परिक्षेत्र सहायक अतरैला	परिक्षेत्रधिकारी अतरैला	उप वन मंडल अधिकारी रीवा
21	परिक्षेत्र कार्यालय डभौरा	परिक्षेत्र सहायक डभौरा	परिक्षेत्रधिकारी डभौरा	उप वन मंडल अधिकारी रीवा
22	परिक्षेत्र कार्यालय मर्ग गंज	परिक्षेत्र सहायक मर्ग गंज	परिक्षेत्रधिकारी मर्ग गंज	उप वन मंडल अधिकारी मर्ग गंज
23	परिक्षेत्र कार्यालय हनुमना	परिक्षेत्र सहायक हनुमना	परिक्षेत्रधिकारी हनुमना	उप वन मंडल अधिकारी मर्ग गंज
24	परिक्षेत्र कार्यालय चाकघाट	परिक्षेत्र सहायक चाकघाट	परिक्षेत्रधिकारी चाकघाट	उप वन मंडल अधिकारी मर्ग गंज
25	वनमण्डल कार्यालय सतना	उप वन मण्डलाधिकारी सतना	वनमण्डलाधिकारी सतना	मुख्य वन संरक्षक,रीवा वृत्त रीवा
26	उप वन मण्डल कार्यालय सतना	—	उप वन मंडल अधिकारी सतना	वन मण्डल अधिकारी सतना
27	उप वन मण्डल कार्यालय मैहर	—	उप वन मंडल अधिकारी मैहर	वन मण्डल अधिकारी सतना
28	उप वन मण्डल कार्यालय चित्रकूट	—	उप वन मंडल अधिकारी चित्रकूट	वन मण्डल अधिकारी सतना
29	परिक्षेत्र कार्यालय सतना	परिक्षेत्र सहायक सज्जनपुर	परिक्षेत्रधिकारी सतना	उप वन मंडल अधिकारी सतना
30	परिक्षेत्र कार्यालय नागौद	परिक्षेत्र सहायक नागौद	परिक्षेत्रधिकारी नागौद	उप वन मंडल अधिकारी सतना
31	परिक्षेत्र कार्यालय उचेहरा	परिक्षेत्र सहायक उचेहरा	परिक्षेत्रधिकारी उचेहरा	उप वन मंडल अधिकारी सतना
32	परिक्षेत्र कार्यालय	परिक्षेत्र सहायक	परिक्षेत्रधिकारी	उप वन मंडल अधिकारी

dk	dk; ky; dk uke	l gk; d ykd l ipuk vf/kdkjh	ykd l ipuk vf/kdkjh	vi hyh; vf/kdkjh
	सिंहपुर	सिंहपुर	सिंहपुर	सतना
33	परिक्षेत्र कार्यालय मुकुन्दपंर	परिक्षेत्र सहायक मुकुन्दपंर	परिक्षेत्राधिकारी मुकुन्दपंर	उप वन मंडल अधिकारी मैहर
34	परिक्षेत्र कार्यालय मैहर	परिक्षेत्र सहायक मैहर	परिक्षेत्राधिकारी मैहर	उप वन मंडल अधिकारी मैहर
35	परिक्षेत्र कार्यालय अमरपाटन	परिक्षेत्र सहायक अमरपाटन	परिक्षेत्राधिकारी अमरपाटन	उप वन मंडल अधिकारी मैहर
36	परिक्षेत्र कार्यालय मझगंवा	परिक्षेत्र सहायक मझगंवा	परिक्षेत्राधिकारी मझगंवा	उप वन मंडल अधिकारी चित्रकूट
37	परिक्षेत्र कार्यालय वरौधा	परिक्षेत्र सहायक वरौधा	परिक्षेत्राधिकारी वरौधा	उप वन मंडल अधिकारी चित्रकूट
38	परिक्षेत्र कार्यालय चित्रकूट	परिक्षेत्र सहायक चित्रकूट	परिक्षेत्राधिकारी चित्रकूट	उप वन मंडल अधिकारी चित्रकूट
39	वनमण्डल कार्यालय सीधी	उपवन मण्डलाधिकारी सीधी	वनमण्डलाधिकारी सीधी	मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा
40	उप वन मण्डल कार्यालय सीधी	—	उप वन मंडल अधिकारी सीधी	वन मण्डल अधिकारी सीधी
41	उप वन मण्डल कार्यालय मझौली	—	उप वन मंडल अधिकारी मझौली	वन मण्डल अधिकारी सीधी
42	उप वनमण्डल कार्यालय उत्पादन सीधी	—	उप वन मंडल अधिकारी उत्पादन सीधी	वन मण्डल अधिकारी सीधी
43	परिक्षेत्र कार्यालय सीधी	परिक्षेत्र सहायक सीधी	परिक्षेत्राधिकारी सीधी	उप वन मंडल अधिकारी सीधी
44	परिक्षेत्र कार्यालय चुरहट	परिक्षेत्र सहायक चुरहट	परिक्षेत्राधिकारी चुरहट	उप वन मंडल अधिकारी सीधी
45	परिक्षेत्र कार्यालय बहरी	परिक्षेत्र सहायक बहरी	परिक्षेत्राधिकारी बहरी	उप वन मंडल अधिकारी सीधी
46	परिक्षेत्र कार्यालय मोहन	परिक्षेत्र सहायक मोहन	परिक्षेत्राधिकारी मोहन	उप वन मंडल अधिकारी मझौली
47	परिक्षेत्र कार्यालय मझौली	परिक्षेत्र सहायक मझौली	परिक्षेत्राधिकारी मझौली	उप वन मंडल अधिकारी मझौली
48	परिक्षेत्र कार्यालय मड़वास	परिक्षेत्र सहायक मड़वास	परिक्षेत्राधिकारी मड़वास	उप वन मंडल अधिकारी मझौली
49	परिक्षेत्र कार्यालय उत्पादन मोहन	—	परिक्षेत्राधिकारी उत्पादन मोहन	उप वन मंडल अधिकारी उत्पादन सीधी
50	परिक्षेत्र कार्यालय उत्पादन मझौली	—	परिक्षेत्राधिकारी उत्पादन मझौली	उप वन मंडल अधिकारी उत्पादन सीधी
51	परिक्षेत्र कार्यालय उत्पादन मड़वास	—	परिक्षेत्राधिकारी उत्पादन मड़वास	उप वन मंडल अधिकारी उत्पादन सीधी
52	वनमण्डल कार्यालय सिंगरौली	मुख्य लिपिक वनमण्डल कार्यालय सिंगरौली	वनमण्डलाधिकारी सिंगरौली	मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा
53	उप वन मंडल अधिकारी बैढन	—	उप वन मंडल अधिकारी बैढन	वन मंडल अधिकारी सिंगरौली
54	उप वन मंडल अधिकारी देवसर	—	उप वन मंडल अधिकारी देवसर	वन मंडल अधिकारी सिंगरौली
55	उप वन मंडल अधिकारी गोरबी	—	उप वन मंडल अधिकारी गोरबी	वन मंडल अधिकारी सिंगरौली
56	परिक्षेत्र कार्यालय बैढन	परिक्षेत्र सहायक बैढन	परिक्षेत्राधिकारी बैढन	उप वन मंडल अधिकारी बैढन
57	परिक्षेत्र कार्यालय माडा	परिक्षेत्र सहायक माडा	परिक्षेत्राधिकारी माडा	उप वन मंडल अधिकारी बैढन
58	परिक्षेत्र कार्यालय	परिक्षेत्र सहायक	परिक्षेत्राधिकारी	उप वन मंडल अधिकारी

द३	dk; kly; dk uke	l gk; d ykd l ipuk vf/kdkjh	ykd l ipuk vf/kdkjh	vi hyh; vf/kdkjh
	पूर्व सरई	पूर्व सरई	पूर्व सरई	बैढन
59	परिक्षेत्र कार्यालय चितरंगी	परिक्षेत्र सहायक चितरंगी	परिक्षेत्रधिकारी चितरंगी	उप वन मंडल अधिकारी गोरबी
60	परिक्षेत्र कार्यालय गोरबी	परिक्षेत्र सहायक गोरबी	परिक्षेत्रधिकारी गोरबी	उप वन मंडल अधिकारी गोरबी
61	परिक्षेत्र कार्यालय बरगवां	परिक्षेत्र सहायक बरगवां	परिक्षेत्रधिकारी बरगवां	उप वन मंडल अधिकारी गोरबी
62	परिक्षेत्र कार्यालय जियावन	परिक्षेत्र सहायक जियावन	परिक्षेत्रधिकारी जियावन	उप वन मंडल अधिकारी देवसर
63	परिक्षेत्र कार्यालय कर्थुआ	परिक्षेत्र सहायक कर्थुआ	परिक्षेत्रधिकारी कर्थुआ	उप वन मंडल अधिकारी देवसर
64	परिक्षेत्र कार्यालय पश्चिम सरई	परिक्षेत्र सहायक पश्चिम सरई	परिक्षेत्रधिकारी पश्चिम सरई	उप वन मंडल अधिकारी देवसर

सागर वृत्त

Ø-	dk; kly; dk uke	l gk; d ykd l ipuk vf/kdkjh	ykd l ipuk vf/kdkjh	vi hyh; vf/kdkjh
1	2	3	4	5
1.	मुख्य वन संरक्षक वन वृ I सागर	अधीक्षक वृ I	स.व.सं. संलग्न अधिकारी	मुख्य वन संरक्षक वन वृ I सागर
2.	वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर	मुख्य लिपिक वन मंडल	स.व.सं. संलग्न अधिकारी	वन मंडलाधिकारी दक्षिण सागर
3.	उप वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर	—	उप वन मंडलाधिकारी दक्षिण सागर	वन मंडलाधिकारी दक्षिण सागर
4.	1. परिक्षेत्र अधिकारी सागर 2. परिक्षेत्र अधिकारी राहतगढ़ 3. परिक्षेत्र अधिकारी गढाकोटा 4. परिक्षेत्र अधिकारी ढाना	— — — —	परिक्षेत्र अधिकारी सागर परिक्षेत्र अधिकारी राहतगढ़ परिक्षेत्र अधिकारी गढाकोटा परिक्षेत्र अधिकारी ढाना	उप वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर
5.	उप वन मंडल अधिकारी, देवरी	—	उप वन मंडलाधिकारी, देवरी	वन मंडलाधिकारी, दक्षिण सागर
6.	1. परिक्षेत्र अधिकारी देवरी 2. परिक्षेत्र अधिकारी केसली 3. परिक्षेत्र अधिकारी गौरझामर	— — —	परिक्षेत्र अधिकारी देवरी परिक्षेत्र अधिकारी केसली परिक्षेत्र अधिकारी गौरझामर	उप वन मंडल अधिकारी देवरी
7.	वन मंडल अधिकारी उत्तर सागर	मुख्य लिपिक वन मंडल	उप वन मंडलाधिकारी उत्तर सागर	वन मंडलाधिकारी उत्तर सागर
8.	उप वन मंडल अधिकारी उत्तर सागर	—	उप वन मंडलाधिकारी उत्तर सागर	वन मंडलाधिकारी उत्तर सागर
9.	1. परिक्षेत्र अधिकारी खुरई 2. परिक्षेत्र अधिकारी बांदरी	— —	परिक्षेत्र अधिकारी खुरई परिक्षेत्र अधिकारी बांदरी	उप वन मंडल अधिकारी उत्तर सागर
10.	उप वन मंडल अधिकारी, बण्डा	—	उप वन मंडलाधिकारी, बण्डा	वन मंडलाधिकारी, बण्डा
11.	1. परिक्षेत्र अधिकारी बण्डा 2. परिक्षेत्र अधिकारी शाहगढ़	— —	परिक्षेत्र अधिकारी बण्डा परिक्षेत्र अधिकारी शाहगढ़	उप वन मंडल अधिकारी बण्डा
12.	वन मंडल अधिकारी नौरादेही वि.प्रा.क्रसागर	मुख्य लिपिक वन मंडल	वन मंडलाधिकारी नौरादेही वि.प्रा.क्रसागर	मुख्य वन संरक्षक वन वृ I सागर
13.	उप वन मंडल अधिकारी, रहली वि.प्रा.क्र	—	उप वन मंडल अधिकारी, रहली वि.प्रा.क्र	वन मंडलाधिकारी नौरादेही वि.प्रा.क्रसागर
14.	1. परिक्षेत्र अधिकारी मोहली 2. परिक्षेत्र अधिकारी सिंगपुर 3. परिक्षेत्र अधिकारी झापन	— — —	परिक्षेत्र अधिकारी मोहली परिक्षेत्र अधिकारी सिंगपुर परिक्षेत्र अधिकारी झापन	उप वन मंडल अधिकारी नौरादेही वि.प्रा.क्र

Ø-	dk; kly; dk uke	l gk; d ykd l ipuk vf/kdkjh	ykd l ipuk vf/kdkjh	vi hyh; vf/kdkjh
15.	उप वन मंडल अधिकारी बरमान	—	उप वन मंडलाधिकारी बरमान	वन मंडलाधिकारी नौरादेही वि.प्रा.क्रसागर
16.	1. परिक्षेत्र अधिकारी नौरादेही 2. परिक्षेत्र अधिकारी सर्रा 3. परिक्षेत्र अधिकारी डोंगरगांव	— — —	परिक्षेत्र अधिकारी नौरादेही परिक्षेत्र अधिकारी सर्रा परिक्षेत्र अधिकारी डोंगरगांव	उप वन मंडल अधिकारी बरमान
17.	वन मंडल अधिकारी दमोह	मुख्य लिपिक वन मंडल	स.व.सं. संलग्न अधिकारी	वन मंडलाधिकारी दमोह
18.	उप वन मंडल अधिकारी दमोह	—	उप वन मंडलाधिकारी दमोह	वन मंडलाधिकारी दमोह
19.	1. परिक्षेत्र अधिकारी दमोह 2. परिक्षेत्र अधिकारी हटा 3. परिक्षेत्र अधिकारी सगौनी 4. परिक्षेत्र अधिकारी सिंग्रामपुर 5. परिक्षेत्र अधिकारी सिंगौरगढ़	— — —	परिक्षेत्र अधिकारी दमोह परिक्षेत्र अधिकारी हटा परिक्षेत्र अधिकारी सगौनी परिक्षेत्र अधिकारी सिंग्रामपुर परिक्षेत्र अधिकारी सिंगौरगढ़	उप वन मंडल अधिकारी दमोह
20.	उप वन मंडल अधिकारी तेन्दूखेड़ा	—	उप वन मंडलाधिकारी तेन्दूखेड़ा	वन मंडलाधिकारी दमोह
21.	1. परिक्षेत्र अधिकारी तेन्दूखेड़ा 2. परिक्षेत्र अधिकारी तेजगढ़ 3. परिक्षेत्र अधिकारी झलौन 4. परिक्षेत्र अधिकारी तारादेही	— — —	परिक्षेत्र अधिकारी तेन्दूखेड़ा परिक्षेत्र अधिकारी तेजगढ़ परिक्षेत्र अधिकारी झलौन परिक्षेत्र अधिकारी तारादेही	उप वन मंडल अधिकारी तेन्दूखेड़ा

सिवनी वृत्त

Ø-	dk; kly; dk uke	l gk; d ykd l ipuk vf/kdkjh	ykd l ipuk vf/kdkjh	vi hyh; vf/kdkjh
1	मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त सिवनी	अधीक्षक वृत्त कार्यालय	संलग्नाधिकारी वृत्त कार्यालय	मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त सिवनी
2	वनमंडलाधिकारी उत्तर सिवनी सिं.क्रव.मं.	मुख्य लिपिक वनमंडल कार्यालय	संलग्नाधिकारी वनमंडल कार्यालय	वनमंडलाधिकारी उत्तर सिवनी सिं.क्रव.मं.
3	उप वनमंडलाधिकारी छपारा सिं.क्रउप वनमंडल	—	उप वनमंडलाधिकारी छपारा सिं.क्रउप वनमंडल	
4	उप वनमंडलाधिकारी लखनादौन सिं.क्रउप वनमंडल	—	उप वनमंडलाधिकारी लखनादौन सिं.क्रउप वनमंडल	
5	परिक्षेत्र अधिकारी छपारा सिं.क्र परिक्षेत्र	—	परिक्षेत्र अधिकारी छपारा सिं.क्रपरिक्षेत्र	उप वनमंडलाधिकारी छपारा सिं.क्रउप वनमंडल
6	परिक्षेत्र अधिकारी कहानी सिं.क्र परिक्षेत्र	—	परिक्षेत्र अधिकारी कहानी सिं.क्रपरिक्षेत्र	
7	परिक्षेत्र अधिकारी लखनादौन सिं.क्रपरिक्षेत्र	—	परिक्षेत्र अधिकारी लखनादौन सिं.क्रपरिक्षेत्र	उप वनमंडलाधिकारी लखनादौन सिं.क्रउप वनमंडल
8	परिक्षेत्र अधिकारी धूमा सिं.क्र परिक्षेत्र	—	परिक्षेत्र अधिकारी धूमा सिं.क्र परिक्षेत्र	
9	परिक्षेत्र अधिकारी घंसौर सिं.क्र परिक्षेत्र	—	परिक्षेत्र अधिकारी घंसौर सिं.क्रपरिक्षेत्र	
10	परिक्षेत्र अधिकारी शिकारा सिं.क्र	—	परिक्षेत्र अधिकारी शिकारा	

'kgMksy oRr

Ø-	dk; kly; dk uke	l gk; d ykd l ipuk vf/kdkjh	ykd l ipuk vf/kdkjh	vi hyh; vf/kdkjh
1.	मुख्य वनसंरक्षक शहडोल	अधीक्षक	संलग्नाधिकारी	मुख्य वनसंरक्षक शहडोल
2.	वनमण्डलाधिकारी उ र शहडोल	मुख्यलिपिक	संलग्नाधिकारी	वनमण्डलाधिकारी. उ र शहडोल व.मं.
3.	उपवनमण्डलाधिकारी जैसिंहनगर	1.परिक्षेत्रधिकारी जैसिंहनगर 2.परिक्षेत्रधिकारी अमझोर	उपवनमण्डलाधिकारी जैसिंहनगर ।	वनमण्डलाधिकारी. उ र शहडोल व.मं.
4.	उपवनमण्डलाधिकारी व्यौहारी	1.परिक्षेत्रधिकारी पूर्व व्यौहारी 2..परिक्षेत्रधिकारी पश्चिम व्यौहारी 3.परिक्षेत्रधिकारी गोदावल 4.काष्ठागार अधिकारी व्यौहारी ।	उपवनमण्डलाधिकारी व्यौहारी ।	वनमण्डलाधिकारी. उ र शहडोल व.मं.
5.	1.वनपरिक्षेत्रधिकारी जैसिंहनगर परिक्षेत्र । 2..वनपरिक्षेत्रधिकारी अमझोर परिक्षेत्र ।	1.परिक्षेत्र लिपिक जैसिंहनगर । 2.परिक्षेत्र लिपिक अमझोर	उपवनमण्डलाधिकारी जैसिंहनगर ।	वनमण्डलाधिकारी. उ र शहडोल व.मं.
6.	1.वनपरिक्षेत्रधिकारी पूर्व व्यौहारी परिक्षेत्र । 2..वनपरिक्षेत्रधिकारी पश्चिम व्यौहारी परिक्षेत्र 3.वनपरिक्षेत्रधिकारी गोदावल परिक्षेत्र । 4.काष्ठागार व्यौहारी ।	1.परिक्षेत्र लिपिक पूर्व व्यौहारी 2.परिक्षेत्र लिपिक पश्चिम व्यौहारी 3.परिक्षेत्र लिपिक गोदावल 4.काष्ठागार लिपिक	उपवनमण्डलाधिकारी व्यौहारी ।	वनमण्डलाधिकारी. उ र शहडोल व.मं.
7.	वनमण्डलाधिकारी दक्षिण शहडोल	मुख्यलिपिक	संलग्नाधिकारी	वनमण्डलाधिकारी. दक्षिण शहडोल व.मं.
8.	उपवनमण्डलाधिकारी सोहागपुर	1.परिक्षेत्रधिकारी गोहपारु 2..परिक्षेत्रधिकारी खीं भैधी 3.परिक्षेत्रधिकारी शहडोल 4. काष्ठागार नरसरहा ।	उपवनमण्डलाधिकारी सोहागपुर ।	वनमण्डलाधिकारी. दक्षिण शहडोल व.मं.
9.	उपवनमण्डलाधिकारी जैतपुर	1.परिक्षेत्रधिकारी बुढार 2..परिक्षेत्रधिकारी केशवाही 3.परिक्षेत्रधिकारी जैतपुर	उपवनमण्डलाधिकारी जैतपुर ।	वनमण्डलाधिकारी. दक्षिण शहडोल व.मं.
10.	1.वनपरिक्षेत्रधिकारी गोहपारु परिक्षेत्र । 2..वनपरिक्षेत्रधिकारी खीं भैधी परिक्षेत्र । 3.वनपरिक्षेत्रधिकारी शहडोल परिक्षेत्र । 4. काष्ठागार नरसरहा	1.परिक्षेत्र लिपिक गोहपारु 2.परिक्षेत्र लिपिक खीं भैधी 3.परिक्षेत्र लिपिक शहडोल 4. काष्ठागार लिपिक	उपवनमण्डलाधिकारी सोहागपुर ।	वनमण्डलाधिकारी. दक्षिण शहडोल व.मं.
11.	1.वनपरिक्षेत्रधिकारी बुढार परिक्षेत्र । 2..वनपरिक्षेत्रधिकारी केशवाही परिक्षेत्र 3.वनपरिक्षेत्रधिकारी जैतपुर परिक्षेत्र ।	1. परिक्षेत्र लिपिक बुढार 2.परिक्षेत्रलिपिक केशवाही 3.परिक्षेत्र लिपिक जैतपुर	उपवनमण्डलाधिकारी जैतपुर ।	वनमण्डलाधिकारी. दक्षिण शहडोल व.मं.
12.	वनसंरक्षक पदेन व.मं.अ.उमरिया	मुख्यलिपिक	संलग्नाधिकारी	वनसंरक्षक पदेन व.मं.अ. उमरिया ।
13.	उपवनमण्डलाधिकारी उमरिया	1.परिक्षेत्रधिकारी उमरिया	उपवनमण्डलाधिकारी	वनसंरक्षक

Ø-	dk; kly; dk uke	l gk; d ykd l ipuk vf/kdkjh	ykd l ipuk vf/kdkjh	vi hyh; vf/kdkjh
		2.परिक्षेत्रधिकारी नौरोजाबाद 3.परिक्षेत्रधिकारी चँदिया 4. काष्ठागार उमरिया ।	उमरिया ।	पदेन व.मं.अ. उमरिया ।
14.	उपवनमण्डलाधिकारी पाली	1.परिक्षेत्रधिकारी घुनघुटी 2..परिक्षेत्रधिकारी पाली	उपवनमण्डलाधिकारी पाली ।	वनसंरक्षक पदेन व.मं.अ. उमरिया ।
15.	उपवनमण्डलाधिकारी मानपुर	1.परिक्षेत्रधिकारी मानपुर 2.परिक्षेत्रधिकारी पनपथा 3.परिक्षेत्रधिकारी धमोखर	उपवनमण्डलाधिकारी मानपुर	वनसंरक्षक पदेन व.मं.अ.उमरिया ।
16.	1.परिक्षेत्रधिकारी उमरिया 2.परिक्षेत्रधिकारी नौरोजाबाद 3.परिक्षेत्रधिकारी चँदिया 4.काष्ठागार उमरिया ।	1.परिक्षेत्र लिपिक उमरिया 2.परिक्षेत्र लिपिक नौरोजाबाद 3.परिक्षेत्र लिपिक चँदिया 4. काष्ठागार लिपिक	उपवनमण्डलाधिकारी उमरिया ।	वनसंरक्षक पदेन व.मं.अ. उमरिया ।
17	1.परिक्षेत्रधिकारी घुनघुटी 2..परिक्षेत्रधिकारी पाली	1..परिक्षेत्र लिपिक घुनघुटी 2.परिक्षेत्र लिपिक पाली	उपवनमण्डलाधिकारी पाली ।	वनसंरक्षक पदेन व.मं.अ. उमरिया ।
18	1.परिक्षेत्रधिकारी मानपुर 2.परिक्षेत्रधिकारी पनपथा 3.परिक्षेत्रधिकारी धमोखर	1.परिक्षेत्र लिपिक मानपुर 2.परिक्षेत्र लिपिक पनपथा 3.परिक्षेत्र लिपिक धमोखर	उपवनमण्डलाधिकारी मानपुर	वनसंरक्षक पदेन व.मं.अ.उमरिया ।
19.	वनमण्डलाधिकारी अनूपपुर वनमण्डल	मुख्य लिपिक	संलग्नाधिकारी	वनमण्डलाधिकारी अनूपपुर वनमण्डल
20.	उपवनमण्डलाधिकारी अनूपपुर	1.परिक्षेत्रधिकारी अनूपपुर 2. परिक्षेत्रधिकारी कोतमा 3.परिक्षेत्रधिकारी बिजुरी	उपवनमण्डलाधिकारी अनूपपुर	वनमण्डलाधिकारी अनूपपुर वनमण्डल
21.	उपवनमण्डलाधिकारी राजेन्द्रग्राम	1.परिक्षेत्रधिकारी अमरकंटक 2.परिक्षेत्रधिकारी अहिरगवाँ 3.परिक्षेत्रधिकारी जैतहरी	उपवनमण्डलाधिकारी राजेन्द्रग्राम	वनमण्डलाधिकारी अनूपपुर वनमण्डल
2.2	1.परिक्षेत्रधिकारी अनूपपुर 2.परिक्षेत्रधिकारी कोतमा 3.परिक्षेत्रधिकारी बिजुरी	1.परिक्षेत्र लिपिक अनूपपुर 2.परिक्षेत्र लिपिक कोतमा 3.परिक्षेत्र लिपिक बिजुरी	उपवनमण्डलाधिकारी अनूपपुर	वनमण्डलाधिकारी अनूपपुर वनमण्डल
23.	1.परिक्षेत्रधिकारी अमरकंटक 2.परिक्षेत्रधिकारी अहिरगवाँ 3.परिक्षेत्रधिकारी जैतहरी	1.परिक्षेत्र लिपिक अमरकण्टक 2.परिक्षेत्र लिपिक अहिरगवाँ 3.परिक्षेत्र लिपिक जैतहरी	उपवनमण्डलाधिकारी राजेन्द्रग्राम	वनमण्डलाधिकारी अनूपपुर वनमण्डल

f'koigh oRr

क्र.	कार्यालय का नाम	सहायक लोक सूचना अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक	अधीक्षक वृत्त	सहायक वन संरक्षक संलग्नाधिकारी	मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक
2	वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल शिवपुरी	मुख्यलिपिक वनमण्डल शिवपुरी	सहायक वन संरक्षक संलग्नाधिकारी	वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल शिवपुरी
3	उप वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल शिवपुरी	—	उप वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल शिवपुरी	वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल शिवपुरी
4	उप वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल करैरा	—	उप वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल करैरा	वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल शिवपुरी
5	वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल गुना	मुख्यलिपिक वनमण्डल गुना	सहायक वन संरक्षक संलग्नाधिकारी	वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल गुना

Øa	dk; kly; dk uke	l gk; d ykd l ipuk vf/kdkjh	ykd l ipuk vf/kdkjh	vi hyh; vf/kdkjh
	चन्द्रकेशर	चन्द्रकेशर	चन्द्रकेशर	उत्पादन देवास
31	उप वनमण्डलाधिकारी उत्पादन बागली	उप व0म0कार्यालय लिपिक उत्पा0 बागली	उप वनमण्डलाधिकारी उत्पादन बागली	वनमण्डलाधिकारी उत्पादन देवास
32	1. वन परिक्षेत्रधिकारी रिंत्पाक्रपीपरी 2. वन परिक्षेत्रधिकारी रिंत्पाक्रसतवास 3. वन परिक्षेत्रधिकारी रिंत्पाक्रपुंजापुरा 4. वन परिक्षेत्रधिकारी रिंत्पाक्रबागली 5. वन परिक्षेत्रधिकारी रिंत्पाक्रउदयनगर	परि0लिपिक रिंत्पाक्रपीपरी परि0लिपिक रिंत्पाक्रसतवास परि0लिपिक रिंत्पाक्र पुंजापुरा परि0लिपिक रिंत्पाक्रबागली परि0लिपिक रिंत्पाक्र उदयनगर	1. वन परिक्षेत्रधिकारी रिंत्पाक्रपीपरी 2. वन परिक्षेत्रधिकारी रिंत्पाक्रसतवास 3. वन परिक्षेत्रधिकारी रिंत्पाक्रपुंजापुरा 4. वन परिक्षेत्रधिकारी रिंत्पाक्रबागली 5. वन परिक्षेत्रधिकारी रिंत्पाक्रउदयनगर	उप वनमण्डलाधिकारी बागली उप वनमण्डलाधिकारी बागली उप वनमण्डलाधिकारी बागली उप वनमण्डलाधिकारी बागली उप वनमण्डलाधिकारी बागली

v/; k; 2 %eU; qy & ch&xvii%
 vU; mi ; kxh tkudkfj ; ka
 (Other useful information)

मध्यप्रदेश प्रकृति से सजा संवरा प्रदेश है। केन्द्रीय भारत की अनेक महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल भी हमारे प्रदेश में स्थित है, जिनके जल ग्रहण क्षेत्रों को वनाच्छादित रखने का दायित्व भी राष्ट्रीय हित में प्रदेश पर ही है। मध्यप्रदेश के वन जैव विविधता से परिपूर्ण हैं। जहां एक ओर ग्वालियर, भिंड, राजगढ़ आदि में झाड़ीदार वन हैं वहीं दूसरी ओर मण्डला, बालाघाट, डिण्डोरी एवं शहडोल में विशाल वृक्षों वाले सागौन एवं साल वन हैं। देश के प्राचीनतम रहवासी आदिवासियों का प्रमुख आवास स्थल मध्यप्रदेश है।

मध्यप्रदेश के वनों का समुचित प्रबंध न केवल मध्यप्रदेश हेतु अपितु इसकी सीमा से लगे हुए प्रदेशों हेतु भी महत्वपूर्ण है। वनों का संरक्षण, संवर्धन एवं विकास वन विभाग द्वारा किया जाता है। वनों के भीतर और उसके आसपास रहने वाले ग्रामीणों को रोजगार के अतिरिक्त लघु वनोपज, छोटी इमारती लकड़ी, जला [लकड़ी बांस, चारा आदि निस्तार सुविधाएं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। कुछ जिलों में विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से अंदरूनी क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। खाद्यान्न के बदले में संग्रहित कल्याण निधि से इन ग्रामीणों के लिए विकास कार्य भी कराये जाते हैं।

मध्यप्रदेश राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 308252 वर्ग कि०मी० है, जिसमें लगभग 95221 वर्ग कि०मी० क्षेत्र में वन भूमि है। प्रदेश में 16 क्षेत्रीय वन वृत्त तथा 63 क्षेत्रीय वन मण्डल कार्यरत हैं। वैधानिक दृष्टिकोण से वनक्षेत्र के वर्गीकरण के अंतर्गत 58734 वर्ग कि०मी० आरक्षित वन 35587 वर्ग कि०मी० संरक्षित वन तथा 900 वर्ग कि०मी० अवर्गीकृत वन हैं। राज्य का वनक्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 31 प्रतिशत है। प्रदेश के वनक्षेत्र में कुल 10 राष्ट्रीय उद्यान एवं 25 अभ्यारण्य हैं, जिनका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 10862 वर्ग कि०मी० है। अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत वनक्षेत्र, राज्य के कुल वनक्षेत्र का 11.4 प्रतिशत है।

ou | j {k.k dh xfrfof/k; ka

प्रदेश के वनों पर बढ़ते जैविक दबाव के कारण वन संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। जनभागीदारी एवं क्षेत्रीय इकाइयों की सियता से वन अपराधों पर नियंत्रण के लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

अतिसंवेदनशील वनक्षेत्रों में बीट व्यवस्था के स्थान पर सामूहिक गश्त हेतु वन चौकियों की स्थापना की गई है। वर्तमान में 311 वन चौकियां कार्यरत हैं। प्रत्येक चौकी में गश्ती हेतु वाहन उपलब्ध है। वन चौकियों पर गठित गश्ती दलों के लिये 12 बोर की 2,600 नई बंदूके पिम्प एक्सन गनक्र प्रदाय की गई हैं। परिक्षेत्र अधिकारी स्तर तक के अधिकारियों को प्रदाय हेतु 136 रिवाल्वर/पिस्टल का प्रदाय किया जा रहा है। परिक्षेत्र स्तर पर वन गश्ती एवं सुरक्षा हेतु किराये के वाहन भी उपलब्ध कराये गये हैं। संचार व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु 4,266 वायरलेस सेट, 5490 मोबाइल सिम, 2946 मोबाईल हेण्ड सेट, 900 पी.डी.ए. एवं 900 बायनाकूलर प्रदाय किये गये हैं।

वन अपराधों पर नियंत्रण एवं त्वरित कार्यवाही हेतु प्रत्येक वन वृत्त में उड़नदस्ता दल कार्यरत है। उड़नदस्ता दल में पर्याप्त संख्या में वनकर्मी, शस्त्र एवं वाहन उपलब्ध हैं। ऐसे क्षेत्रों में, जहां संगठित वन अपराधों की संभावना है, विशेष सशस्त्र बल की 3 कंपनियां भी तैनात की गई हैं।

वन सुरक्षा में लगे वन कर्मियों को सी.आर.पी.सी. की धारा-197(2) के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान की गई है। क्षेत्रीय कर्मचारियों को प्रदाय किये गये शासकीय 12 बोर बन्दूक रखने हेतु लायसेंस की आवश्यकता नहीं है। वन सुरक्षा के लिये गोपनीय सूचनाएं एकत्र करने के लिये मुखबिर तंत्र विकसित किया गया है।

मध्य प्रदेश वन सुरक्षा पुरस्कार नियम 2004 के अंतर्गत वन अपराध की दोषसिद्धि या उसके प्रशमन पर, वन अपराध का पता लगाने में, अपराधी को पकड़ने में, अपराधी की दोषसिद्धि होने में, वनोपज या अन्य वस्तुओं की जप्ती में सहायता देने वाले व्यक्तियों को अधिकतम रूपये 25,000 का पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

ou | j {kk ea | puk i kS| kfxdh dk mi ; ksx

वन सुरक्षा के अनुश्रवण हेतु इंटरनेट आधारित वन अपराध प्रबंधन प्रणाली ई.एफ.ओ.एम.एस.क्रे विकसित की गई है। इसके अंतर्गत अपराधों के पंजीयन, उनकी जांच, अभिसंधान, वसूली, न्यायालय में चालान इत्यादि कार्यवाही की सतत् समीक्षा की जाती है। अग्नि दुर्घटनाओं की सामयिक जानकारी प्राप्त करने हेतु 'अग्नि सचेतन संदेश प्रणाली' फ़ायर एलर्ट मेसेजिंग सिस्टम विकसित की गई है। अवैध उत्खनन की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु सेटलाइट इमेजरी का प्रयोग किया जा रहा है।

वन अपराध की सूचना देने के लिये भोपाल में राज्य स्तरीय वन अपराध सूचना केन्द्र की स्थापना की गई है। इस केन्द्र को बी.एस.एन.एल. के फोन लैण्ड लाईन एवं मोबाईल क्रसे नंबर 155312 अथवा अन्य सेवा प्रदाताओं के फोन लैण्ड लाईन एवं मोबाईल क्रसे नंबर 1800 233 4396 पर निःशुल्क डायल कर कोई भी व्यक्ति प्रदेश में कहीं से भी वन अपराध संबंधी गोपनीय सूचना 24 घंटे में कभी भी दे सकता है। इन शिकायतों पर समयसीमा में कार्यवाही करते हुए सूचनादाता को की गई कार्यवाही बाबत अवगत कराने का प्रावधान है।

i fjogu vuKki = &

ग्रामीणों की सुविधा के लिये, नीलगिरी, कैजुरिना, सूबबूल, बबूल, खमेर, पापुलर, इजरायली बबूल, विलायती बबूल, कटंग बांस व आयातित/शंकुधारी काष्ठ चीड़,कैल,देवदार और पाईनक्रकी अन्य समस्त प्रजातियां जो म0प्र0 में नहीं पाई जाती हैं, को परिवहन अनुज्ञापत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त सिरिस, बेर, पलास, जामुन, रिमझा, नीम, आम व कटंग बांस से भिन्न बांस खिण्डवा, बैतूल, होप्रंगाबाद, हरदा, छिन्दवाड़ा सिवनी, बालाघाट, जबलपुर, कटनी, मण्डला, डिण्डोरी, शहडोल, उमरिया और सीधीक्र कुल 14 जिले के सिवाय, उक्त प्रजातियों के परिवहन अनुज्ञापत्र जारी करने हेतु ग्राम पंचायतों को अधिकृत किया गया है।

vuq kku foLrkj , oa ykdkfudh

मध्यप्रदेश के वनों की उत्पादकता बढ़ाने एवं वन क्षेत्रों के बाहर सामुदायिक एवं निजी भूमि पर वनीकरण का कार्य किया जाकर वनोपज की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रदेश के 11 कृषि जलवायु प्रक्षेत्रों में भोपाल, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, सागर, इंदौर, खंडवा, झाबुआ, रतलाम, सिवनी एवं बैतूल में एक-एक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त स्थापित किये गये हैं।

प्रदेश में अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त अंतर्गत 161 रोपणियाँ स्थापित हैं जहाँ मांग अनुसार उचित गुणवत्ता के पौधे तैयार कर प्रदाय किये जाते हैं।

प्रदेश में निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिये किसान लक्ष्मी योजना लागू वित्तीय वर्ष 2013-14 से लागू की गई है।

लोकवानिकी योजना अंतर्गत निजी वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु विभिन्न वनमंडलों में 2877 प्रबंध योजना स्वीकृत हुई है। 10 हे० से कम क्षेत्र की प्रबंध योजना हेतु सरलीकृत लोकवानिकी मार्गदर्शिका जारी की गई है।

अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों द्वारा रोपणी कार्यों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

ou vf/kdkj vf/kfu; e ds vlr xr oulkfe dk 0; iorlu

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी विन अधिकारों की मान्यताक्र अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 की धारा 3 क्रिके तहत ग्राम सभा की अनुशंसा पर एक हैक्टेयर से कम वनभूमि, जिनमें प्रति हैक्टेयर 75 से अधिक वृक्ष नहीं काटे जाएंगे, निम्न विकास कार्यों के लिये व्यपवर्तन हेतु निर्धारित शर्तों पर स्वीकृति के अधिकार प्रावधानित किये गये हैं:-

पाठशालाएं, चिकित्सालय, आंगनवाड़ी, उचित मूल्य की दुकानें, विद्युत एवं दूरसंचार लाईने, टंकियां और अन्य लघु जलाशय पेयजल की आपूर्ति हेतु जल प्रदाय के लिये पाइप लाइनें, जल या वर्षा जल संचयन संरचनाएं, लघु सिंचाई नहरें, अपारम्परिक { र्जा स्त्रेत, कौशल उन्नयन या व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, सड़के तथा सामुदायिक केन्द्र स्वीकृति हेतु विस्तृत प्रि या भारत सरकार के पत्र मांक 23011/15/2008 एसजी दि. 18 मई 2009 द्वारा जारी की गई है तथा राज्य शासन द्वारा इस संबंध में निर्देश दिनांक 29.05.2009 को जारी किए गए हैं।

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के परिपत्र . एफ-5-11/2006/10-3 दिनांक 24.12.2011 द्वारा एल.डब्ल्यू.ई. (Left wing Extremism) नक्सलाईट प्रभावित जिलों, अनूपपुर, बालाघाट, डिण्डौरी, मण्डला, सिवनी, शहडोल, सीधी एवं उमरिया में जनपयोगी विकास कार्यों हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन 2.00 हैक्टेयर के स्थान पर 5.00 हैक्टेयर तक वनभूमि व्यपवर्तन के अधिकार निम्नानुसार प्रयोजनों हेतु क्षेत्रीय वन मण्डल अधिकारियों को दिनांक 31.12.2015 तक की अवधि के लिये प्रदत्त किये गये हैं।

स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, विद्युत एवं संचार लाइने, पीने के पानी की व्यवस्था, वाटर/रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्टेक्वर्स, छोटी सिंचाई नहरें, गैर पारम्परिक { र्जा स्त्रेत, कुशल उन्नयन/व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, विद्युत उपस्टेशन, ग्रामीण सड़क, संचार पोस्ट, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चिन्हांकित संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस स्टेशन/आउटपोस्ट/वाच टावर, भूमिगत आप्टिकल फाइबर केबिल/टेलीफोन लाइन/पीने के पानी की सप्लाई लाइन इत्यादि।

i /kkue=h xkeh.k | Md ; kstuk ds vlr xr ekxk ds mlu; u dh Lohdfr

भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 30.04.2005 के तारतम्य में वन क्षेत्र से गुजर रहे मार्गों के उन्नयन हेतु वन मण्डलाधिकारी को प्रत्यायोजित अधिकारों के तहत म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञापन दिनांक 17.05.2005 द्वारा वनमण्डलाधिकारी को वनक्षेत्रों के गुजर रहे 25.10.1980 के पूर्व के कच्चे मार्गों के उन्नयन हेतु डिमरीकरण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के बादक्रसशर्त अनुमति जारी करने के लिये अधिकृत किया गया है। राज्य शासन के पत्र दिनांक 21.11.2006 में उपलब्ध मार्ग में ही "राईट आफ वे" के तहत स्वीकृति हेतु समस्त वनमण्डलाधिकारियों को निर्देश दिये गये। भारत सरकार की 2006 की पर्यावरणीय अधिसूचना के परिपेक्ष्य में उक्त योजनांतर्गत सड़कों के उन्नयन हेतु अलग से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

dEik | s iklr jkf'k dk mi ; ksx

वन र्सिरक्षणक्रअधियिनम, 1980 के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.10.2002 के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार

प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण किम्पाक्रसे प्राप्त राशि के उपयोग के संबंध में निम्नानुसार निकाय तथा समितियों का गठन किया गया—

1. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 11.08.2009 द्वारा माननीय मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में नीति निर्धारण तथा समीक्षा हेतु शासी निकाय का गठन किया गया। माननीय मंत्री, वन विभाग, वित्त विभाग एवं योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा अन्य अधिकारी इस निकाय के सदस्य हैं। सचिव, वन विभाग इस निकाय के सदस्य सचिव हैं।
2. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 11.08.2009 द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समिति रिस्टियरिंग कमेटीक्रका गठन किया गया। अन्य अधिकारी सदस्यों के अतिरिक्त भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रतिनिधि एवं अशासकीय संगठन के दो प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू-प्रबंधकसदस्य सचिव हैं।
3. मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के आदेश दिनांक 31.07.2009 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में कार्यकारणी समिति का गठन किया गया। अन्य अधिकारी सदस्यों के अतिरिक्त अशासकीय संगठनों के दो प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकासकसदस्य सचिव हैं।

ou Hk&vfHkys[k

ouxkeka dks jktLo xkeka ea i jfofr djuk%

मध्यप्रदेश के 29 जिलों में 925 वन ग्राम हैं, जिनमें से 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने के प्रस्ताव भारत सरकार को जनवरी 2002 से जनवरी 2004 तक की अवधि में जिलेवार प्रेषित किये गये हैं। 925 वनग्रामों में से 15 वनग्राम वीरान एवं 17 वनग्राम विस्थापित हैं तथा 27 वनग्राम राष्ट्रीय उद्यानों एवं 39 वनग्राम अभ्यारण्यों में स्थित हैं। इस तरह इन 98 वनग्रामों के प्रस्ताव शासन निर्देशानुसार भारत सरकार को नहीं भेजे गये। 827 वन ग्रामों में से 310 वनग्रामों के लिये भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2002 से जनवरी 2004 के मध्य सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। शेष 517 वन ग्रामों के प्रकरण भारत सरकार स्तर पर विचाराधीन हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.02.2004 द्वारा भारत सरकार की उक्त स्वीकृति पर स्थगन जारी किया गया है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी विन अधिकारों की मान्यताक्र अधिनियम 2006 की धारा 3 रिंक्रज के अनुसार वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन का प्रावधान है। मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के परिपत्र दिनांक 7.06.2009 द्वारा सभी जिलाध्यक्षों तथा वनमंडलाधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दावा प्राप्त होने पर वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तन करने संबंधी आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये गये थे। लेकिन भारत सरकार जनजाति कल्याण मंत्रालय का पत्र मांक 23011/28/2008—एस.जी.जी. II दिनांक 3.12.2008 के अनुसार वन सिंरक्षणक्र अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पत्र मांक 13-1/90—एफ.पी रिंक्रदिनांक 18.09.1990 से प्राप्त निर्देशानुसार कार्यवाही करके ही वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किया जा सकता है। और ग्राम सभा में दावा प्राप्त होने पर वन अधिकारी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत भी यह कार्यवाही की जा सकती है। भारत सरकार जनजाति कल्याण मंत्रालय से प्राप्त उक्त पत्र के निर्देशानुसार कार्यवाही करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों को इस कार्यालय के पत्र मांक 905 दिनांक 12.08.2011 से निर्देश जारी किये गये हैं। आदिम जाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार के पत्र मांक 23011/28/2008—SGII(FRA) दिनांक 1.09.2011 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय

की सलाह के आधार पर स्पष्ट लिखा गया है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन भूमि का स्वरूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इससे स्पष्ट है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत वनग्राम को राजस्व ग्राम नहीं बनाया जा सकता है।

ou jktLo l hekdu

राज्य शासन के निर्देशानुसार वन एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त सीमांकन की कार्यवाही की जा रही है। वन सीमा से लगे ग्रामों की कुल संख्या 19,717 है, जिसमें से 19,491 98 प्रतिशत ग्रामों के सीमा विवाद का निराकरण किया जा चुका है। शेष 226 ग्रामों में मुख्यतः नक्शे उपलब्ध न हो पाने के कारण निराकरण में कठिनाई हो रही है।

l a p ou icdku

राष्ट्रीय वन नीति के अनुसरण में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये वन विभाग ने संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा को अंगीकार किया है। वन सुरक्षा एवं वन विकास के समस्त कार्यों में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिये मध्य प्रदेश शासन द्वारा 22 अक्टूबर 2001 को संशोधित संकल्प पारित किया गया है जिसमें तीन प्रकार की संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के गठन का प्रावधान है – संघन क्षेत्रों में वन सुरक्षा समिति, बिगड़े वन क्षेत्रों में ग्राम वन समिति तथा संरक्षित क्षेत्रों में ईको विकास समिति।

संकल्प के अनुसार वोट देने का अधिकार रखने वाले समस्त ग्रामीण आम सभा के सदस्य होंगे। राज्य शासन द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14.01.08 द्वारा दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 के संकल्प की कंडिका 5.2 को संशोधित करते हुए अध्यक्ष पद के एक तिहाई पद महिलाओं हेतु आरक्षित किये गये हैं, साथ ही अध्यक्ष/उपाध्यक्ष में से एक पद पर महिला का होना अनिवार्य किया गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग के सदस्यों का अनुपात ग्राम सभा में यथासंभव इनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा तथा कार्यकारिणी में न्यूनतम 33 प्रतिशत महिलाएं होंगी।

1- वन समितियों की कुल संख्या 15,228 है, जिनके द्वारा 66874 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्रों का प्रबंधन किया जा रहा है। विवरण निम्नानुसार है –

l fefr dk icdkj	l fefr; ka dh l a; k	icf/kr ou {ks=
ग्राम वन समिति	9650	37268 वर्ग किमी
वन सुरक्षा समिति	4747	25904 वर्ग किमी
ईको विकास समिति	831	3702 वर्ग किमी
; ksx	15228	66874 oxl fdeh

2- ou l fefr; ka dks ykHkkd k forj .k&

(i) ckd ykHkkd k & मध्य प्रदेश के मंत्री परिषद के निर्णय अनुसार, शासनादेश दिनांक 30.05.12 के द्वारा कटाई में संलग्न श्रमिकों को बांस के विदोहन से प्राप्त शुद्ध लाभांश 20 प्रतिशत से बढ़ाकर शत-प्रतिशत, नगद वितरित करने का निर्णय लिया गया है।

(ii) dk"B ykHkkd k – काष्ठ लाभांश की राशि का 10 प्रतिशत वर्तमान में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को प्रदाय किया जा रहा है। वर्ष 2012-13 का काष्ठ एवं बांस का लाभांश जो वर्ष 2013-14 में राशि रू. 37,64,45,442 /&हितग्राहियों को वितरित किया जाना है।

3- ckl ,oa vll; itkfr ds i k/ka dk jki .k&

संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से बास्र एवं अन्य प्रजाति के पौधों के रोपण हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये थे। बास्र प्रजाति के 4231247 एवं अन्य प्रजाति के 3627079 इस प्रकार कुल 7262887 पौधे रोपित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरुद्ध 7098582 पौधों का रोपण किया जा चुका है।

4- cnsy [k.M fo'k'k ifj ; kst uk@i kst DV –

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 06 जिलों में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य तथा चारागाह विकास कार्य कुल 98,511 हेक्टेयर क्षेत्र में कराये गये हैं। प्रथम चरण के कार्य वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, राष्ट्रीय वनीकरण योजना एवं मनरेगा मद के अंतर्गत प्राप्त राशि से कार्य कराये गये।

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के द्वितीय चरण के अंतर्गत 06 जिलों मशः सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, दतिया, पन्ना में कार्य कराने हेतु मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा 12 वीं पंचवर्षीय योजना हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (A.C.A.) मद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2016-17 के लिये राशि रूपये 80.02 करोड़ का परियोजना प्रस्ताव बनाया जाकर एन.आर.ए.ए. भारत सरकार को भेजा गया जिसकी स्वीकृति भारत सरकार के पत्र मांक F.No.Q-1-11050/20/2013-Agri दिनांक 16.09.2013 से प्राप्त हो चुकी है।

5- वनग्राम fodkl %&

मध्यप्रदेश में 925 वन ग्राम हैं। इनमें से 867 वनग्रामों में वर्ष 2005-06 से वर्ष 2007-08 तक जनजातीय कार्य मंत्रलय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति राशि रु. 259.94 करोड़ में से राशि रु. 245.20 करोड़ के अधोसंरचना विकास कार्य कराये गये हैं। वनग्राम विकास योजना के अंतर्गत कुल प्राप्त राशि रु. 259.94 करोड़ में से शेष राशि रु. 14.74 करोड़ से भारत सरकार को भेजी गई मूल डी.पी.आर. में प्रस्तावित शेष कार्यों को कराये जाने की अनुमति म.प्र. शासन, वन विभाग मंत्रलय का पत्र ./एफ.-3-52/2013/ 10-2 दिनांक 20.09.13 द्वारा प्रदान की गई है।

मूल डी.पी.आर. के जिन शेष प्रस्तावित कार्यों को कराया जाना संभव न हो अथवा जिन कार्यों को अन्य स्रोतों से पूर्ण करा लिया गया हो, उनके स्थान पर मूल डी.पी.आर. में स्वीकृत किए गए कार्यों की प्रकृति के ही अन्य अधोसंरचना विकास कार्य नियमानुसार एवं क्षेत्रीय मांग के अनुरूप किए जा सकेंगे।

6- jkT; ou fodkl vfhkdj .k &

राज्य वन विकास अभिकरण का गठन 19.04.2010 को किया गया था, जिसका उद्देश्य संयुक्त वन प्रबंध समितियों के माध्यम से बिगड़े वन क्षेत्रों में तथा रिक्त वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण का कार्य कराना है। राज्य वन विकास अभिकरण द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण योजना का ियान्वयन किया जाता है।

7- xhu bfM k fe'ku &

भारत शासन के पर्यावरण एवं वन मंत्रलय द्वारा पचास लाख हैक्टे. वन क्षेत्र को वन आच्छादित करने तथा पचास लाख हैक्टे. वन क्षेत्रों में वन संवर्धन करने हेतु "ग्रीन इंडिया मिशन" प्रारंभ किया गया है।

8- i jLdkj forj.k l xdkh dk; bkg h &

¼½ 'kghn verk noh fo'ukbz i jLdkj & मध्यप्रदेश शासन ने प्रतिवर्ष वन रक्षा एवं वन संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों के लिये शहीद अमृता देवी विश्‍नोई पुरस्कार दिये जाने का निर्णय लिया है। वर्ष 2001 से 2005 तक तीन वर्गों में पुरस्कार दिये गये हैं तथा 2006 से शासकीय एवं अशासकीय व्यक्तियों को व्यक्तिगत पुरस्कार पृथक-पृथक दिये जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में कुल पांच वर्गों में पुरस्कार दिये जा रहे हैं। वन रक्षा एवं वन संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था को एक लाख रूपये नकद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। वन रक्षा एवं संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति शासकीय एवं अशासकीयको पचास-पचास हजार रूपये नगद तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार वन्यप्राणियों की रक्षा में अदम्य साहस व सूझबूझ का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति शासकीय एवं अशासकीयको पचास-पचास हजार रूपये नकद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।

पुरस्कार की राशि म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ से प्राप्त होती है।

¼½ cl keu ekek Lefr ol; ik.kh l j{k.k i jLdkj & मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2009 में वन्य प्राणी संरक्षण हेतु निम्न दो श्रेणियों के पुरस्कारों की घोषणा की गई।

- fol/; {ks= grq i jLdkj & यह पुरस्कार शासकीय तथा अशासकीय व्यक्तियों द्वारा वनों एवं वन्यप्राणियों संरक्षण एवं वन संवर्धन के लिये प्रदर्शित की गई शूरवीरता, अदम्य साहस, उत्कृष्ट कार्य एवं उल्लेखनीय योगदान के लिये प्रदान किया जावेगा। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार मशः रू. 2.00 लाख, 1.00 लाख तथा 50 हजार दिये जाएंगे। यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जा सकेगा।
- jkT; Lrjh; i jLdkj & निजी भूमि पर उत्कृष्ट वृक्षारोपण के लिये यह पुरस्कार दो श्रेणियों में दिया जाएगा। 5 हैक्टेयर से अधिक तथा 5 हैक्टेयर से कम भूमि पर, 5 वर्ष से अधिक उम्र के उत्कृष्ट वृक्षारोपण हेतु। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार मशः रू. 2.00 लाख, 1.00 लाख तथा 50 हजार दिये जायेंगे।

पुरस्कार की राशि म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ से प्राप्त होती है।

9- ou y{eh ;kstuk&2013

इसके अंतर्गत प्रदेश के 16 वन वृत्तों में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से समितियों को आवंटित वन क्षेत्रों में वृत्त स्तर पर वृक्षारोपण का कार्य वर्ष 2013-14 में किया गया।

ekuo l d k/ku fodkl

eq; nkf; Ro

- प्रशिक्षण
- वन विद्यालयों का संचालन
- दैनिक वेतन भोगियों से सम्बंधित कार्य
- जायका प्रोजेक्ट का नियन्त्रण

orëku ea l pkfyr xfrfof/k; ka %&

1- सेवा में भर्ती उपरांत प्रशिक्षण- विभाग द्वारा सहायक वन संरक्षक, वनक्षेत्रपाल तथा वनरक्षक/वनपालों को विभिन्न संस्थानों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। वन महाविद्यालय बालाघाट को छोड़कर अन्य सभी वन विद्यालयों में वन शिक्षा निदेशालय, देहरादून द्वारा प्रायोजित 15 दिवसीय रिशर् कोर्स आयोजित किया जाता है।

- 2- सेवा के दौरान प्रशिक्षण विभाग द्वारा भारतीय वन सेवा अधिकारियों हेतु एक सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण एवं 2 दिवसीय कार्यशाला भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाती है।
3. भारत सरकार के संस्थानों तथा अन्य सम्बंधित संस्थाओं में समय-समय पर सहायक वन संरक्षक हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं।

इसके अतिरिक्त समय-समय पर विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं में वनक्षेत्रपाल, सहायक वन संरक्षक एवं भारतीय वन सेवा अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं। प्रमुख संस्थानों का विवरण निम्नानुसार है:-

jkT; ds ckgj Hkkjr l jdkj }kjk l pkfyr&

- राज्य वन सेवा महाविद्यालय, देहरादून
- राज्य वन सेवा महाविद्यालय, कोयम्बटूर तिमिलनाडु
- ईस्टर्न फॉरेस्ट रेंजर्स कॉलेज कुर्सीयोन
- केन्द्रीय मृदा तथा जल संरक्षण संस्थान, देहरादून
- वन्यप्राणी संस्थान, देहरादून

jkT; ds Hkhrj %& भारतीय वन सेवा, राज्य वन सेवा, वनक्षेत्रपाल तथा विभिन्न स्तर के अधिकारियों को आर०सी०वी०पी० नरोन्हा अकादमी, भोपाल में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है।

- कर्मचारियों के लिये लेखा प्रशिक्षण।

JICA i kst DV dk fØ; kll; u %& वर्ष 2003-04 राज्यों के वानिकी प्रशिक्षण संस्थानों की आधारभूत संरचना एवं प्रशिक्षण की विषय वस्तु दोनों में सुधार की आवश्यकता की पूर्ति हेतु **JICA** (Japan International Cooperation Agency) दोनों के मध्य 13 जून 2008 को अनुबंध हुआ, जिसके तहत कुल रु. 225 करोड़ की परियोजना में यह तय हुआ कि JICA द्वारा रु. 206.03 करोड़ ऋण उपलब्ध कराया जायेगा तथा शेष राशि प्रिशासनिक व्यय के रूप में केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा वहन की जायेगी। ऋण चुकाने का सम्पूर्ण दायित्व भारत सरकार का होगा एवं राज्य को यह राशि अनुदान के रूप में प्राप्त होगी। परियोजना की अवधि 5 वर्ष 3 माह जून 2015 तक है। म०प्र० वन विभाग के अन्तर्गत संचालित 4 वन विद्यालयों बैतूल, अमरकंटक, शिवपुरी एवं लखनादौन सिवनीक्रमें इस परियोजना का ि यान्वयन किया जा रहा है।

Lkpkuk çkS| kfxdh

1- çc/ku l ipuk ç. kkyh ¼, e-vkbl, l ½ & सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा वन एवं वन्य प्राणी प्रबंध को प्रभावशील बनाने के लिए पिछले वर्षों में कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विकसित की है। इनमें से फारेस्ट फायर एवं मेसेजिंग सिस्टम (FAMS), फारेस्ट आफेंस मैनेजमेंट सिस्टम (FOMS), वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट सिस्टम (WLMS) फारेस्ट एम्पलाई डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम (FEDMS) प्रमुख है। इन सभी एप्लीकेशन का उपयोग विभाग के फील्ड अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सतत रूप से किया जा रहा है। इनके अलावा प्लान्टेप्रन मानिट्रिंग सिस्टम (PMS), माइनिंग मानिट्रिंग सिस्टम एप्लीकेशन भी विकसित की गयी है। PMS एप्लीकेशन द्वारा सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में किये गये वृक्षारोपण एवं लगाये गये पौधों की जानकारी रख मानिट्रिंग की जा सकती है। MMS द्वारा स्वीकृत समस्त खदानों की जियो मैपिंग कर इमेजरी की मदद से देखा जा सकता है।

वर्तमान में कई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जैसे ई-ऑक्शन, कूप मार्किंग एवं रिकार्डिंग, आडिट मैनेजमेंट सिस्टम, फाइल टैनिंग सिस्टम, जियो मैपिंग और इमेज एनालिसिस सिस्टम (GMEAS), सी.आर.मैनेजमेंट सिस्टम आदि के विकास का कार्य अन्तिम स्टेज पर है। ई-ऑक्शन एप्लीकेशन की सहायता से इमारती लकड़ी की नीलामी में कोई भी व्यक्ति देप्र के किसी भी भाग से नीलामी में भाग ले सकेगा। उन्हें इसके लिए नीलाम डिपों में आने की आवश्यकता नहीं होगी।

2. Digitalization of Forest Data &

वन क्षेत्रों के सभी नक्शों का डिजिटাইजेशन किया जा चुका है एवं ये डिजिटल नक्शों के रूप में संग्रहित हैं।

समस्त क्षेत्रीय इकाइयों के डिजिटल नक्शों को मिलाकर सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के वन क्षेत्रों का एकीकृत डिजिटल मानचित्र तैयार कर लिया गया है इन डिजिटल नक्शों का उपयोग "Geo Forest" application के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारी उपयोग कर सकते हैं।

3. Digitization of Forest Data &

विभागीय आंकड़ों के सुरक्षित भण्डारण एवं संसाधन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी शाखा भोपाल मुख्यालय में राज्य स्तर का विभागीय डाटा सेंटर स्थापित किया गया है। यह डाटा सेंटर जिला स्तर के कार्यालयों से 2एमबीपीएस लीज्ड लाइन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यालय इंटरनेट के द्वारा इससे जुड़कर विभागीय एप्लीकेशन्स का उपयोग करते हैं। आंकड़ों का संग्रहण वृहद रूप में सूचना प्रबंध प्रणाली एवं डिजिटल नक्शों के रूप में किया गया है। विभागीय डाटा सेंटर में आधुनिक तकनीक के आधार पर Quad Core Processor based सरवर 120 एवं High Storage Capacity Storage Area Network (SAN-2), Network Attached Storage (12TB) RAID-V Configured स्थापित हैं। जी.आई.एस. एवं रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में सेटेलाइट डाटा के संग्रहण हेतु High Storage Capacity Storage Area Network (SAN-100TB) एवं 8 Core Processor based सरवर 120 स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। विभागीय डाटा सेंटर को High bandwidth BSNL 10Mbps Leased Line के माध्यम से जोड़ा गया है। डाटा की सुरक्षा हेतु आधुनिक Firewall तकनीक का उपयोग किया गया है। विभागीय डाटा सेंटर को माह फरवरी 2013 में मध्य प्रदेश शासन के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्मित स्टेट डाटा सेंटर में स्थानांतरित किया जा चुका है जिसका प्रबंधन एवं रखरखाव वन विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा किया जा रहा है।

4. Digitization of Forest Data &

वानिकी क्षेत्र को तेजी से बदलने परिदृश्य में उत्कृष्ट नतीजे देने के लिये संस्थागत क्षमता वृद्धि अत्यन्त आवश्यक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (ISRO) के द्वारा संचालित एजुसेट उपग्रह के माध्यम से दूरस्थ अंचलों में स्थित वन कर्मचारियों एवं समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए 52 स्थानों पर सूचना एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर भोपाल स्थित एडुसेट स्टूडियो से आवश्यक विषय वस्तु उपलब्ध कराई जा रही है।

भोपाल में स्थित एजुसेट स्टूडियो से वक्ता समस्त 52 प्रशिक्षण केन्द्र (SIT) पर न केवल प्रशिक्षण देते हैं बल्कि श्रोताओं से सीधे संवाद भी करते हैं। इससे विभाग की प्रशिक्षण क्षमता में व्यापक वृद्धि हुई है।

5. Digitization of Forest Data &

भोपाल मुख्यालय सहित 16 क्षेत्रीय कार्यालयों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग की सुविधा विकसित की गई है। इस सुविधा के माध्यम से नियमित रूप से मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियों से विभिन्न महत्वपूर्ण एवं सामयिक विषयों पर चर्चा आयोजित की जाती है एवं विभागीय प्राथमिकता के अन्तर्गत कार्यों की त्वरित रूप से नियन्त्रण हेतु निर्देश प्रसारित किये जाते हैं तथा विभिन्न कार्यों की प्रगति का अनुश्रवण किया जाता है।

6. Digitization of Forest Data &

केन्द्र शासन से सौर [र्जा से बिजली उत्पादन की 113 KVA एवं 900 KVA परियोजना हेतु स्वीकृति प्राप्त की गई थी। इसके अन्तर्गत प्रदेश के सभी वन परिक्षेत्र कार्यालय, वन्य प्राणी कैम्प,

वनोपज नाकों तथा वन चौकियों पर प्रत्येक में 1kw, 5 kw क्षमता के Solar Photovoltaic System की स्थापना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इससे इन कार्यालयों में लगतार बिजली की उपलब्धता एवं कम्प्यूटर नेटवर्क द्वारा सूचनाओं का आदान-प्रदान वरिष्ठ कार्यालयों में निरन्तर रहेगा जिससे विभागीय कार्यों के प्रबंधन एवं मानिट्रिंग सुचारु रूप से हो सकेगी।

7- ok; j yŃ ck.McM uŃodl

सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा ऐसे स्थानों – परिक्षेत्र कार्यालय, नेशनल पार्क के परिक्षेत्र, डिपो तथा चौकियों जहां इंटरनेट की उपलब्धता की समस्या थी पर 105 Canopy, Radio link का उपयोग करके वायरलेस ब्रान्डबैंड लिंक की स्थापना कर उन स्थलों पर नेटवर्क उपलब्ध कराया है।

8- vU; %

- (i) केन्द्र शासित योजना "बुंदलेखण्ड विशेष पैकेज के अन्तर्गत दमोह, सागर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया जिलों के वाटरशेड के नक्शों का डिजीटाईजेशन कार्य पूर्ण हो चुका है।
- (ii) वन क्षेत्रों एवं वाटरशेड क्षेत्रों का एकीकृत मानचित्र तैयार कर तथा मानचित्र पर वाटरशेड में हुए विकास कार्यों का अंकन प्रगति पर है।
- (iii) विभाग द्वारा उच्च तकनीक युक्त हैन्ड सेट पी.डी.ए. विथ जी.पी.एस.क्र य किये गये है जिनमें विभिन्न एप्लीकेप्रन अपलोड कर मैदानी अमले को प्रदाय किये जा रहे है जिसमें विभिन्न कार्य जैसे मुनारे, वन सीमा, प्लान्टेप्रन, क्षेत्र वन अपराध इत्यादि की सही जानकारी शीघ्रता से उपलब्ध हो सकेगी।

9- foHkkxh; ç; kl ka dh ekU; rk &

वन विभाग में सूचना एवं संचार, प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु किये गये प्रयासों की पर्यावरण एवं वन मंत्रलय भारत शासन द्वारा सराहना की गई है। विभाग को "Digital Empowerment Foundation" का South Asia "Manthan Award", भारत शासन का "National Governance Award(Gold)", NIC का "Web-ratna Award Gold Icon Award" एवं Geo Spatial Award प्राप्त हुआ है।

oU; i k. kh l j {k. k

राज्य शासन द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। मध्यप्रदेश में वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र 10989.247 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश में 10 राष्ट्रीय उद्यान एवं 25 वन्यप्राणी अभयारण्य हैं। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा एवं संजय राष्ट्रीय उद्यानों तथा इनके निकटवर्ती 08 अभयारण्यों को समाहित कर प्रदेश में 06 टाइगर रिजर्व स्थापित है। विलुप्तप्रायः पक्षी सोनचिड़िया के संरक्षण के लिये करैरा एवं घाटीगांव; खरमोर के संरक्षण के लिये सैलाना एवं सरदारपुर तथा जलीय प्राणियों के संरक्षण के लिये चम्बल, केन एवं सोन घड़ियाल अभयारण्य गठित किये गये हैं। इसी प्रकार डिण्डौरी जिले में घुघवा में फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ 06 करोड़ वर्ष तक पुराने जीवाश्म संरक्षित किये गये हैं। धार जिले में "डायनोसोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, बाग" स्थापित किया गया है। भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके अतिरिक्त मुकुन्दपुर जिला सतना में सफेद बाघ के लिए टाइगर सफारी स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। बाघ, बारहसिंघा, मगर, डॉल्फिन, घड़ियाल, तेन्दुआ, गौर एवं काला हिरण प्रदेश को पहचान देने वाली मुख्य वन्य प्राणी प्रजातियाँ हैं। वन्यप्राणी संरक्षण एवं प्रबंध हेतु अनेक विशिष्ट प्रयास जारी है, जिनका विवरण निम्नानुसार है।

ou; i k. kh | j {k. k

भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय वन्यप्राणी अपराध अन्वेषण ब्यूरो का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में खोला गया है, जिसका कार्यक्षेत्र मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड एवं उड़ीसा राज्य है। वन्यप्राणी अपराध रोकने के लिये राज्य शासन द्वारा टाइगर स्टाइक फोर्स का गठन किया गया है। इस फोर्स के पांच आंचलिक केन्द्र इन्दौर, सागर, होशंगाबाद, जबलपुर और सतना में स्थित हैं। वनों के समीपस्थ बसाहटों में भटककर आने वाले वन्यप्राणियों को पकड़ने के लिये 09 रेस्क्यू स्कवॉड गठित किये गये हैं। वन्यप्राणियों के अवयवों की तस्करी को रोकने हेतु 02 श्वानों तथा उनके 04 हेण्डलर्स को प्रशिक्षित कर इटारसी एवं जबलपुर में रखा गया है।

ekuo rFkk ou; i kf. k; ka ds chp }n de djus ds iz kl

संरक्षित क्षेत्रों के गठन से स्थानीय ग्रामवासियों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े इसके लिए संरक्षित क्षेत्रों से लगे ग्रामों में इको पर्यटन विकास बोर्ड के माध्यम से विकास कार्य म संचालित किये जा रहे हैं।

वन सीमा से पांच कि.मी. की परिधि में वन्यप्राणियों द्वारा फसल हानि किये जाने पर तथा कृष्णमृग एवं नीलगाय द्वारा 05 कि.मी. की परिधि के बाहर स्थित ग्रामों में भी फसल हानि किये जाने पर संबंधित व्यक्तियों को फसल हानि का मुआवजा दिया जाता है। मुआवजे का निर्धारण एवं भुगतान राजस्व अधिकारियों द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत निर्धारित समय-सीमा में राजस्व पुस्तक परिपत्र में दिये गये प्रावधानों अनुसार किया जाता है। वर्ष 2013-14 से इस हेतु राजस्व विभाग के बजट में ही प्रावधान उपलब्ध है।

वन्यप्राणियों द्वारा पालतू पशुओं को मारे जाने पर भी क्षतिपूर्ति का प्रावधान है, तथा क्षतिपूर्ति की अधिकतम राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र के अनुसार वनाधिकारियों द्वारा निर्धारित की जाती है एवं भुगतान किया जाता है।

किसी भी वन्यप्राणी सिंप व गुहेरा को छोड़करकद्वारा जन हानि किये जाने पर भी क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। जनहानि, जनघायल, पशुहानि के प्रकरणों को लोकसेवा गारंटी अधिनियम, 2010 में शामिल किया गया है जिनके लिये क्षतिपूर्ति राशि मशः रूपये 1.50 लाख एवं इलाज पर हुये व्यय जिनहानिक्र घायल होने पर रू0 30000/- अधिकतम, स्थाई रूप से अपंग होने पर रू0 100000/- एवं इलाज पर हुये व्यय तथा पशुहानि होने पर राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति भुगतान किया जाता है।

I j f {kr {ks=ka | s xkeka dk i uokl

वन्यप्राणी संरक्षण तथा मानव वन्यप्राणी द्वंद्व को कम करने के लिए वन्यप्राणी संरक्षणक्र अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार बाघों के टिकल रहवास क्षेत्रों से चिन्हित ग्रामों का व्यवस्थापन किया जाता है। प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों में प्रारंभ में 821 ग्राम थे, जिनमें से 118 गांव विभाग द्वारा अभी तक पुनर्स्थापित कर वन्यप्राणियों के लिए अतिरिक्त भूमि हासिल की गई है। शेष 727 ग्रामों में से 194 ग्रामों को enclave के रूप में रखा जाना तथा 424 ग्रामों को संरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों से बाहर किया जाना प्रस्तावित है। विभाग द्वारा पुनर्वास हेतु चयन किये गये ग्रामों में से अभी 105 ग्रामों का विस्थापन शेष है।

वन्यप्राणी संरक्षण की दिशा में यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है तथा प्रदेश सरकार भी इस कार्य हेतु राज्य योजना बजट से राशि उपलब्ध करा रही है। वर्ष 2012-13 में माधव राष्ट्रीय उद्यान के गतवाया, संजय टाइगर रिजर्व के कंजरा, ओरछा अभयारण्य के सिंगपुरा तथा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के झोला, चूरना, कांकड़ी, बदकछार, घोड़ानाल, बिरजीखापा, पटन, कांजीघाट,

खामखेड़ी के विस्थापन हेतु रू0 84.31 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में भी इस कार्य हेतु रू0 120 करोड़ उपलब्ध कराये गये हैं।

in'sk ds Vkbxj fj toz ds cQj tku dh vf/kl ipuk

वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 यथा संशोधित 2006 की धारा 38V (4) (ii) के अंतर्गत प्रत्येक टाइगर रिजर्व में बफर क्षेत्र अधिसूचित किया जाना अनिवार्य है। बफर क्षेत्र टिकल टाइगर हैबीटेड या कोर क्षेत्र के चारों ओर वह क्षेत्र है, जहाँ कोर क्षेत्र की तुलना में कम प्रतिबन्धों की आवश्यकता होती है एवं यह टिकल टाइगर हैबीटेड की समग्रता के लिये आवश्यक है। मध्यप्रदेश में 06 टाइगर रिजर्व हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व के पूर्व से घोषित बफर क्षेत्र में वृद्धि करते हुये वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत नवीन अधिसूचना जारी की गई है।

इसी प्रकार बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच एवं संजय टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र वर्ष 2010-2011 में अधिसूचित किये जा चुके हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र की अधिसूचना अगस्त 2012 में जारी की गई है। 05 टाइगर रिजर्व में टिकल टाइगर हैबीटेड पूर्व से ही अधिसूचित है। इस प्रकार समस्त 06 टाइगर रिजर्व के टिकल टाइगर हैबीटेड एवं उनके बफर जोन क्षेत्र अधिसूचित किये जा चुके हैं। समस्त बफर जोन क्षेत्र संचालकों के एकीकृत प्रबंधन के अंतर्गत लाये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

l j f {kr {ks=ka ds ckgj ol; i k.kh i xzk

टाइगर रिजर्व एवं अन्य महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों की परिधि में स्थित क्षेत्रीय वन मण्डलों के 56 परिक्षेत्रों में सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु पेटोलिंग चौकी निर्माण तथा वाहन, वायरलेस एवं अन्य उपकरणों का प्रदाय किया गया है। इस प्रयासों को निरंतर रखने हेतु राज्य शासन के संकल्प 2013 के बिन्दु मांक 30 के यान्वयन के लिए एक नवीन योजना स्वीकृत की गई है। इसके अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणी प्रबंध हेतु क्षेत्रीय वनमण्डलों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

igLdkj ;kstuk

वन्यप्राणी संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिये कर्मचारियों एवं अधिकारियों को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य शासन द्वारा वर्ष 2008 में वन्यप्राणी संरक्षण पुरस्कार संस्थापित किये गये हैं। इस पुरस्कार के अंतर्गत उप वनसंरक्षक/ सहा.वन संरक्षक स्तर के लिये 01, वन क्षेत्रपाल स्तर के लिये 01 तथा उप वन क्षेत्रपाल/वनपाल/वनरक्षक स्तर के लिये 04 पुरस्कार का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक पुरस्कार की राशि रू0 50 हजार है। पात्र अधिकारियों एवं कर्मचारियों के चयन हेतु शासन द्वारा प्रमुख सचिव, वन की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है जिसमें 06 अधिकारी और 06 अशासकीय सदस्य हैं।

वन्यप्राणियों की सुरक्षा, अनुश्रवण एवं रेस्क्यू ऑपरेशन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उपपरिवर्णित तीन वर्गों में कुल 38 लोगों को वर्ष 2013 के पुरस्कार हेतु प्रमुख सचिव वन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयन किया गया। चयनित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वन्यप्राणी सप्ताह के समापन कार्य में के दौरान दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार प्राप्तकर्ता अधिकारियों/कर्मचारियों में 01 वनमण्डलाधिकारी, 01 सहायक वन संरक्षक, 01 सहायक संचालक, 01 उप वनमण्डलाधिकारी, 02 वन क्षेत्रपाल, 03 वनपाल एवं 03 वनरक्षक शामिल है।

i 'kq f p f d R l d k a d h f u ; f D r

संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत वन्य पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण एवं इलाज के लिए राज्य शासन से 10 पशु चिकित्सकों के पृथक कैंडर की अनुमति प्राप्त की गई है।

fl g i qokl dk; Øe

एशियाई सिंहों के पुनर्वास हेतु केन्द्र सरकार की पहल पर राज्य में कूनो पालपुर अभयारण्य से ग्रामीणों की सहमति से 24 ग्रामों के 1545 परिवारों को पुनर्वासित किया जा चुका है। गुजरात के गिर अभयारण्य से सिंहों के पुनर्स्थापन की अनुमति के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। दिनांक 15.04.2013 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार यह कार्य प्राथमिकता से पूर्ण किया जाना है। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इस संबंध में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है, जिसकी दो बैठकें हो चुकी हैं एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिक श्री वाय.वी. झाला एवं श्री रवि चेल्लम द्वारा इस संबंध में एक कार्य योजना भी तैयार की जा चुकी है। भारत सरकार द्वारा इस कार्ययोजना पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत सिंह पुनर्स्थापन की प्रिया निर्धारित की जायेगी। इसके अनुसार पुनर्स्थापन का कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा।

oU; i k.kh l jf{kr {ks=ka ea i ; Mu

पर्यटकों की सुविधा के लिये कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना एवं पेंच टाइगर रिजर्व में ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था है। संरक्षित क्षेत्रों में सुविधाओं के विकास के फलस्वरूप विगत वर्षों में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है किन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.10.2012 के अनुसार पर्यटन हेतु खुला क्षेत्र 20 प्रतिशत की सीमा तक निर्धारित होने से वर्ष 2012-13 में पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। विगत वर्षों में पर्यटकों की संख्या तथा उनसे हुई आय निम्न तालिका अनुसार है।

o"l	i ; Mdk dh l d ; k %yk[kh	vft r vk; %yk[k : i ; %
2010-11	12.08	1541.16
2011-12	13.07	1996.70
2012-13	09.42	1450.07

dk; l vk; kst uk , d i fjp; &

वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु प्रत्येक वनमंडल के अन्तर्गत आने वाले वन क्षेत्र के लिये कार्य आयोजना का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक कार्य आयोजना 10 वर्ष की अवधि के लिये बनाई जाती है एवं 10 वर्ष पश्चात् उसका पुनरीक्षण किया जाता है। कार्य आयोजना एक ऐसा अभिलेख होता है जिसमें सम्बन्धित वनमंडल के वनक्षेत्र से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण एवं सम्पूर्ण वन क्षेत्र का प्रबंधन की योजना शामिल रहती है।

प्रदेश में 16 स्थाई कार्य आयोजना इकाइयों स्थापित हैं, इन इकाइयों द्वारा मानुसार वनमंडलों के कार्य आयोजनाओं का पुनरीक्षण कार्य किया जाता है। कार्य आयोजना इकाई में वन संरक्षक स्तर के अधिकारी पदस्थ किये जाते हैं। कार्य आयोजना अधिकारी द्वारा दो वर्ष से ढाई वर्ष के समयावधि में कार्य आयोजना का पुनरीक्षण कार्य पूर्ण किया जाता है। कार्य आयोजना पुनरीक्षण के उपरान्त राज्य शासन तथा भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किये जाते हैं।

dk; l vk; kst uk dk egRo , oa vko' ; drk

समस्त वनों का प्रबंधन कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार किया जाना बंधनकारी है। मध्यप्रदेश में वन विभाग के अधीन शासकीय वनों के प्रबंधन के लिये प्रत्येक वनमण्डल की कार्य आयोजना बनाने का प्रावधान है। वन मण्डल के समस्त वानिकी कार्य, कार्य आयोजना के अनुरूप ही किये जाते हैं। कोई भी वानिकी कार्य जो कार्य आयोजना के प्रावधानों से बाहर है यदि करना आवश्यक है तो इसके लिये कार्य आयोजना तैयार की जाना आवश्यक है।
